



मध्यप्रदेश

का

आर्थिक सर्वेक्षण

2021-22

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश
का
आर्थिक सर्वेक्षण
2021-22



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
मध्यप्रदेश

प्राक्कथन

"मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22" नामक प्रकाशन में प्रदेश की समाजार्थिक अर्थ-व्यवस्था, राज्य शासन की नीतियों/ उपलब्धियों/ घोषणाओं एवं कार्यकलापों का विश्लेषणात्मक विवेचन करने का प्रयास किया गया है ।

प्रस्तुत प्रकाशन हेतु संबंधित विभागों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ । यह प्रकाशन आर्थिक विश्लेषण संभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सतत् प्रयासों, संचालनालय के अन्य तकनीकी संभागों एवं कम्प्यूटर संभाग के सहयोग से ही समयावधि में तैयार किया जाना संभव हो सका है ।

आशा है प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान समाजार्थिक स्थिति एवं प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों/ उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा । उक्त प्रकाशन राजनीतिज्ञों, योजना निर्माताओं, सांख्यिकीविदों एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है ।

भोपाल 25 फरवरी, 2022

अभिषेक सिंह

आयुक्त
आर्थिक एवं सांख्यिकी
मध्य प्रदेश

**प्रकाशन को तैयार करने में सहयोग देने वाले
अधिकारी/कर्मचारी**

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. डॉ. व्ही. एस. धपानी | संयुक्त संचालक |
| 2. श्रीमती अनिमा टोप्पो | उप संचालक |
| 3. श्रीमती शशि नागले | सहायक संचालक |
| 4. श्री अतुल आनंद अग्रवाल | सहायक संचालक |
| 5. श्री राजकुमार कड़वे | सहायक सांख्यिकी अधिकारी |
| 6. श्री अविनाश मानवटकर | कलाकार |
| 7. श्रीमती संगीता बाथरी | अन्वेषक |
| 8. सुश्री अदिति नेमा | अन्वेषक |
| 9. श्रीमती अरुणा वाहने | सहा.ग्रेड-3 |

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1 आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा	1-20
2 लोक वित्त	21-26
3 बचत एवं विनियोजन	27-34
बैंकिंग	27
बीमा क्षेत्र	33
4 भाव, खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण	35-39
भाव स्थिति	35
खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण	37
5 कृषि	40-78
कृषि	40
मौसम एवं फसल की स्थिति	41
वाणिज्यिक फसलें	47
कृषि विकास योजनाएं	48
कृषि यंत्रीकरण	54
उद्यानिकी	55
कृषि विपणन	62
भंडारण सुविधा	63
पशुधन एवं डेयरी विकास	65
पशुधन एवं कुक्कुट विकास	68
मत्स्य पालन से विकास	71
वानिकी	73
6 उद्योग	79-92
उद्योग विनिर्माण	79
अधोसंरचना विकास	82
हाथकरघा उद्योग	82
संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास	82

विवरण		पृष्ठ क्रमांक
	रेशम उद्योग	83
	खादी तथा ग्रामोद्योग विकास	85
	पर्यटन	85
	खनिज	89
7	अधोसंरचना	93-113
	ऊर्जा	93
	नवीन एवं नवकरणीय उर्जा	103
	परिवहन/संचार	105
	पंजीकृत वाहन	106
	राज्य में सड़के (लोक निर्माण विभाग की सड़क)	107
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क	108
	सिंचाई	110
	कमांड क्षेत्र (विकास)	112
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	112
8	सामाजिक क्षेत्र	114-169
	प्रारम्भिक शिक्षा	114
	माध्यमिक शिक्षा	119
	उच्च शिक्षा	123
	तकनीकी शिक्षा	125
	स्वास्थ्य	127
	पेयजल व्यवस्था	130
	श्रम	131
	रोजगार	133
	प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	133
	कारखानों की संख्या एवं नियोजन	134
	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार	134
	स्वच्छ भारत मिशन	137
	नगरीय विकास/शहरी क्षेत्रों में रोजगार	138
	महिला एवं बाल विकास	144
	महिला वित्त एवं विकास	148
	अनुसूचित जातियों का विकास	150

विवरण	पृष्ठ क्रमांक
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	153
पिछड़ा वर्ग का कल्याण	159
अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण	163
सामाजिक न्याय	165
9 सुशासन एवं कानून व्यवस्था	170-174
जेल (पुलिस) विभाग की योजनाएं	170
गृह (पुलिस) विभाग की योजनाएं	171
10 सामाजिक-आर्थिक विकास : उपलब्धियां एवं चुनौतियां	175-177

परिशिष्ट की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	मध्य प्रदेश एवं भारत के चुने हुए समाजार्थिक विकास संकेतांक	178
2	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	180
3	महत्वपूर्ण उत्पादित खनिजों का मूल्य	181
4	महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य	182
5	रोजगार समंक	183
6	मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	184

सांख्यिकीय तालिकाएं

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.1	राजकोषीय घाटा	21
2.2	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां	22
2.3	राजस्व प्राप्तियों की संरचना	23
2.4	राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि	23
2.5	राज्य के करेत्तर राजस्व की वृद्धि	24
2.6	राजस्व तथा पूंजीगत व्यय	25
2.7	शुद्ध लोक ऋण	26
3.1	बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार	27
3.2	बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक	29
3.3	राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना	29
3.4	वार्षिक साख योजना की उपलब्धि	31
3.5	कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि	31
3.6	आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं एवं ऋण राशि का विवरण	33
3.7	व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों की उपलब्धियाँ (मध्य क्षेत्र)	34
3.8	पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (मध्य क्षेत्र)	34
4.1	कृषि पदार्थों के थोक भाव सूचकांक	35
4.2	औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	36
4.3	कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	36
5.1	वर्षा की स्थिति	41
5.2	प्रमुख फसलों का क्षेत्राच्छादन	42
5.3	प्रमुख फसलों का उत्पादन	42
5.4	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन	43

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.5	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन	43
5.6	दलहनी फसलो का क्षेत्राच्छादन	44
5.7	दलहनी फसलों का उत्पादन	45
5.8	प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन	46
5.9	प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन	46
5.10	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन	47
5.11	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन	47
5.12	बी.टी. कॉटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन	48
5.13	रासायनिक उर्वरकों का वितरण	49
5.14	पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र	49
5.15	प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन	57
5.16	प्रमुख मसालों का उत्पादन	58
5.17	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल	58
5.18	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन	59
5.19	प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन	59
5.20	प्रमुख फलों का उत्पादन	60
5.21	प्रमुख पुष्पों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन	60
5.22	प्रमुख औषधि का क्षेत्रफल एवं उत्पादन	60
5.23	भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता	64
5.24	भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति	64
5.25	पशुधन वृद्धि	65
5.26	दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां	69
5.27	वनोत्पादन का विवरण	75
5.28	तैदूपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन	78
5.29	काष्ठ बॉस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)	78
6.1	रेशम उत्पादन	84
6.2	प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	89

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
6.3	नवीन सर्वेक्षित खनिज भण्डार	91
6.4	प्रदेश के खनिज भण्डार	92
7.1	उपलब्ध विद्युत क्षमता	95
7.2	विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना	95
7.3	विद्युत प्रदाय	96
7.4	राजस्व प्राप्ति (राज्य शासन से प्राप्त सब्सिडी मिलाकर)	101
7.5	सकल राज्य मूल्यवर्धन में परिवहन/संचार का अंश	106
7.6	प्रदेश में लोकनिर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई	108
7.7	सिंचाई के स्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल	110
7.8	सिंचाई क्षमता एवं उपयोग	111
7.9	प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र	111
8.1	राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाएँ	114
8.2	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन	115
8.3	शाला त्याग दर	116
8.4	शालाओं की संख्या की स्थिति	119
8.5	शासकीय शालाओं की उपलब्धता की स्थिति	119
8.6	कुल छात्रों की संख्या/नामांकन की स्थिति (शा. एवं निजी)	119
8.7	कुल छात्रों के वर्गवार नामांकन की स्थिति (शा. , एवं निजी)	120
8.8	समस्त शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या की स्थिति	120
8.9	शहरी रोजगार आजीविका मिशन (NULM) की प्रगति	139
8.10	अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं	151
8.11	आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान	154
8.12	अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें	155
8.13	प्रोत्साहन राशि	161

चित्रों की सूची

चित्र क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	1
1.2	विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूलवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण प्रचलित भागों पर	2
1.3	विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण स्थिर (2011-12) भावों पर	3
1.4	प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	4
3.1	राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति	30
5.1	फसल क्षेत्र में विकास दर	40
5.2	दुग्ध उत्पादन	67
5.3	अंडों का उत्पादन	67
5.4	मांस का उत्पादन	68
6.1	पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना	80
6.2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश करोड़ रुपये	80
6.3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार	81
7.1	विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	97
7.2	अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति (मेगावाट में)	97
7.3	विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट	98
7.4	विद्युत का उपयोग	99

बाक्स की सूची

बाक्स क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.1	फ.पी.ओ	50
6.1	खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन	90
7.1	उर्जा विभाग	94
7.2	सिंचाई	110
8.1	प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण (समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य)	115

अध्याय 01


आर्थिक स्थिति
एक समीक्षा

आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

1.1 आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2020-21 (त्वरित) की तुलना में वर्ष 2021-22 (अग्रिम) में 10.12 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान है जबकि वर्ष 2020-21 (त्वरित) में वर्ष 2019-20 (प्रावधिक) की तुलना में 1.92 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी थी। प्रचलित एवं स्थिर भावों पर विगत वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को चित्र 1.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 1.1

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर




आधार वर्ष (2011-12) के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 315562 करोड़ रुपये था। जो वर्ष 2020-21 (त्वरित) एवं 2021-22 (अग्रिम) में बढ़कर 564514 करोड़ एवं 621653 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जो आधार वर्ष से क्रमशः 78.89 एवं 97.00 प्रतिशत अधिक है।

1.2 सकल राज्य मूल्यवर्धन के वृहद क्षेत्रवार निष्पादन में आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र के अंश में बढोत्तरी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 33.85 प्रतिशत था जो वर्ष 2020-21 (त्वरित) एवं 2021-22 (अग्रिम) में बढ़कर 47.63 प्रतिशत एवं 46.57 प्रतिशत स्थिर (2011-12) भावों पर रहा। जबकि तृतीयक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 39.06 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 (त्वरित) एवं 2021-22 (अग्रिम) में क्रमशः 18.95 प्रतिशत एवं 19.30 प्रतिशत स्थिर (2011-12) भावों पर रहा। जो चित्र 1.3 में प्रदर्शित है।


चित्र 1.2

विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण प्रचलित भावों पर



चित्र 1.3


विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण
स्थिर (2011-12) भावों पर



1.3 वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 (त्वरित) की तुलना में प्रचलित भावों पर 19.74 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 10.12 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2021-22 अग्रिम के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 10.32 प्रतिशत, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 10.59 प्रतिशत की एवं 9.67 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही है।

1.4 स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2020-21 (त्वरित) में 58334 रुपये थी जो बढ़कर वर्ष 2021-22 (अग्रिम) में रुपये 63345 हो गई है। जो गतवर्ष की तुलना में 8.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में 104894 रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 (अग्रिम) में 124685 हो गई, जो 18.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

चित्र 1.4
प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर



1.5 लोक वित्त : वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्यप्रदेश राजस्व आधिक्य रहने के बाद वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में रुपये 21375.91 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक रहा है। वर्ष 2021-22 (बजट अनुमान) में राजस्व प्राप्तियां 164677.45 करोड़ रुपये अनुमानित है जो गत वर्ष से 20.05 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2021-22 के मध्य कुल प्राप्तियों का अनुपात 81.82 तथा 76.26 प्रतिशत के मध्य परिवर्तित होता रहा है। वर्ष 2020-21 में राज्य का प्राथमिक घाटा 35806.91 करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में प्राथमिक घाटा 29995.41 करोड़ रुपये अनुमानित है। राज्य के खनन राजस्व में वृद्धि 36.78 प्रतिशत रही है। 31 मार्च 2021 के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 209019.47 करोड़ रुपये अनुमानित है।

1.6 बचत एवं विनियोजन : प्रदेश में कुल बैंकों की शाखाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई है। बैंकों की शाखाओं में वृद्धि के साथ-साथ बैंकों के अग्रिम एवं जमा राशि में भी वृद्धि हो रही है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान कुल जमा राशि में 9.69 प्रतिशत तथा अग्रिम ऋण राशि में 5.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई। सितम्बर, 2021 की स्थिति में प्रदेश में साख-जमा अनुपात 71.14 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है। किन्तु गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रथम छः माही में शाखा जमा अनुपात में 3.11 प्रतिशत की कमी आयी है। कुल अग्रिम से कृषि क्षेत्र में सीधे कृषि को दिये गये अग्रिम का अंश मार्च, 2019 से लगातार बढ़कर वृद्धि दर सितम्बर, 2021 में 5.51 प्रतिशत की रही। इसी अवधि में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को दिये गये अग्रिम में 5.58 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है। कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर, 2021 तक 74.96 प्रतिशत रहा है।

1.7 किसान क्रेडिट कार्ड : भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्डधारी किसानों को रुपये किसान कार्ड जारी किये जा रहे हैं, जो माह सितम्बर, 2021 तक 63.12 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं।

1.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1775.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध राशि रुपये 905.23 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। इस योजना में पुर्नविनियोजन हेतु राशि रुपये 16.45 करोड़ की मांग शासन से की है।

1.9 स्वाईल हेल्थ कार्ड : इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कृषकों को उनके खेतों की मिट्टी का परीक्षण उपरांत संतुलित उर्वरक के उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ्य पत्रक उपलब्ध कराना है। जिससे किसानों को अधिक पैदावार मिल सके। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉडल विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्डवार एक मॉडल ग्राम चयनित किया जाकर कृषकों के काश्त योग्य खसरों से मृदण नमूना एकत्रिकरण कर विश्लेषण उपरान्त 1.86 लाख कृषकों को स्वाईल हेल्थ कार्ड वितरित किये गये हैं।

1.10 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड : मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2012-13 से फिशरमेन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। योजना प्रारंभ से वर्ष 2019-20 तक 78.63 हजार फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये गये वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2021 तक 15.28 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

1.11 कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक : वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में भावों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। यह वृद्धि कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांको एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में परिलक्षित रही है। राज्य स्तरीय समस्त कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100) में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 में 4.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में खाद्यान्न एवं अखाद्यान्नों के सूचकांकों में क्रमशः 2.37 तथा 2.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1.12 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में विगत वर्षों से बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई। औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में खाद्य समूह एवं सामान्य समूह सूचकांकों में वृद्धि रही। यही स्थिति कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सूचकांकों में दृष्टिगोचर हुई है। वर्ष 2019 की तुलना में औद्योगिक कामगारों के अंतर्गत वर्ष 2020 में राज्य के सभी केन्द्रों में खाद्य समूह एवं सामान्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में खाद्य सूचकांक सर्वाधिक छिंदवाड़ा केन्द्र 125 एवं सामान्य समूह जबलपुर केन्द्र 124 रहा। इसी प्रकार कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2019 की अपेक्षा 2020 में वृद्धि परिलक्षित रही। तथा वर्ष 2021 में माह नवम्बर, 2021 तक कृषि एवं ग्रामीण श्रमिक का खाद्य में सूचकांक क्रमशः 847 एवं 851 रहा है तथा सामान्य सूचकांक 912 एवं 936 रहा है।

1.13 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें : राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में वर्तमान में 25.72 हजार शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिसमें सभी दुकानों में पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गई हैं।

1.14 समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न (गेहूँ, धान एवं मोटा अनाज) का उपार्जन ई उपार्जन परियोजना अंतर्गत किया जाता है जिसके तहत उपार्जन केन्द्रों पर किसानों द्वारा बोये गये रकबे तथा उनके खातों की कम्प्यूटराइज, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर की जानकारी संकलित की जाती है। प्रदेश में रबी एवं खरीफ विपणन वर्षों में लगातार उपार्जन बढ़ रहा है। वर्ष 2020-21 में गेहूँ का उपार्जन 129.42 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 2021-22 में 128.16 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार धान का उपार्जन वर्ष 2021-22 में 45.86 लाख मीट्रिक टन हुआ है।

1.15 मौसम की स्थिति : प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 1024.3 मिली मीटर की तुलना में वर्ष 2020 में 971.0 मिली मीटर तथा वर्ष 2021 (जून से सितम्बर तक) में 941.6 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य औसत वर्षा से क्रमशः 5.20 प्रतिशत एवं 8.07 प्रतिशत की कमी रही ।

1.16 प्राकृतिक आपदायें एवं राहत : राज्य में 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि एवं क्षमता निर्माण अनुदान हेतु वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 2427.00 करोड़ रुपये प्राप्त होना प्रावधानिक है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, के अंतर्गत जनहानि के मामलों में त्वरित राहत सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से योजना शीर्षों को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में सम्मिलित किया गया है। जिसमें अग्नि पीड़ितों को राशि रुपये 17.50 करोड़, ओला पीड़ितों को राशि रुपये 29.44 करोड़ बाढ़ चक्रवात को राशि रुपये 380.96 करोड़ आर.बी.सी. के अंतर्गत राशि रुपये 344.65 करोड़ सर्पदंश को राशि रुपये 78.83 करोड़ वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति पर राशि रुपये 1.43 करोड़ सूखा फसल क्षति को राशि रुपये 0.13 करोड़ एवं पाला तथा कीट प्रकोप से फसल राशि रुपये 52.60 करोड़ वितरित किये।

प्रदेश में नैसर्गिक आपदाओं में माह जून एवं सितम्बर 2021 के मध्य अतिवृष्टि/बाढ़ से प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, संभाग के यथा श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर एवं भोपाल संभाग के विदिशा में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई जिसमें नष्ट मकानों के वैकल्पिक आवास की अंतरिम व्यवस्था हेतु राशि रुपये 6000.00 प्रति मकान की आर्थिक सहायता तथा लगभग 114889 हेक्टर में फसल क्षति, कच्चे एवं पक्के मकान आदि के लिए राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राहत सहायता के लिये राशि रुपये 2043.19 करोड़ का मेमोरेन्डम भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा गया है।

1.17 शहरी एवं ग्रामीण पथ विकेताओं को आर्थिक सहायता : विभिन्न जिलों में कोरोना कर्फ्यू या अन्यथा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाये जाने से नगरीय क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था के अनुसार जिला एवं तहसील स्तर पर स्वीकृत प्रकरणों पर कोषालय के माध्यम से राहत राशि का भुगतान शीघ्र किया जाता है। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक विभिन्न मदों में जिला कलेक्टरों को आवंटन राशि जारी की गई है। जैसे- शहरी पेयजल परिवहन में राशि रुपये 717.93 लाख, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिवहन पर 2.69 लाख बाढ़ बचाव सामग्री क्रय पर राशि रुपये 779.58 तथा आपदाओं की रोकथाम हेतु किये जाने पर व्यय राशि रुपये 24548.95 लाख व्यय किया गया है जो राहत आयुक्त कार्यालय से आपदा प्रभावितों को राहत सहायता हेतु राशि जारी की गई है।

1.18 कृषि : प्रदेश में अभी भी कृषि की मानसून के ऊपर निर्भरता है। प्रदेश के जिन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं कृषि विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित जिलों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में (सकल मूल्य वर्धन) वर्ष 2020-21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान 26.06 प्रतिशत है।

1.19 कृषि विकास योजनाएं : कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं यथा-रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, प्रमाणित बीजों का वितरण आदि के माध्यम से प्रदेश में कृषि की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में 29.94 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया था जबकि वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक 18.06 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया है।

वर्ष 2020-21 में पौध संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 207.03 लाख हेक्टर क्षेत्र लाया गया है। खरीफ वर्ष 2020-21 में 17.13 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किसानों को किया गया था। रबी वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक 13.04 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया है।

1.20 उद्यानिकी : प्रदेश में उद्यानिकी फसलें फल, साग-सब्जी मसाले आदि के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाया जाकर उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के तहत वर्ष 2020-21 में प्रमुख साग-सब्जी, फसलों का उत्पादन 207.43 लाख मीट्रिक टन, फलों का उत्पादन 84.81 लाख मीट्रिक टन, मसालों का उत्पादन 46.75 लाख मीट्रिक टन तथा पुष्पों का उत्पादन 4.13 लाख मीट्रिक टन रहा है ।

1.21 सिंचाई : प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में विगत वर्षों में सामान्य वृद्धि देखी गई है । विशेषकर यह देखा गया है कि सिंचाई हेतु भू-जल के दोहन पर निर्भरता बढ़ रही है । प्रदेश में सिंचाई जलाशयों के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है ।

1.22 निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : वर्ष 2019-20 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 12515.2 हजार हेक्टर है जो गत वर्ष के 11356.2 हजार हेक्टर से 10.2 प्रतिशत अधिक रहा ।

1.23 मत्स्योत्पादन : वर्ष 2019-20 (प्रा.) की अपेक्षा वर्ष 2020-21 (त्व.) में सकल मूल्यवर्धन के त्वरित अनुमानों के अनुसार मत्स्योत्पादन में 24.02 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2021-22 में समस्त स्रोतों से 2.89 लाख टन लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक 1.71 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 59.15 प्रतिशत है। प्रदेश में वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्योत्पादन बीज उत्पादन 15739.66 लाख मीट्रिक टन रहा, जो लक्ष्य का 87.44 प्रतिशत है।

1.24 वानिकी : वर्ष 2020-21 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश 2.22 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2021-22 में 1114.00 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 1294.69 करोड़ रुपये का सकल राजस्व प्राप्त हुआ जो निर्धारित लक्ष्य का 16.22 प्रतिशत है।

1.25 उद्योग : द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर में वर्ष 2020-21 (त्व.) से वर्ष 2021-22 (अ.) में 10.59 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगीकरण नितांत आवश्यक है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास में सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है। वर्ष 2019-20 में कुल 2.88 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई तथा 19242 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ एवं 9.94 लाख रोजगार उपलब्ध हुये। वर्ष 2020-21 में माह जून 2020 तक 0.31 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई जिसमें 5178 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ तथा 1.91 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य शासन की औद्योगिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2020-21 में 107.74 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 110.81 करोड़ की वित्तीय सहायता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को राशि प्रदान की गई।

1.26 खनिज : खनिज संपदा की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश का कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की योगदान वर्ष 2019-20 (प्रा.) के प्रचलित भावों के अनुमानों के अनुसार 2.70 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 (त्वरित) अनुमानों के अनुसार 3.24 प्रतिशत है।

1.27 ऊर्जा : राज्य शासन द्वारा विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि हेतु किये गये सतत् प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2016-17 में प्रदेश विद्युत आधिक्य की स्थिति में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल विद्युत प्रदाय 80909 मिलियन यूनिट किया गया, जिसमें इन्दिरा सागर परियोजना से 2758 मिलियन यूनिट, सरदार सरोवर परियोजना से 1808 मिलियन यूनिट उत्पादन तथा म.प्र. विद्युत उत्पादन कम्पनी व्दारा कुल विद्युत प्रदाय 21917 मिलियन यूनिट है। वर्ष 2020-21 प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 43.2 प्रतिशत का कृषि क्षेत्र में किया गया। इसके पश्चात घर-निवास हेतु 28.6 प्रतिशत विद्युत उपभोग रहा। विद्युत उत्पादन क्षमता तथा पारेषण क्षमता में लगातार वृद्धि से प्रदेश में उद्योग तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहने की संभावना है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा दीर्घकालीन विद्युत क्रय

अनुबंध के कारण विद्युत की उपलब्धता मांग के अनुरूप हो गयी हैं तथा प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण, मीटरीकरण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के लिये प्रदेश के 52 जिलों हेतु राशि रुपये 2886 करोड़ लागत की 50 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के तहत 20.39 हजार मजरें/टोले सहित ग्रामों का सघन विद्युतिकरण के साथ 145, 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्र, 21590 कि.मी., 11 के.व्ही. लाईन, 25633 कि.मी. एल.टी. लाईन, के कार्य सम्मिलित है, जिसमें से 19.56 मजरें/टोले में 145, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों, 21815 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 25888 एल.टी. लाईन एवं सभी सांसद आदर्श ग्रामों में सघन विद्युतिकरण का कार्य पूर्ण किया गया है।

1.28 ऊर्जा क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में राजस्व प्रबंधन के सुधार हेतु उठाये गये कदमों के फलस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है फलस्वरूप प्रदेश में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में राजस्व में 10.35 प्रतिशत की कमी हुई।

1.29 परिवहन : राज्य की अर्थ व्यवस्था में परिवहन क्षेत्र (भंडारण सहित) में वृद्धि स्थिर भावों पर (2011-12) पर वर्ष 2019-20 (प्रा.) में 5.48 प्रतिशत की वृद्धि रही है एवं वर्ष 2020-21 (त्व.) में 13.73 प्रतिशत की कमी रही है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2020-21 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र की 2.28 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है। स्थिर भावों पर (2011-12) राज्य मूल्यवर्धन में इस भागीदारी का अंश वर्ष 2020-21 (त्व.) में 3.04 रहा।

मध्यप्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2019-20 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 0.98 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.12 प्रतिशत अंश है। वर्ष 2020-21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 0.78 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 0.95 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में सकल मूल्यवर्धन के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर संचार क्षेत्र का अंश 1.44 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 (त्व.) के अनुसार 1.48 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2019-20 में 1.89 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 (त्व.) में 1.97 प्रतिशत अंश परिलक्षित है।

1.30 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : ग्रामीण यांत्रिकी द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत नवम्बर, 2021 तक 8379 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाकर 8239 सड़को का कार्य पूर्ण कराया गया जिस पर राशि रुपये 3442 करोड़ व्यय किये गये।

1.31 लोक निर्माण विभाग की सड़क : वर्ष 2020 में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित कुल सड़कों की लम्बाई 70.96 हजार, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8.86 हजार तथा प्रांतीय राज मार्गों की लंबाई 11.39 हजार किलोमीटर रही है। प्रदेश में सड़कों के निर्माण/उन्नयन के साथ-साथ पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

1.32 पंजीकृत वाहन : पंजीकृत वाहनों की संख्या वर्ष 2018-19 में 17.62 लाख से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 25.84 लाख हो गई है ।

1.33 शिक्षा : जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमशः 73.0 एवं 69.3 प्रतिशत है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच प्रदेश की साक्षरता में दशकीय वृद्धि दर अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, इसका मुख्य कारण प्रदेश में शुद्ध नामांकन अनुपात कम होना दर्शाता है। राष्ट्रीय स्तर की बराबरी करने के लिये नीति एवं कार्यक्रमों के स्तर पर सुधार किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2020-21 की स्थिति अनुसार प्रदेश में लगभग 63.68 हजार शासकीय प्राथमिक तथा 26.00 हजार शासकीय माध्यमिक शालायें हैं। इन शालाओं में नामांकन क्रमशः 74.57 लाख एवं 42.75 लाख है। कुल नामांकन में बालिकाओं का नामांकन क्रमशः 35.74 एवं 20.47 लाख है। वर्ष 2020-21 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या 17.85 हजार है, जिनमें नामांकन 37.23 लाख है। वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र तथा छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 1.43 एवं 1.26 प्रतिशत रही, तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की शाला त्यागीदर क्रमशः 6.11 एवं 6.63 रही। प्रदेश में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश वितरण, साइकिल प्रदाय, मध्यान्ह भोजन आदि की योजनाओं का क्रियान्वयन कर शालाओं में उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास उपयोगी रहे हैं ।

1.34 निःशुल्क सायकिल वितरण : प्रदेश में कक्षा 9वीं में दूसरे ग्राम से अथवा ऐसे मजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किमी से अधिक है अध्ययन हेतु जाने वाले बालिकाओं/बालकों को निःशुल्क सायकिल वितरित की जाती है। वर्ष 2020-21 में बालक/बालिका को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

1.35 गांव की बेटा : राज्य शासन ने "गांव की बेटा" योजना के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये योजनाएं बनाई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में 65.24 हजार छात्राओं को लाभान्वित कर राशि रुपये 3261.82 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

1.36 मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना: वर्ष 2020-21 में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने पर लेपटॉप की राशि प्रदाय की जाती है। कोविड-19 के कारण राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

1.37 तकनीकी शिक्षा : प्रदेश में विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में वर्ष 2021-22 में 1.85 लाख प्रवेश क्षमता लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 1.30 लाख प्रवेश ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग के माध्यम से किये गये हैं। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक 9720 विद्यार्थियों को राशि रुपये 9.24 लाख उपलब्ध कराया गया है।

1.38 स्वास्थ्य : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अनुसार सभी के लिये स्वास्थ्य के राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार करते हुये प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण किया गया है। विगत वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय बदलाव परिलक्षित हुये हैं। नगरीय क्षेत्रों में औषधालयों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0-5 वर्ष के 1.10 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई है। टीकाकरण से छूटे गये बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 3.0 अभियान के दो चरण आयोजित किये गये जिसमें कुल 2.45 हजार टीकाकरण आयोजित कर, 10.77 हजार बच्चों तथा 3.66 हजार गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। कोविड-19 टीकाकरण अभियान अंतर्गत माह अक्टूबर 2021 तक लक्षित 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 5.49 करोड़ नागरिकों के विरुद्ध 91 प्रतिशत प्रथम डोज तथा 40 प्रतिशत द्वितीय डोज का टीकाकरण पूर्ण किया जा चुका है।

- एस.आर.एस. 2019 के अनुसार प्रदेश के शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार जीवित जन्म से घटकर वर्तमान स्थिति में 46 प्रति हजार जीवित जन्म है। नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर में कमी लाने हेतु शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 57 नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से गभीर रूप से बीमार कम वजन एवं समय पूर्व जन्म के नवजात शिशुओं का उपचार किया जाता है। वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक 62.64 हजार नवजात शिशुओं को उपचार प्रदान किया गया है।

- प्रदेश में उप जिला स्तर पर 106 नवजात शिशु स्थिरिकरण इकाईयाँ संचालित है। वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक 12.17 हजार नवजात शिशुओं को लाभान्वित किया गया है।
- गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन हेतु 27 बाल गहन चिकित्सा इकाई संचालित है। इनके माध्यम से वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक 24.44 हजार बच्चों का उपचार किया गया है।
- प्रदेश के समस्त चिन्हित प्रसव केन्द्रों में न्यूबोर्न केयर कॉर्नर स्थापित है जिसके माध्यम से नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाये जाने हेतु संस्थाओं में नियोनेटल-हाईडिपेंडेसी यूनिट की स्थापना की जा रही है।

नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अन्तर्गत राज्य में आपातकालीन सेवाओं के प्रबंधन हेतु दीनदयाल 108 एम्बुलेंस वाहन संचालित किये गये है। वर्तमान में 839 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस संचालित है। वर्ष 2020-21 में माह अक्टूबर तक कुल 8.05 लाख मरीजों को इस सेवा द्वारा लाभान्वित किया गया है।

1.39 क्षय नियंत्रण कार्यक्रम : राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में माह अक्टूबर 2021 तक 1.36 हजार नये क्षय रोगियों को खोजे जाकर उपचार किया गया है। क्षय रोगियों के प्रति भेदभाव खत्म करने एवं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से क्षय रोगियों के विभेदीकारी प्रावधानों में संशोधन किया गया है साथ ही क्षय मरीजों के उपचार एवं निदान हेतु राज्य में 371 टी.बी. यूनिट केन्द्र एवं 902 डी.एम.सी. स्थापित है। टी.बी.मरीजों हेतु राशि रुपये 500 प्रतिमाह उपचार निदान तथा पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान है। जिस पर माह अक्टूबर 2021 तक राशि रुपये 22.7 करोड़ क्षय रोगियों पर व्यय किया गया है।

1.40 जीवनांक : न्यादर्श पंजीयन प्रणाली (एस.आर.एस.) के आधार पर प्रदेश में माह सितम्बर, 2019 की स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 24.5 एवं 6.6 रही। इसी अवधि में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 46 रही। प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्युदर राष्ट्रीय स्तर से अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। प्रदेश में संस्थागत सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराकर मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्युदर को कम करने के प्रयास किये गये जिसमें उल्लेखनीय कमी हुई।

1.41 पेयजल व्यवस्था : हेण्डपंप एवं नलजल प्रदाय योजना द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की 1.28 लाख बसाहटों में लगभग 5.56 लाख हैंडपंपों द्वारा 1.12 लाख बसाहटों को पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। एकल ग्राम नलजल योजनांतर्गत 15553 नलजल योजनाओं की लागत राशि रुपये 9718.00 करोड़ की स्वीकृति दी गई ।

प्रदेश में 3554 ग्रामों तथा 9543 आश्रम शालाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं को शत प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। तथा 62172 शालाएँ एवं 37379 आंगनबाडियों में नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है।

1.42 रोजगार की स्थिति : वर्ष 2020 के अंत में प्रदेश में स्थित रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर कुल 24.72 लाख व्यक्ति दर्ज रहे जो वर्ष 2021 के अंत में बढ़कर 30.23 लाख हो गये । राज्य में जीवित पंजी पर शिक्षित आवेदकों की संख्या वर्ष 2021 में 23.08 लाख है वर्ष 2020 के अंत में जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों में शिक्षित बेरोजगार आवेदकों का प्रतिशत 93.37 था जो वर्ष 2021 के अंत में बढ़कर 95.07 प्रतिशत हो गया ।

1.43 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : राज्य में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च 2021 की स्थिति में कुल नियमित कर्मचारियों की संख्या 661001 है, जिसमें कार्यभारित, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा कोटवार, संविदा के कर्मचारी सम्मिलित नहीं है। शासकीय कर्मचारियों (नियमित) की कुल संख्या 572288 है, साथ ही सार्वजनिक उपक्रम/अर्द्ध-शासकीय संस्थानों में कर्मचारियों की कुल संख्या 45559 है।

1.44 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : 1 जनवरी 2022 तक कुल 7365 कारखानें पंजीकृत हैं, जिसमें कुल नियोजन क्षमता 6.74 लाख है ।

1.45 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना : योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के हेतु परियोजना लागत 50.00 हजार रुपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत की 15-50 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी अनुदान सहायता उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान तक 54931 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

1.46 ग्रामीण दीनदयाल अन्त्योदय योजना : इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम तथा कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । यह

योजना भारत शासन के सहयोग से प्रदेश के समस्त ग्रामीण में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके गरीबी उन्मूलन करना है।

इसके अंतर्गत वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक भौतिक लक्ष्य 70,000 युवाओं के विरुद्ध 44134 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा कोविड-19 महामारी के दौरान स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा 80.00 लाख से अधिक मास्क 29.00 हजार सुरक्षा किट (पी.पी.ई.किट) 64857 लीटर सैनेटाईजर 18587 लीटर हैंडवाश एवं 5.88 लाख साबुन बनाये गये तथा विक्रय किये गये।

1.47 महिला एवं बाल विकास : प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण एवं सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं उन्हें कुपोषण से मुक्त कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इन परियोजनाओं में कुल 84.47 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 12.67 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है।

इस परियोजना के माध्यम से 80.00 लाख बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि में 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर 94.2 प्रति हजार से घटकर 65 प्रति हजार हुई। वहीं कम वजन के बच्चों का दर 60 प्रतिशत से घटकर 42.8 प्रतिशत तथा गंभीर कुपोषण की दर 12.6 प्रतिशत से घटकर 9.2 प्रतिशत है।

1.48 वन स्टॉप सेन्टर (सखी) योजना : योजनांतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन सुविधायें उपलब्ध कराना है। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेन्टर स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं। वन स्टॉप सेन्टर पर 49.23 हजार महिलायें/बालिकायें पंजीकृत कर सहायता प्रदान की गयी।

1.49 उषा किरण योजना : "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006" के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत वर्ष में 453 संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये। इसके अतिरिक्त कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी

सलाह सहायता आदि उपलब्ध कराते हुये उनके पुर्नवास की व्यवस्था हेतु भारत सरकार महिला विकास द्वारा स्वाधार आश्रयगृह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में

13 जिलों में 15 स्वाधारगृह संचालित है। वर्तमान में 200 से अधिक महिलाए एवं 50 बच्चे निवासरत है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य के 60:40 के अनुपात में भार वहन किया जाता है। वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 121.68 लाख व्यय किया गया तथा वित्तीय वर्ष में 250.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

1.50 अनुसूचित जातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 15.6 प्रतिशत है । इन वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्तियां एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करने के साथ-साथ इनके जीवन स्तर को उन्नत करने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं । अनुसूचित जाति के बच्चों को आवास सुविधा तथा पढ़ाई के लिये अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु पृथक-पृथक आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 571 पोस्ट मेट्रिक एवं 1153 प्री मैट्रिक छात्रावास 189 महाविद्यालयीन छात्रावास, संचालित है। 10 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास संचालित है। इन समस्त छात्रावासों में 1.00 लाख विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना आदि योजनाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया।

1.51 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.10 है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राशि रूपये 6.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को राज्य शासन के फीस नियामक समिति एवं निजी नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य छात्रवृत्ति में समाहित कर कक्षा 6 से 8 तक 60 रूपये मासिक एवं कक्षा 9 वीं से कक्षा 11 वीं तक 130 रूपये मासिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 2281.50 लाख का व्यय किया जाकर कोविड-19 के कारण कक्षाये विलंब से प्रारंभ होने से यह राशि मार्च 2022 तक वितरित कि जा रही है।

1.52 पिछड़ा वर्ग का कल्याण : शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याणार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तहत राज्य छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के विधार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर अध्ययनरत के लिए प्रोत्साहन देने हेतु (10 माह के लिए) दी जाती है । जिनके अभिभावक

आयकर दाता की सीमा में नहीं आते या 10 एकड़ से कृषि भूमि धारक नहीं हैं को छात्रवृत्ति दी जाती है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में वर्ष 2020-21 में कुल 5.17 लाख विद्यार्थियों पर राशि रुपये 620.44 करोड़ व्यय किये गये। वर्ष 2021-22 में 3.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। जिसके लिए राशि रुपये 419.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

1.53 राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावक अभ्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भोपाल में संचालित राज्य स्तरीय परीक्षा केन्द्र में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को 350 रुपये प्रति माह की दर से शिक्षावृत्ति एवं निःशुल्क आवास सुविधा तथा पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तान्कों की वरीयता के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1.06 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध राशि रुपये 70.00 लाख व्यय किये गये हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

1.54 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय : राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में आवंटन 181613.99 लाख रुपये में से माह नवम्बर, 2021 तक राशि रुपये 130506.52 लाख रुपये व्यय कर 27.51 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना :** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में आवंटन 7302.92 लाख रुपये के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक राशि रुपये 4796.35 लाख रुपये व्यय कर 99924 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में आवंटन 114353.32 के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक राशि रुपये 75342.10 लाख रुपये व्यय कर 15.70 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ;** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में आवंटन 39201.32 लाख रुपये के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक राशि रुपये 25763.58 लाख रुपये व्यय कर 5.36 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

1.55 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह के अंतर्गत कन्या की गृहस्थी के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 14.01.2019 में संशोधन कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को राशि रुपये 3000 प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रुपये 48000 संबंधित कन्या के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। वर्ष 2021-22 में आवंटन राशि रुपये 5000.00 लाख के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक राशि रुपये 457.40 लाख व्यय किये जाकर 229 कन्याओं के सामूहिक विवाह सम्पन्न कराये गये हैं। कोविड-19 के कारण सामूहिक कन्या विवाह नहीं हुई केवल कल्याणी विवाह सम्पन्न हुये।

1.56 मुख्यमंत्री निकाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत निराश्रित निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्याओं/विधवा/ परित्यक्ताओं के सामूहिक निकाह सम्पन्न कराने के लिये आर्थिक सहायता जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रुपये 3000 प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि 48000 संबंधित कन्या के बैंक खाते में जमा की जाती है। योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में आवंटन 400.00 लाख के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक राशि रुपये 47.75 लाख रुपये व्यय किये जाकर 93 हितग्राहियों का सामूहिक निकाह सम्पन्न कराया गया। कोविड-19 के कारण सामूहिक कन्या निकाह नहीं हुये केवल कल्याणी निकाह सम्पन्न हुये।

1.57 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना : अप्रैल, 2019 से इस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपति जिसमें पति/पत्नि में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याये हैं जीवित पुत्र नहीं, तथा हितग्राही आयकर दाता न हो तो उन को 600 रुपये प्रति माह पेंशन दी जावेगी। वर्ष 2021-22 में आवंटन 2000.00 लाख रुपये के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक 1180.44 लाख रुपये व्यय कर 61224 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

1.58 नगरीय विकास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना: भारत सरकार आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सभी 387 निकायों में परियोजना स्वीकृत है जिसमें 7.39 लाख आवासीय इकाइयों की स्वीकृति प्राप्त की गई, जिसमें 2.86 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण कर शहरी गरीबों को आवंटित किया जा चुका है। योजना अवधि में 9.00 लाख आवासीय इकाइयां बनाया जाना

लक्षित है। इसके अतिरिक्त 1.06 हजार हितग्राहियों को योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम घटक से भी लाभान्वित किया गया है।

1.59 स्मार्ट सिटी मिशन : इस योजना के तहत 463 प्रोजेक्ट लागत राशि रूपये 8114.70 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 243 प्रोजेक्ट लागत राशि रूपये 10986 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। 99 प्रोजेक्ट लागत राशि रूपये 5906.60 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है। 20 प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि रूपये 649.70 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है। **भारत सरकार के India Smart City Award 2020 के अंतर्गत भोपाल स्मार्ट सिटी के प्रथम स्थान एवं इंदौर स्मार्ट सिटी को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। देश में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।**

1.60 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) : वर्ष 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश के 06 प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के 27 शहर स्टार रेटिंग प्राप्त करने में भी सफल रहे हैं। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को नागरिक आवासों से कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। जिनके माध्यमसे शत प्रतिशत वार्डों से प्रतिदिन सूखा व गीलाकचरा संग्रहण किया जाता है। सूखे कचरे के निष्पादन हेतु 256 नगरीय निकायों में 275 मटेरियल रिकवरी फेसिलिटीज की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा 343 शहरों में केन्द्रीयकृत कंपोस्टिंग इकाइयों की स्थापना की गई है जहां गीला कचरा कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा 2.6 लाख से अधिक जागरूक परिवारों द्वारा भी अपने घरों से निकलने वाले गीले कचरे की होम कंपोस्टिंग की जाती है।

प्रदेश से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रीवा, जबलपुर एवं सिंगरौली आदि में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट हेतु निष्पादन इकाइयों और छोटे शहरों में संग्रहण एवं भंडारण व्यवस्थाओं को संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 27 शहरों को स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जिसमें शहर की संख्या 5 स्टार इंदौर 3 स्टार शहर 09 एवं एक स्टार शहर 17 है।

1.61 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान मेला प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में लगने वाले मेलों में उचित प्रबंध हेतु अनुदान देकर मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों को अनेकों सुविधाये उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3 मेलों हेतु कुल राशि रूपये 65.66 लाख राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्राधिकरण द्वारा जिला दतिया, में तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु तीर्थ यात्री सेवा सदन का निर्माण पूर्ण हो गया है। शिवपुरी एवं जिला आगर मालवा में माँ बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा में प्रस्तावित रतनगढ़ परिसर में तीर्थ यात्री सेवा सदन का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में तीर्थयात्रा में

सुविधाजनक हो इस हेतु तीर्थ यात्री विश्राम गृह तीर्थ मेला एवं देवस्थान प्रबंधन से संबंधित पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।

प्रदेश में स्थित शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 43 मंदिरों को लगभग कुल राशि रुपये 5.62 करोड़ का आवंटन किया गया है साथ ही जिलों में शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को मानदेय माह दिसम्बर, 2021 तक लगभग राशि रुपये 17.94 करोड़ का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राशि रुपये 32.00 करोड़ का प्रावधान मानदेय वितरण हेतु किया गया है।

राज्य आनंद संस्थान की गतिविधियां आनंदक के सहयोग से चल रही है। जिसमें 60.00 हजार से अधिक आनंद के रूप में स्वयंसेवकों का पंजीयन कराया गया है। अल्पविराम कार्यक्रम शांत समय में आत्म परिक्षण एवं स्वप्रेरणा से परिवर्तन लाने के उद्देश से प्रदेश में 233 आनंदम सहयोगी तथा 35 मास्टर ट्रेनर को प्रोत्साहित किया गया है। कोरोना काल के चलते प्रदेश में प्रतिभागी ऑनलाईन आयोजन किये जा कर लाभान्वित हुये। साथ ही प्रदेश के 51 जिलों में कुल 172 निर्धारित स्थानों पर आनंदम केन्द्र संचालित है। यह स्थल स्वैच्छिक रूप से बिना किसी शासकीय आर्थिक सहायता के स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे है।

अध्याय 02

लोक वित्त

लोक वित्त

2.1 सिंहावलोकन :

मध्यप्रदेश के प्रमुख राजकोषीय द्योतकों का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है, मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य में रहने के बाद वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में रूपये 21375.91 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। राजस्व व्यय में बजट अनुमान की अपेक्षा पुनरीक्षित अनुमान में कम राशि प्राप्त होने के कारण राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के प्रयास किये गये। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान में राज्यों को केन्द्रीय करों में दी जाने वाली हिस्सेदारी की राशि को बहुत कम किया गया। इस कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को रूपये 4443 करोड़ के अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी गई इस अनुमति के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा म.प्र. राजकोषीय उतरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में 2019-20 में संशोधन किया गया है तथा इस आधार पर वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।

तालिका 2.1
राजकोषीय घाटा

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2019-20	2020-21 (पुअ)	2021-22 (बजट अनुमान)
राजस्व आधिक्य	(-)2800.95	(-)21375.91	(-)8293.50
राजकोषीय (वित्तीय) घाटा	32969.69	52265.55	50938.22
प्राथमिक घाटा	18753.17	35806.91	29995.41
राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	3.64%	5.51%	4.50%
राजस्व आधिक्य का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	(-)0.31%	(-)2.25%	(-)0.73%
ब्याज भुगतान का प्रतिशत राजस्व प्राप्ति से	9.63%	12.00%	12.72%

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान

(ब.अ.)=बजट अनुमान

2.2 प्राप्तियां : राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है। वर्ष 2016-17 तथा 2021-22 के मध्य कुल प्राप्तियों से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 72 प्रतिशत से अधिक रहा है।

तालिका 2.2
राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पु.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	123306.79	134875.39	150391.78	147643.35	137169.31	164677.45
शुद्ध लोक ऋण	24922.00	16115.78	18973.70	23430.79	52286.25	49463.61
उधार वसूली	796.26	5088.83*	83.67	59.27	71.25	1507.50
शुद्ध लोक लेखा	1679.10	5988.84	(-)-326.90	8579.14	306.25	305.69
आकास्मिकता निधि से शुद्ध प्राप्तियां(असमायोजित राशि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्राप्तियां	150704.15	162068.84	169122.24	179712.55	189833.06	215954.25
राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)	81.82	83.22	88.92	82.16	72.26	76.26

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ.)=बजट अनुमान।

* विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋणों की वित्तीय पुर्नसंरचना एव उदय योजना के कारण यह वृद्धि परिलक्षित हुई है । राशि रूपये 7361 करोड ऋण उदय योजना अन्तर्गत शामिल।

2.3 राज्य का स्वयं का कर राजस्व : राज्य की राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 में एवं प्रमुख कर राजस्व मद में प्राप्तियाँ तालिका 2.4 में दर्शायी गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के मध्य राज्य के कर राजस्व में वृद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 4.97 प्रतिशत रही है।

तालिका 2.3
राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृत्ति (%) (औसत)	2021-22 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
राज्य कर	44193.78	44810.85	51126.49	55855.05	53147.12	4.97	64913.99	22.14
केन्द्रीय करों में	46063.97	50853.07	57353.09	49486.25	43373.46	(-)0.72	52246.68	20.46
राज्य का हिस्सा								
केन्द्रीय अनुदान	23962.53	30150.29	28624.68	31952.49	30933.65	7.30	35774.61	15..65

(पु.अ.) = पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.) = बजट अनुमान

* राज्य जी.एस.टी. के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति शामिल।

तालिका 2.4
राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि

(करोड़ रुपये में)

स्वयं के कर राजस्व	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृत्ति (%) (औसत)	2021-22 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
भू-राजस्व	406.65	490.99	383.91	562.37	400.00	4.14	850.00	112.5
स्टाम्प व पंजीयन	3925.43	4788.51	5277.99	5568.59	5800.00	10.47	6495.00	11.98
राज्य उत्पाद शुल्क	7532.59	8245.01	9542.15	10829.35	9300.00	6.14	12109.00	30.20
बिक्री व्यापार आदि पर कर	22561.12	14984.03	9903.24	11257.71	12750.00	(-)10.14	14240.00	11.69
वाहन कर	2251.51	2691.62	3008.26	3251.23	2640.00	5.15	3600.00	36.36
माल तथा यात्रियों पर कर	3805.04	1159.30	117.50	145.02	90.00	(-)43.48	50.00	(-)44.44
विद्युत कर तथा शुल्क	2620.53	2590.29	2616.29	2268.00	3150.00	6.36	3100.00	(-)1.59

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

2.4 राज्य के करेत्तर राजस्व : राज्य के प्रमुख करेत्तर राजस्व मदों में वर्षवार प्राप्तियां तालिका 2.5 में दर्शाई गई हैं। राज्य के करेत्तर राजस्व में उतार-चढ़ाव परिलक्षित हैं।

तालिका 2.5
राज्य के करेत्तर राजस्व की वृद्धि

(करोड़ रुपये में)

करेत्तर राजस्व	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृत्ति (%) (औसत)	2021-22 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
वानिकी और वन्य जीवन	917.98	1112.25	2009.76	834.26	1114.00	19.22	1311.26	17.71
सिंचाई अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	574.36	523.90	1230.51	406.59	368.51	12.44	441.73	19.87
	3168.28	3640.72	3933.56	4320.22	4350.00	8.37	5950.00	36.78

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

2.5 केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा : पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश के लिए वितरण योग कर का अंश 7.886 प्रतिशत निश्चित किया है, जबकि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा यह अंश 7.548 प्रतिशत निश्चित किया गया था।

2.6 व्यय : लोक व्यय एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना उपलब्ध कराती है। अतः लोक व्यय का आकार, संरचना तथा उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक है। राज्य के आयोजना तथा आयोजनेतर व्यय का विवरण तालिका 2.6 में हैं।

तालिका 2.6
राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृत्ति (%) (औसत)	2021-22 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
राजस्व व्यय	119537.37	130246.09**	141577.21	150444.30	158545.23	7.33	172970.95	9.10
पूंजीगत व्यय	27288.32*	30913.22**	29424.19	29241.48	29670.66	2.33	40666.76	37.06
ऋण एवं अग्रिम	4940.93	1550.19	1090.71	986.54	1290.23	(-19.26)	3485.47	170.14

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

- * विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजना अंतर्गत 7568 करोड़, (4011 करोड़ राजस्व तथा 3557 करोड़ पूंजीगत) की सहायता।
- ** विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजना अंतर्गत 611 करोड़ राजस्व तथा 4011 करोड़ पूंजीगत का समायोजन।

लोक व्यय का एक अधिक उपयुक्त वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय का स्तर लोक निवेश के स्तर को दर्शाता है, जो केवल लोक आस्तियों को नहीं बनाता, बल्कि निजी निवेश को भी त्वरित गति से बढ़ाता है। राज्य शासन को कठिन बजट बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये। पिछले कुछ वर्षों में राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए ऋण पर निर्भरता कम हुई है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 2.33 प्रतिशत रही है।

2.7 लोक ऋण : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 209019.47 करोड़ रुपये अनुमानित है। शुद्ध लोक ऋण की संरचना तालिका 2.7 में दर्शायी गई है। लोक ऋण का 60.80 प्रतिशत बाजार से लिया गया ऋण है तथा अल्प बचत का योगदान 11.76 प्रतिशत है।

तालिका 2.7
शुद्ध लोक ऋण

(करोड़ रुपये में)

स्त्रोत वर्ष	31 मार्च, 2020	कुल का प्रतिशत	31 मार्च, 2021 (पु.अ.)	कुल का प्रतिशत
बाजार से उधार लेना	115367.71	57.74	154020.67	60.80
केन्द्र	21035.97	10.53	31040.16	12.25
वित्तीय संस्था	17573.66	8.79	18262.12	7.21
अल्पबचत	26851.37	13.44	29792.01	11.76
अन्य (भविष्य निधि, समूह बीमा आदि)	18988.70	9.50	20220.64	7.98
योग	199817.41	100.00	253335.60	100.00
घटाईये				
राज्य को देय बकाया ऋण	43085.15		44316.13	
शुद्ध लोक ऋण	156732.26		209019.47	

अध्याय 03

बचत एवं
विनियोजन

बचत एवं विनियोजन

बैंकिंग

घरेलू बचत को प्रोत्साहित करते हुए उसे वित्तीय बाजार में संचारित करने में बैंकिंग संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। बैंकों द्वारा घरेलू बचत राशि के सुरक्षित विनियोजन का अवसर प्रदान किया जाता है तथा इस बचत राशि का कृषि, उद्योग, सेवा, आदि क्षेत्रों हेतु निवेश के लिये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

3.1 बैंक शाखा नेटवर्क : प्रदेश में बैंक शाखा नेटवर्क की क्षेत्रवार संख्या तालिका 3.1 में दी गई है। प्रदेश में विभिन्न बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। गतवर्ष कातिपय बैंको के संविलियन होने के कारण संविलियत बैंको की शाखाओं को आपस में मर्ज करने के फलस्वरूप बैंक शाखाओ की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो सकें। वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर, 2021 तक ग्रामीण शाखाओं में 6 तथा अर्द्धशहरी शाखाओं में 5 एवं शहरी शाखाओं 4 की वृद्धि परिलक्षित हुई है वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह में प्रदेश में कुल 15 शाखाओं की वृद्धि दर्ज हुई है।

तालिका 3.1

बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार

बैंक का प्रकार	मार्च-2020	मार्च-2021	सितम्बर - 2021
ग्रामीण बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1520	1488	1483
सहकारी बैंक	297	297	297
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	854	854	854
स्मॉल फायनेंस बैंक	41	69	80
आई.पी.पी.बी.	---	---	---
योग	2712	2708	2714
अर्द्धशहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1692	1685	1683
सहकारी बैंक	470	470	470
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	318	318	318
स्मॉल फायनेंस बैंक	108	123	130
आई.पी.पी.बी.	---	---	---
योग	2588	2596	2601

बैंक का प्रकार	मार्च-2020	मार्च-2021	सितम्बर-2021
शहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	2215	2248	2253
सहकारी बैंक	110	110	110
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	148	148	148
स्मॉल फायनेंस बैंक	143	180	179
आई.पी.पी.बी.	42	42	42
योग	2658	2728	2732
कुल बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	5427	5421	5419
सहकारी बैंक	877	877	877
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1320	1320	1320
स्मॉल फायनेंस बैंक	292	372	389
आई.पी.पी.बी.	42	42	42
योग	7958	8032	8047

3.2 जन धन योजना: प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल 11,864 सब सर्विस एरिया निर्धारित है। इस योजना अंतर्गत माह जनवरी, 2022 तक 368.82 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जाकर 289.12 लाख से अधिक खाताधारकों को रूपे कार्ड जारी किये जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इन दोनों योजनाओं के तहत क्रमशः रुपये 12 प्रतिवर्ष के बीमा प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा रुपये 2.00 लाख तथा रुपये 330 प्रतिवर्ष के बीमा प्रीमियम पर जीवन बीमा रुपये 2.00 लाख का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इन दोनों बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में माह जनवरी, 2022 तक क्रमशः 174.05 लाख तथा 58.68 लाख खाताधारको को बीमित किया गया है।

3.3 वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी): प्रदेश के सभी जिलों में संबंधित अग्रणी जिला बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी) की स्थापना की गई है। वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्रों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में वित्तीय साक्षरता हेतु समय-समय पर कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

3.4 बैंकिंग के मुख्य सूचकांक : बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के आकार का आंकलन मुख्यतः जमा, अग्रिम, विनियोजन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अग्रिम, कृषि अग्रिम, सीधे कृषि अग्रिम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को अग्रिम, तृतीयक क्षेत्र को अग्रिम, कमजोर वर्ग को अग्रिम आदि सूचकांकों से किया जाता है। प्रदेश के लिये विगत वर्षों में इन सूचकांकों का विवरण तालिका 3.2 तथा 3.3 में दिया गया है।

बैंकों में कुल जमा राशि में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान 9.69 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में माह सितम्बर, 21 तक कुल जमा राशि में 4.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिम राशि में 5.93 प्रतिशत की दर से वर्ष 2018-19 से 2021-22 में माह सितम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान वृद्धि परिलक्षित है। वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक कुल अग्रिम राशि में 1.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल अग्रिम में वृद्धि की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम के समान अवधि में 0.51 प्रतिशत की वृद्धि ही परिलक्षित हुई है। कृषि क्षेत्र में सीधे फसल ऋण अग्रिम में समान अवधि में 1.46 प्रतिशत की वृद्धि रही। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को दिये अग्रिम में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक की अवधि में गत वर्ष की तुलना में 2.16 प्रतिशत की कमी हुई है। कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर, 2021 तक की अवधि में 74.96 प्रतिशत रहा है।

तालिका 3.2

बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक

(करोड़ रुपये में)


विवरण	मार्च - 19	मार्च -20	मार्च - 21	सितम्बर - 2021	मार्च -19 से सितम्बर- -21 तक वृद्धि दर
कुल जमा	393177	423556	488688	510284	9.69
कुल अग्रिम	307354	332321	358785	362995	5.93
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	184867	204332	219030	220148	6.11
कृषि अग्रिम	102143	109952	117797	119516	5.55
सीधे कृषि अग्रिम	75284	84143	85372	89584	5.51
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में अग्रिम	55745	60228	65696	64280	5.58
कमजोर वर्ग को अग्रिम	77069	76196	79939	98797	8.25

तालिका 3.3

राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना

विवरण	राष्ट्रीय मानक	मार्च- 19	मार्च- 20	मार्च- 21	सितम्बर- 2021
साख-जमा अनुपात	60%	78.17%	73.42%	73.99%	71.14%
कुल अग्रिम का प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	40%	60.15%	61.49%	61.05%	60.65%
कुल अग्रिम का कृषि अग्रिम	18%	33.23%	33.09%	32.83%	32.92%
कुल अग्रिम का कमजोर वर्ग को अग्रिम	10%	22.90%	22.92%	22.28%	27.22%

चित्र 3.1
राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति



3.5 साख जमा अनुपात: वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर, 2021 तक प्रदेश का साख-जमा अनुपात 71.14 प्रतिशत रहा है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है परंतु गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की प्रथम छः माही में साख-जमा अनुपात में 3.11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला स्तर पर न्यूनतम 40 प्रतिशत साख जमा अनुपात के निर्देश हैं। माह सितम्बर, 2021 को समाप्त छः माही पर प्रदेश के 9 जिलों यथा सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, रीवा भिण्ड, निवाड़ी, मण्डला, तथा सीधी का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम पाया गया है। 14 जिलों का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच है। 18 जिलों का साख-जमा अनुपात अभी भी 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है, जबकि 11 जिलों का यह अनुपात शतप्रतिशत से भी अधिक है।

3.6 साख योजना का क्रियान्वयन : बैंकिंग समुदाय द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक साख योजना तैयार कर जिलेवार एवं बैंक वार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। वार्षिक साख योजना के क्रियान्वयन का विवरण तालिका 3.4 में है। प्रदेश में कृषि एवं सम्बन्ध गतिविधियों के लिये ऋण वितरण स्थिर परिलक्षित हो रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ऋण वितरण में निरंतर सुधार हो रहा है। लघु उद्योगों के लिये ऋण वितरण में वृद्धि के फलस्वरूप ही इन उद्योगों की गतिविधियों में विस्तार होने का संकेत है।

तालिका 3.4
वार्षिक साख योजना की उपलब्धि

(करोड़ रुपये में)

गतिविधियां	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (सितम्बर -21 तक)
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	66478	64965	72480	42820
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	30615	31114	33563	24437
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	6483	6974	9714	6085
योग	103576	103053	115757	73342
अप्राथमिकता क्षेत्र	36153	12912	52518	95087
कुल योग	139729	115965	168275	168429

3.7 कमजोर वर्ग को साख: प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा महिला वर्ग को निर्गमित साख का वर्षान्त पर शेष का विवरण तालिका 3.5 में है।

तालिका 3.5
कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	सितम्बर - 2021	मार्च-18 से सितम्बर-20 तक वृद्धि दर
महिलाओं को अग्रिम	32039	32572	37747	37558	6.44
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग	17868	19571	21405	37656	26.19
अल्पसंख्यक समुदाय	11459	9898	4399	11440	[-] 7.84

3.8 सूक्ष्म वित्त : वर्तमान परिदृश्य में स्व-सहायता समूहों द्वारा बचत के साथ-साथ नये व्यवसायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विकास करते हुए व्यवसाय में वृद्धि का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु 'एन.आर.एल.एम.' तथा शहरी क्षेत्र हेतु 'एन.यू.एल.एम' नाम से मिशन संचालित किये जा रहे हैं। इन दोनों मिशन अंतर्गत बैंकों एवं स्व-सहायता समूहों के मध्य लिंकेज की गतिविधियां संचालित की जा रही है। माह सितम्बर, 2021 तक कुल 3.17 लाख समूहों को सेविंग लिंक किया गया तथा 1.38 लाख समूहों को क्रेडिट लिंक किया गया ।

3.9 गृह निर्माण अग्रिम: बैंकों एवं हाउसिंग फायनेंस कम्पनियों द्वारा प्रदेश की जनता को सामान्य आवास ऋण के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। माह सितम्बर, 2021 तक कुल राशि रुपये 44391.67 करोड़ का आवास ऋण शेष है ।

3.10 किसान क्रेडिट कार्ड: बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड धारी किसानों को रुपये किसान कार्ड जारी किये जा रहे हैं। माह सितम्बर, 2021 तक कुल 63.12 लाख किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं ।

3.11 बैंक की अतिदेय राशि की वसूली : बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम की समय पर वसूली साख रिसाईक्लिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कतिपय कारणों से बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्गमित अग्रिम की समय पर वसूली नहीं होने तथा लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात वसूली की संभावना नहीं होने पर बैंक द्वारा ऐसी राशि को नॉन-परफार्मिंग सम्पत्ति मानते हुए प्रावधान करना होता है।

बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली हेतु प्रदेश में म.प्र. लोक धन (शोधय राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 लागू है। उक्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राजस्व अधिकारियों द्वारा बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली की जाती है।

3.12 आर.आई.डी.एफ. योजना अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति : भारत सरकार की योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधोसंरचना विकास परियोजनाओं (आर.आई.डी.एफ.) हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं स्वीकृत राशि का विवरण तालिका 3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं एवं ऋण राशि का विवरण
(करोड़ रुपये में)

परियोजना क्षेत्र	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22 (दिसम्बर -21 तक)	
	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
सिंचाई	5	1905.85	2	2142.86	2	1909.64
सड़क	115	297.28	-	-	-	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	11	61.42	-	-	-	-
ग्रामीण पेयजल वितरण	4	199.95	9	615.63	2	1126.16
कुल योग	135	2464.50	11	2758.49	4	3035.80

3.13 बचत जमा की सुरक्षा हेतु निक्षेपकों के हितों का संरक्षण : देश की जनता द्वारा बचत राशि को विनियोजित करते हुए आय के संसाधन बढ़ाए जाते हैं। पूर्व वर्षों में बचत राशि को मुख्यतः बैंक, बीमा, डाकघर आदि में जमा रखा जाता था किन्तु पिछले कुछ समय से नॉन-बैंकिंग फायनेन्स कम्पनियां भी विभिन्न तरीकों से राशि एकत्र करने का कार्य कर रही हैं। प्रदेश में निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने हेतु "मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000" लागू है। भारत सरकार द्वारा "दि बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019" लागू किया गया है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति तथा विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है।

बीमा क्षेत्र

3.14 जीवन बीमा : बीमा क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी घरेलू बचत को वित्तीय बाजार में संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। ये संस्थायें प्रदेश के सुदूर अंचलों में बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंच कर बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है।

निगम के द्वारा वैयक्तिक बीमा योजनाओं में मध्यम तथा समाज के कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के व्यक्तियों के लिये न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। निगम द्वारा अल्प प्रीमियम भुगतान क्षमता वाले लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म बीमा की विशेष प्रकार की पॉलिसियां भी उपलब्ध है। निगम के मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा व्यक्तिगत बीमा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों की स्थिति तालिका 3.7 में दर्शायी है।

तालिका 3.7
व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों की उपलब्धियाँ (मध्य क्षेत्र)

मद	2019-20	2020-21	2021-22 (दिस. 2021 तक)
पालिसी संख्या (लाख में)	14.01	14.33	8.35
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रुपये)	2488.32	2845.04	1225.89

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य क्षेत्र में न केवल बीमा पालिसियों एवं बीमित राशि में वृद्धि हो रही है, वरन निवेश, अधोसंरचना एवं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धता हासिल की गई है। निगम के मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा **पेंशन, समूह बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजना** की प्रगति को तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8
पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (मध्य क्षेत्र)

मद	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (दिस. 2021 तक)	
	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना
नये जीवनो की संख्या (लाख में)	23.28	7.79	3.85	0	3.90	0	0.93	0
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रुपये में)	1503.39	12.65	1511.69	0	1754.94	0	764.91	0

अध्याय 04

भाव, खाद्यान्न

उपार्जन एवं

वितरण

भाव, खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण

भाव स्थिति

4.1 कृषि जन्य पदार्थों के थोक भाव सूचकांक : राज्य स्तरीय कृषि जन्य पदार्थों के समूहों के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 =100) आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा तैयार किये जाते हैं। गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न, अखाद्यान्न एवं समस्त वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि अखाद्यान्न वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में 2.9 प्रतिशत की रही, सूचकांक गतवर्ष के 254.0 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 261.3 हो गया। इसी प्रकार खाद्यान्नों का थोक भाव सूचकांक वर्ष 2019-20 में 223.9 था जो 2.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2020-21 में 229.2 हो गया।

तालिका 4.1

कृषि पदार्थों के थोक भाव सूचकांक

(आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
खाद्यान्न	212.2	216.4	223.9	229.2
अखाद्यान्न	225.5	240.0	254.0	261.3
समस्त वस्तुएं	218.5	227.7	233.2	244.5

समस्त कृषि जन्य पदार्थों के समूह में थोक भाव सूचकांक वर्ष 2019-20 में 233.2 था जो वर्ष 2020-21 में 4.8 प्रतिशत बढ़कर 244.5 हो गया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आंकलन में औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016=100) तथा कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100) का समावेश किया जाता है ।

4.3 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश के चार केन्द्रों यथा- भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं छिन्दवाड़ा के साथ-साथ अखिल भारत के लिये यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 2016=100) तैयार किये जाते हैं औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्षवार विवरण तालिका 4.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.2
औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
आधार वर्ष (2016 = 100)

केन्द्र	2019		2020 माह अगस्त 2020 तक		2021	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
भोपाल	300	333	313	344	120	119
इन्दौर	310	288	328	301	119	117
जबलपुर	328	325	346	338	122	124
छिन्दवाड़ा	341	314	356	328	125	121

औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नवीन श्रृंखला आधार वर्ष नया किया जाने से माह सितम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 तक की जानकारी अप्राप्त है। वर्ष 2021 में राज्य के भोपाल, इन्दौर एवं छिन्दवाड़ा इकाई में सामान्य सूचकांक से खाद्य समूह सूचकांक में वृद्धि हुई तथा जबलपुर इकाई में कमी आयी है। वर्ष 2021 में खाद्य समूह सूचकांक सर्वाधिक छिन्दवाड़ा में 125 एवं सामान्य सूचकांक सर्वाधिक जबलपुर इकाई 124 में रहा है।

4.4 कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश राज्य के कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 1986-87=100) खाद्य एवं सामान्य दोनों समूहों के लिये तैयार किये जाते हैं, जिसका वर्षवार विवरण तालिका 4.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.3
कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार वर्ष 1986-87 = 100)

वर्ष	मध्य प्रदेश			
	कृषि श्रमिक		ग्रामीण श्रमिक	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
2016	742	789	748	811
2017	731	791	733	816
2018	734	802	736	826
2019	775	836	778	859
2020	815	871	819	891
2021 माह नव, 2021 तक	847	912	851	936

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत वर्ष से वर्ष 2021 में माह नव. 2021 तक कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह तथा सामान्य सूचकांक समूह दोनों में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण

4.5 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना :

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 28 श्रेणियों के परिवारों को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में (दिसम्बर, 2021) प्रदेश के 115 लाख परिवारों एवं 4.94 करोड़ जनसंख्या को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। माह सितम्बर, 2021 में अभियान चलाकर मृत, विवाहित एवं दोहरे जैसे अपात्र हितग्राही जिनके द्वारा राशन प्राप्त नहीं किया जा रहा था, को हटाया गया है, उनके स्थान पर वर्तमान में 50.00 लाख नवीन हितग्राहियों को जोड़ा जाकर लाभान्वित किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत हितग्राहियों को रुपये 1 प्रति किलो की दर से अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम तथा प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से उपलब्ध कराया जा रहा है।

4.6 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों को रियायती दर पर खाद्यान्न : प्रदेश के 5386 छात्रावास में रहने वाले अनुसूचित जाति के 69.60 हजार एवं जनजाति के 1.75 लाख छात्र/छात्राओं को 15.00 किलो प्रति छात्र के मान से रुपये 1 प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

4.7 आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था (AePDS) :

- प्रदेश की सम्पूर्ण 25723 उचित मूल्य दुकानों पर सेवाप्रदाता के माध्यम से पीओएस मशीन लगाई जाकर राशन सामग्री का वितरण करवाया जा रहा है।
- माह अक्टूबर, 2019 से प्रदेश में **AePDS** का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों का सत्यापन बायोमेट्रिक के आधार पर कर राशन वितरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था में वृद्धजन/निःशक्तजन को दुकान तक राशन सामग्री प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखकर उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति (नामित) के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। पात्र हितग्राहियों को eKYC की सुविधा पीओएस मशीन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

- प्रदेश के लगभग 24.89 हजार ऑनलाईन उचित मूल्य दुकान के पात्र हितग्राही किसी भी दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में लगभग 5.28 लाख परिवार प्रतिमाह पोर्टेबिलिटी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- पात्र हितग्राहियों को eKYC की सुविधा पीओएस मशीन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। अभी तक 93.07लाख हितग्राहियों के eKYC किये जा चुके हैं।

4.8 वन नेशन-वन राशनकार्ड :- प्रदेश में वन नेशन- वन राशनकार्ड व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सम्मिलित समस्त पात्र परिवार प्रदेश की 24.92 एवं अन्य 26 राज्यों अन्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपनी हकदारी का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

4.9 नॉमिनी पॉलिसी :- आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य का आधार पंजीयन न हुआ हो, सभी सदस्यों के आधार सत्यापन विफल होने एवं परिवार के सभी सदस्यों की उम्र 60 वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष के कम होने पर अथवा परिवार के सभी सदस्यों के दिव्यांग होने पर उनके द्वारा नामांकित व्यक्तियों को राशन वितरण की नीति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसके तहत नामांकित व्यक्तियों को बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन का वितरण किया जा सके एवं कोई भी परिवार राशन से वंचित न रहे।

4.10 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) :- NFSA अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 माह मार्च 2022 तक अतिरिक्त रूप से 5 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न प्रति परिवार निःशुल्क वितरण कराया गया। इस प्रकार प्रत्येक NFSA अंतर्गत पात्र हितग्राही को प्रति माह 5 किलो के स्थान पर 10 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह प्रदाय भी किया गया है।

4.11 शक्कर वितरण :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के रूप में चिन्हित कर अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों को 20 रुपये प्रति किलो की दर से शक्कर का वितरण किया जाता है। योजनान्तर्गत 14.05 लाख परिवारों को माह नवम्बर, 2021 तक एक किलोग्राम प्रति परिवार के मान से 1316.3 मीट्रिक टन आवंटन जारी किया गया है।

4.12 आदिवासी विकासखण्डों में डबल फोर्टिफाईड नमक का वितरण :- प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 6437982 पात्र परिवारों के सदस्यों में आयरन एवं फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिये माह जनवरी, 2022 से डबल फोर्टिफाईड नमक वितरण प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को रुपये एक प्रति किलो की दर से एक किलो डबल फोर्टिफाईड नमक वितरण किया जाता है ।

4.13 नवीन उचित मूल्य दुकानों का आवंटन :- उपभोक्ताओं को अपनी राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु अधिक दूरी तय न करना पड़े, इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत पर उचित मूल्य दुकान खोली जाना है। नवीन दुकान आवंटन में एक तिहाई दुकानें महिलाओं की संस्थानों को देने का प्रावधान किया गया है। नवीन दुकानों की स्थापना हेतु ऑनलाईन आवंटन की व्यवस्था की गई है। विगत एक वर्ष में 93 नवीन दुकानों का आवंटन किया गया है ।

4.14 उपार्जन(गेहूं) :-

- रबी विपणन वर्ष 2021-22 में 17.17 लाख किसानों से 128.16 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है ।
- उपार्जित गेहूं की कुल राशि रुपये 25303.00 करोड़ किसानों को भुगतान की गई, जो विगत वर्ष से राशि रुपये 496.09 करोड़ अधिक है ।

4.15 उपार्जन (धान) :-

- खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 6.61 लाख किसानों द्वारा 45.86 लाख मीट्रिक.टन धान का समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन किया गया है ।

4.16 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत कुल 79.42 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं ।


अध्याय 05

कृषि

कृषि

मध्य प्रदेश में कृषि ग्रामीण जनसंख्या के लिये रोजगार एवं आजीविका की दृष्टि से मुख्य साधन है। राज्य में कृषि अभी भी परम्परागत है तथा वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। फसल क्षेत्र की उक्त स्थिति को देखते हुये फसल क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने की महती आवश्यकता को रेखांकित कर रही है। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है तथा आर्थिक गतिविधियों, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से निकटता से जुड़ी है। वर्ष 2021-22 (अ.) के दौरान फसल क्षेत्र में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फसल क्षेत्र की विकास दर को चित्र 5.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 5.1
फसल क्षेत्र में विकास दर



मौसम एवं फसल की स्थिति

5.1 कृषि क्षेत्र का निष्पादन प्रायः वर्षा, मौसम, विद्युत एवं सिंचाई के उपलब्ध साधनों इत्यादि पर निर्भर रहता है। कृषि उत्पाद पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रभाव भी इन्हीं घटकों से पड़ता है ।

मध्य प्रदेश में वर्षा का सामान्य मौसम माह जून से प्रारंभ होकर सितम्बर तक होता है तथा सामान्य औसत वर्षा 1024.3 मि.मी. है । वर्ष 2020 में (जून से सितम्बर) अवधि में 971.0 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी, जो सामान्य औसत वर्षा से 05.20 प्रतिशत कम रही। वर्ष 2021 में इसी अवधि में कुल वर्षा 941.6 मि.मी. दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से 8.07 प्रतिशत कम है । वर्षा की स्थिति का वर्षवार विवरण तालिका 5.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.1
वर्षा की स्थिति

माह	2018	2019	2020	2021	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
जून	99.4	73.1	203.3	157.8	- 22.38
जुलाई	438.0	434.7	380.6	426.7	12.11
अगस्त	634.8	912.0	846.2	703.7	- 16.84
सितम्बर	823.0	1346.9	971.0	941.6	- 3.03

स्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.2 प्रमुख फसलों क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन : वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में दलहन, तिलहन के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में क्रमशः 6.87 एवं 9.81 प्रतिशत की वृद्धि रही है। परन्तु इसी में अवधि में अनाज के क्षेत्रफल में 0.72 प्रतिशत की कमी रही। कुल फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में 2.01 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई ।

तालिका 5.2
प्रमुख फसलों का क्षेत्राच्छादान

(हजार हेक्टर)

समूह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में (वृद्धि /कमी का प्रतिशत)
अनाज	10049	12321	15426	15315	(-)0.72
दलहन	7480	6595	4889	5225	6.87
तिलहन	6642	6654	7471	8204	9.81
कुल (अन्य फसलों सहित)	24880	26132	28561	29427	3.03

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका 5.3
प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार टन)

समूह	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में (वृद्धि /कमी का प्रतिशत)
अनाज	34165	38243	53818	53847	0.05
दलहन	9469	6043	4784	6210	29.81
तिलहन	6947	7433	5420	5445	0.46
कुल (अन्य फसलों सहित)	52080	53127	65603	66921	2.01

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.3 खाद्यान्न : वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में धान, के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में, 10.64 एवं 13.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, गेहूँ के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में 3.80 एवं 4.11 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई। इसी अवधि में कुल खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में गतवर्ष से 1.11 एवं 2.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 5.4 तथा 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4

प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टर)

फसलें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20 गत वर्ष से 2020- 21 प्रतिशत वृद्धि/कमी
धान	2035	2812	3110	3441	10.64
मक्का	1353	1267	1537	1456	(-)5.27
गेहूं	5803	7722	10217	9829	(-)3.80
कुल खाद्यान्न (अन्य सहित)	17529	18916	20314	20540	1.11

स्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका 5.5

प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

(हजार मीट्रिक टन)

फसलें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
धान	7349	7926	11044	12502	13.20
मक्का	4813	4133	4489	4430	(-)1.31
गेहूं	20020	25276	37198	35669	(-)4.11
कुल खाद्यान्न (अन्य सहित)	43635	44286	58602	60055	2.48

स्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.3.1 धान : धान के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 10.64 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 3110 हजार हेक्टर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 3441 हजार हेक्टर हो गया। धान के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होने से उत्पादन में भी वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 13.20 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष 2019-20 के 11044 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 12502 हजार मेट्रिक टन हो गया ।

5.3.2 मक्का : मक्का के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 5.27 प्रतिशत की कमी हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2019-20 के 1537 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2020-21 में 1456 हजार हेक्टर हो गया इसी प्रकार मक्का के उत्पादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 1.31 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई एवं उत्पादन गत वर्ष 2019-20 में 4489 हजार मैट्रिक टन था जो घटकर वर्ष 2020-21 में 4430 हजार मैट्रिक टन हो गया ।

5.3.3 गेहूं : गेहूं के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 3.80 प्रतिशत की कमी हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2019-20 में 10217 हजार हेक्टर रहा जो घटकर वर्ष 2020-21 में 9829 हजार हेक्टर हो गया, इसी अवधि में गेहूं के क्षेत्रफल में कमी के साथ ही उत्पादन में भी 4.11 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है, और उत्पादन गत वर्ष के 37198 हजार मैट्रिक टन से घटकर वर्ष 2020-21 में 35669 हजार मैट्रिक टन रह गया।

5.4 दलहन : कुल दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में वृद्धि/कमी परिलक्षित रही। दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 5.6 तथा तालिका 5.7 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.6

दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टर)

फसलें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
अरहर	647	213	249	219	(-)12.05
चना	3590	3103	1926	2160	12.15
उड़द	1789	2437	1794	1314	(-)26.76
मूंग	228	291	465	902	93.98
मसूर	596	421	379	542	43.01
मटर	312	65	58	86	48.28
कुल दलहनी (अन्य सहित)	7480	6595	4889	5225	6.87

स्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका 5.7
दलहनी फसलों का उत्पादन

(हजार मीट्रिक टन)

फसलें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
अरहर	839	180	274	286	4.38
चना	1744	3997	3062	3590	17.24
उडद	137	1132	503	448	(-10.93)
मूंग	5385	280	590	1181	100.17
मसूर	679	329	294	615	109.18
मटर	322	50	48	90	87.50
कुल दलहनी (अन्य सहित)	9469	6043	4784	6210	29.81

स्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.4.1 अरहर : अरहर के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 12.05 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2019-20 में 249 हजार हेक्टर रहा जो घटकर वर्ष 2020-21 में 219 हजार हेक्टर हो गया परन्तु इसी प्रकार अरहर के उत्पादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 4.38 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और उत्पादन गत वर्ष 2019-20 के 274 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 286 हजार मेट्रिक टन हो गया ।

5.4.2 चना : चना के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 12.15 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष 2019-20 के 1926 हजार हेक्टर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 2160 हजार हेक्टर हो गया । चने के उत्पादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 17.24 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और उत्पादन गत वर्ष 2019-20 के 3062 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 3590 हजार मेट्रिक टन हो गया।

5.4.3 उडद, मूंग, मसूर एवं मटर : मूंग, मसूर एवं मटर के क्षेत्रफल में गत वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में क्रमशः 93.98, 43.01 एवं 48.27 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई साथ ही उत्पादन में भी क्रमशः 100.17, 109.18 एवं 87.50 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है, जबकि उडद के क्षेत्रफल में 26.76 एवं उत्पादन में गत वर्ष से 10.93 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है।

5.5 तिलहन : तिलहन के अन्तर्गत कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में 9.81 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2019-20 में कुल तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल 7471 हजार हेक्टर था जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 8204 हजार हेक्टेयर हो गया। किन्तु कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन में गत वर्ष से 0.46 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और उत्पादन वर्ष 2019-20 के 5420 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 5445 हजार मैट्रिक टन अनुमानित रह गया। कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 5.8 एवं तालिका 5.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.8

प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टर)

फसलें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
राई- सरसों	748	707	675	749	10.96
सोयाबीन	5010	5419	6194	6674	7.75
कुल तिलहन	6642	6654	7471	8204	9.81

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका 5.9

प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन

(हजार मीट्रिक टन)

फसलें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
राई सरसों	976	1041	1038	1307	25.92
सोयाबीन	5321	5809	3856	3370	(-)12.60
कुल तिलहन	6947	7433	5420	5445	0.46

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.6 राई-सरसों : राई-सरसों के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 10.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई इन फसलों का क्षेत्रफल गत वर्ष के 675 हजार हेक्टर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 749 हजार हेक्टेयर हो गया तथा इसी अवधि में राई-सरसों के उत्पादन में 25.92 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष के 1038 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1307 हजार मैट्रिक टन हो गया।

5.7 सोयाबीन : प्रदेश में मुख्य तिलहन फसल सोयाबीन के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 7.75 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष 6194 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 6674 हजार हेक्टेयर हो गया। इसी अवधि में सोयाबीन का उत्पादन गत वर्ष 2019-20 के 3856 हजार मैट्रिक टन से घटकर वर्ष 2020-21 में 3370 हजार मैट्रिक टन अर्थात् 12.60 प्रतिशत कमी के साथ उत्पादन हुआ है।

वाणिज्यिक फसलें

5.8 प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कपास एवं गन्ना हैं। वर्ष 2020-21 में गन्ना के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में कमी परिलक्षित रही। जबकि कपास के क्षेत्रफल में कमी परिलक्षित रही है किन्तु उत्पादन में वृद्धि रही है। इन फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़ों का वर्षवार विवरण तालिका 5.10 एवं 5.11 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 5.10

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टर)

फसलें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
गन्ना	98	108	125	95	(-)24.00
कपास	603	455	650	588	(-)9.54

स्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका 5.11

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

(हजार मीट्रिक टन)

फसलें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
गन्ना (गुड के रूप में)	543	528	741	544	(-)26.59
कपास (टन)	953	879	839	877	4.53

स्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.9 गन्ना : गन्ने की फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2019-20की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 24.00 प्रतिशत की कमी हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 125 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2020-21 में 95 हजार हेक्टर हो गया। गन्ने के उत्पादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21में 26.59 प्रतिशत की कमी हुई और उत्पादन गत वर्ष के 741 हजार मेट्रिक टन से घटकर वर्ष 2020-21 में 544 हजार मेट्रिक टन हुआ है।

5.10 कपास : कपास फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में 9.54 प्रतिशत की कमी हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 650 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2020-21 में 588 हजार हेक्टर हो गया । इस अवधि में कपास के उत्पादन में 4.53 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

कृषि विकास योजनाएं

5.11 कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बी.टी.कॉटन., रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रमाणित बीजों का वितरण परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन आयल सीड एण्ड आयल पॉम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना, **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** आदि कार्यक्रम संचालित है।

5.12 बी.टी.कॉटन : मध्यप्रदेश में बी.टी.कॉटन बीज का उपयोग वर्ष 2002-03 से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जी.ई.ए.सी. की अनुशंसा व निर्धारित शर्तों के अधीन जारी स्वीकृति उपरांत प्रारंभ हुआ। बी.टी. कॉटन के क्षेत्राच्छादान में कमी परिलक्षित हुई है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक के क्षेत्राच्छादन वितरित पैकेट संख्या का विवरण **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.12

बी.टी. कॉटन का क्षेत्राच्छादन एवं वितरित पैकेट संख्या

वर्ष	क्षेत्राच्छादन (लाख हेक्टर में)	वितरित पैकेट (लाख)
2017-18	6.03	20.65
2018-19	6.84	22.88
2019-20	6.51	16.08
2020-21	6.44	15.90
2021-22	6.16	15.21

स्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.13 रासायनिक उर्वरकों का वितरण : प्रदेश में नवम्बर 2021 तक 18.06 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों का वितरण कराया गया है। रासायनिक उर्वरकों के वितरण का विवरण (तत्वों में) वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक तालिका 5.13 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.13
रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(लाख मीट्रिक टन)

वर्ष	नत्रजन (N)	फास्फेट (P)	पोटाश (K)	कुल (N+P+K)
2017-18	12.63	6.55	0.98	20.16
2018-19	14.40	7.43	1.01	22.84
2019-20	15.38	7.71	1.08	24.17
2020-21	17.19	11.11	1.63	29.94
2021-22	10.54	6.56	0.96	18.06
नवम्बर 2021 तक				

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.14 पौध संरक्षण : फसलों को रोगों एवं कीड़ों आदि से होने वाली क्षति से बचाने के लिये पौध संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके अन्तर्गत फसल संरक्षण, बीजोपचार, चूहा नियंत्रण तथा नीदा नियंत्रण-उन्मूलन कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्मिलित हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक उपलब्धियों का विवरण तालिका 5.14 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.14
पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र

(लाख हेक्टर)

कार्यक्रम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 नवम्बर 2021
बीज उपचार	130.74	131.31	136.10	136.74	102.23
फसल उपचार	27.68	24.44	25.71	27.54	26.81
चूहा नियंत्रण	26.70	28.17	23.98	24.32	20.98
नीदा नियंत्रण	18.70	19.42	20.78	18.43	17.10
योग	203.82	203.34	206.57	207.03	167.12

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

बाक्स 5.1

एफ.पी.ओ

एफ.पी.ओ :- भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2020 से "Formation and Promotion of Farmer Producer Organizations (FPOs)" योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में आगामी वर्ष 2019-20 से 2027-28 तक संचालित इस योजना के अंतर्गत कृषक उत्पादक संगठनों को पर्याप्त बाजार और ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करना आर्थिक रूप से sustainable कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) को विकसित करना तथा पर्याप्त हेडहोल्डिंग और पेशेवर सहायता प्रदान करना है। प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) भोपाल को बनाया गया है तथा क्रियान्वयन एजेंसी लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (SFAC) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) है। योजनांतर्गत प्रदेश में नवीन कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में उक्त योजनांतर्गत 1130 नवीन एफ.पी.ओ. का गणन किया जा चुका है।

5.15 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना : वर्ष 2021-22 के कृषि बजट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसमें प्रत्येक किसान को 4000 रुपये (दो किशतो में) प्रदान किया जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को मिलाकर कुल 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। योजनांतर्गत माह नवम्बर 2021 तक राशि रुपये 3094.00 करोड़ व्यय की गई है।

5.16 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1775.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध राशि रुपये 905.23 करोड़ का एवं पुर्नविनियोजन हेतु राशि रुपये 16.45 करोड़ की मांग शासन से की गई है। योजना की मुख्य उपलब्धियों को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा

क्र.	विवरण	खरीफ 2019	रबी 2019-20	खरीफ 2020	रबी 2020-21
1.	बीमित किसान संख्या(लाख)	37.28	34.39	44.54	35.33
2.	बीमित क्षेत्रफल(लाख हे.)	51.71	47.45	70.71	51.64
3.	प्रीमियम में किसानों का अंश (करोड़ रु.)	310.07	201.67	559.47	301.94
4.	प्रीमियम में राज्यांश (करोड़ रु.)	1020.00	386.22	1737.19	972.75
5.	प्रीमियम में केन्द्रांश (करोड़ रु.)	1020.00	386.22	1737.19	972.75
6.	कुल प्रीमियम (करोड़ रु.)	2350.07	947.11	4033.85	2247.14
7.	दावा राशि भुगतान (करोड़ रु.)	5562.73	53.62	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन
8.	लाभान्वित कृषक (लाख)	24.50	0.97	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन

5.17 प्रमाणित बीजों का वितरण: राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के लिये बीजग्राम योजना, एवं अन्य योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में 42.52 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया। खरीफ वर्ष 2021 में 17.13 लाख प्रमाणित बीज के वितरण किया गया है तथा रबी वर्ष 2021-22 में 28.79 (लाख) क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर 2021 तक 13.04 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया एवं वितरण कार्य प्रगति पर है।

5.18 राज्य पोषित नलकूप खनन योजना: प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कृषकों हेतु वर्ष 2001 से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना में समस्त वर्ग के कृषकों हेतु सफल/असफल नलकूप खनन पर लागत का 75 प्रतिशत अथवा रुपये 25000 एवं सफल नलकूप पर पंप प्रतिष्ठापन पर कीमत का 75 प्रतिशत अथवा रुपये 15000 जो भी कम हो अनुदान देय है। वर्ष 2020-21 में भौतिक लक्ष्य 382.00 लाख के विरुद्ध 327.17 लाख का व्यय कर किसानों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 382.00 लाख बजट प्रावधान के विरुद्ध 21.53 लाख व्यय किये गये ।

5.19 बलराम तालाब योजना: राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन अनुसार पी.एम.के.एस.वाय. के अदर इंटरवेंशन घटक अंतर्गत वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक कुल 2827 बलराम तालाब के लक्ष्य के विरुद्ध राशि रुपये 69.20 लाख व्यय कर 80 बलराम तालाबों का निर्माण किया गया है।

केन्द्रीय योजनायें

5.20 परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेव्हीवाय) : योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में 99 क्लस्टर अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित प्रथम वर्ष हेतु प्रावधान की 25 प्रतिशत राशि रूपये 1312.74 लाख प्राप्त हुई है।

5.21 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: 14वें वित्तीय आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2025-26 तक निरंतर रखी जाना है। योजना में भारत सरकार द्वारा राज्यों को 60 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है, 40 प्रतिशत राज्यांश है। योजना में विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निगम, मंडलों द्वारा प्रस्तावित कृषकों की स्थानीय, विशिष्ट एवं सामयिक आवश्यकताओं पर आधारित प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जाते हैं जिसमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य बीज फार्म निगम को प्रोत्साहन, उद्यानिकी, रेशम पालन, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, कृषि विश्वविद्यालय एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, सहकारिता, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन, डेयरी विकास बोर्ड, कुक्कुट विकास निगम, मत्स्य महासंघ, जैविक प्रमाणीकरण संस्था, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन आधारित प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये है।

वर्ष 2020-21 में 161.03 करोड़ एवं वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर तक राशि रूपये 47.48 करोड़ रूपये के विरुद्ध राशि रूपये 45.95 व्यय किया गया।

5.22 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन "आत्मा" : विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढीकरण को ध्यान में रखते हुये नवीन योजना विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा भारत सरकार की सहायता से वर्ष 2005-06 से लागू की गई है। वर्ष 2014-15 से योजना भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नॉलाजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से लागू है। जिला स्तर पर आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं आत्मा मनेजमेंट कमेटी का गठन फर्म्स एण्ड सोसायटी एक्ट अंतर्गत पंजीयन किया गया है। विस्तार सुधार कार्यक्रम "आत्मा" का सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के रूप में क्रियान्वयन वर्ष 2014-15 से किया गया है।

योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में तक उपलब्ध राशि रूपये 7029.70 लाख में से राशि रूपये 5537.23 लाख व्यय की गई है। उपरोक्त लक्ष्यों में से मार्च 2020 तक प्रदर्शन 3806 (संख्या), कृषक संगोष्ठी 600 (संख्या), कृषि विज्ञान मेला 10 (संख्या), फार्म स्कूल 900

(संख्या), स्टाफ प्रशिक्षण 4267 मानव दिवस, कृषक प्रशिक्षण 26740 मानव दिवस, कृषक भ्रमण 33910 मानव दिवस, 3145 समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित किये गये एवं 1.22 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया। योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक उपलब्ध राशि रूपये 3089.93 लाख में से राशि रूपये 2717.51 लाख व्यय की गई है। मुख्य घटकों की प्रगति में प्रदर्शन 7825 (संख्या), कृषक संगोष्ठी 313 (संख्या), फार्म स्कूल 950 (संख्या), प्रशिक्षण 8650 मानव दिवस, जिलेवार कृषक समूह प्रशिक्षण 1565 मानव दिवस, कृषक भ्रमण 7450 मानव दिवस, 52 इंटरफेस विकास प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

5.23 एन.एम.एस.ए. (आर.ए.डी.) : यह योजना वर्ष 2014-15 से प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य समन्वित पद्धति को अपनाते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है। सूखा, बाढ़ एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों, एसेट्स के आधार पर स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुये धान्य, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है ।

योजनांतर्गत एक परिवार को अधिकतम 02 हेक्टर/वित्तीय राशि रूपये 1.00 लाख तक के लिए सहायता दिये जाने के प्रावधान है। योजना समन्वित कृषि पद्धति को अपनाने पर राशि रूपये 10.00 हजार से 40.00 हजार तक अनुदान प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल राशि रूपये 973.88 लाख का प्रावधान किया गया है।

5.24 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत आयल सीड एवं आयल पॉम: मिशन का उद्देश्य तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना है। जिसके अंतर्गत मुख्य घटक-बीज, तकनीकी हस्तांतरण, उत्पादन तकनीकी, सिंचाई यंत्र मशीनरी उपकरण है। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा 6429.30 लाख का एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया। योजनांतर्गत कुल राशि रूपये 5884.82 लाख रूपये उपलब्ध है। वर्ष 2021-22 में बजट राशि के विरुद्ध कुल राशि रूपये 477.19 लाख का आवंटन जिले को जारी किया गया है जिसके विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक राशि रूपये 401.90 लाख का व्यय किया गया है।

5.25 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक बहुयामी योजना है। वर्ष 2020-21 में उपलब्ध राशि रूपये 42597.82 लाख के विरुद्ध राशि रूपये 26313.50 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2021-22 में उपलब्ध राशि रूपये 36017.00 लाख के विरुद्ध माह नवम्बर 2021 तक राशि रूपये 2499.34 लाख का व्यय किया गया है।

5.26 स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना : स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में पायलेट आधार पर मॉडल विलेज कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें प्रदेश के 313 प्रति विकासखण्ड एक ग्राम चयनित किया जाकर काश्त योग्य प्रति खसरे से नमूना एकत्रीकरण कर विश्लेषण, स्वाइल हैल्थ कार्ड वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन एवं कृषि मेला आदि गतिविधियां आयोजित की गई हैं। कृषकों के काश्त योग्य कृषि से, 2.08 लाख मृदा नमूना एकत्रीकरण कर विश्लेषण उपरांत 1.86 लाख कृषकों को स्वाइल हैल्थ कार्ड वितरित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत 921 प्रदर्शन एवं 390 कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं।

प्रदेश में 50 विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ संचालित हैं। कृषकों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए 265 नवीन प्रयोगशालाओं को स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। 265 प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर यंत्रों की स्थापना के क्रम में 265 ए.ए.एस. प्रयोगशालाओं में स्थापित किये गये हैं।

5.27 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइकोइरीगेशन : योजना वर्ष 2015-16 से संचालित है। वर्ष 2020-21 में भौतिक लक्ष्य 3527 के विरुद्ध 11819 पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि रुपये 3262.59 लाख के विरुद्ध राशि रुपये 3007.61 लाख का व्यय कर 6729 किसानों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021-22 हेतु भौतिक लक्ष्य 11487 हेक्टर एवं वित्तीय लक्ष्य 3458.37 लाख के विरुद्ध राशि रुपये 1368.93 लाख का व्यय किया गया है।

कृषि यंत्रीकरण

प्रदेश में फार्म पावर की उपलब्धता वर्ष 2007-08 में 0.85 किलोवाट प्रति हेक्टर थी जो कृषि यंत्रीकरण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से वर्ष 2019-20 में बढ़कर 2.33 किलोवाट/हेक्टर हो गई है जो भारत की औसत फार्म पावर उपलब्ध 2.08 किलोवाट प्रति हेक्टर से अधिक है। आगामी तीन वर्षों में प्रदेश की फार्म पावर उपलब्धता को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बढ़ाकर 3.25 किवा/हेक्टर किये जाने का लक्ष्य है।

उद्यानिकी

5.28 उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उद्यानिकी संचालनालय द्वारा मुख्य रूप से मसाले, साग-सब्जी, फल, पुष्प, औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार हेतु कार्यक्रम संचालित है। उच्च तकनीकी से बेमौसम में फूलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना, उद्यानिकी में यांत्रिकीकरण, फसलोत्तर प्रबंधन, अधिकारियों/कर्मचारियों कृषकों को उद्यानिकी की आधुनिकतम तकनीकी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

राज्य पोषित योजनाएं :

5.29 फल पौध रोपण योजना : फल पौध रोपण योजना को संशोधित कर वर्ष 2016-17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश की भूमि जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों द्वारा ट्रिप सहित उच्च/ अति उच्च घनत्व के फल पौध रोपण कराने पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 3 वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टर एवं अधिकतम 4.00 हेक्टर के लिये अनुदान देय है। योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 1312.52 हेक्टर क्षेत्र में रोपण कर वित्तीय आवंटन राशि रुपये 1854.94 लाख के विरुद्ध राशि रुपये 1286.55 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 में 56.00 हेक्टर क्षेत्र में फल पौध रोपण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर 2021 तक 555.41 हेक्टर क्षेत्र में रोपण कर राशि रुपये 370.99 लाख आवंटन के विरुद्ध राशि रुपये 258.44 लाख किया गया है।

5.30 मसाला क्षेत्र विस्तार योजना : प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत सभी वर्ग के कृषकों के लिये उन्नत/संकर मसाला फसल (मिर्च, धनिया, मैथी, कलौंजी, जीरा और अजवाइन) सामान्य वर्ग हेतु उत्पादन व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 हजार रुपये एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु राशि रुपये 14.00 हजार प्रति हेक्टर जो भी कम होगा अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जड एवं कंद/प्रकंद वाली व्यवसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु सामान्य वर्ग को रोपण सामग्री की लागत 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 50.00 हजार एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु राशि रुपये 70.00 हजार प्रति हेक्टर जो भी कम होगा रोपण सामग्री अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 में 254.00 हेक्टर में विस्तार का लक्ष्य रखा गया था जिसकी पूर्ति 194.00 हेक्टर में गई है। तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 49.75 हेक्टर की पूर्ति कर आवंटन राशि रुपये 55.70 लाख के विरुद्ध राशि रुपये 40.90 लाख का व्यय किया गया है।

5.31 व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना : व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना में एकीकृत बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित मापदंड एवं बागवानी में प्लास्टिकलचर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.सी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्रॉइंग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्लिंग एवं प्लास्टिक लो-टनल इत्यादि का निर्माण कराने पर कृषकों को निर्धारित मापदंड अनुसार इकाई लागत कर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2020-21 में 191.96 हेक्टेयर में विस्तार किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 88.74 हेक्टेयर की पूर्ति कर वित्तीय आवंटन राशि रुपये 151.60 लाख के विरुद्ध राशि रुपये 86.45 लाख का व्यय किया गया है।

5.32 उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रिकरण को बढ़ावा देने की योजना : उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, अतः ऐसे कृषक अथवा कृषकों को निर्धारित किये गए आधुनिक यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2021-22 में लक्ष्य एवं आवंटन निरंक है।

5.33 बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम: राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजनांतर्गत प्रति हितग्राही को 75 रुपये सीमा तक उसकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पैकेट वितरित किये जाते हैं। वर्ष 2020-21 में पूर्व वर्ष का लंबित भुगतान किया गया है जो राशि रुपये 19.20 लाख का व्यय किया गया तथा वर्ष 2021-22 बजट प्रावधान शून्य है।

5.34 कृषक प्रशिक्षण : कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष 2020-21 में 11121 पर राशि रुपये 127.80 लाख रुपये प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय किया गया । वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 10230 कृषकों पर राशि रुपये 136.20 लाख व्यय किया गया है।

5.35 प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार-प्रसार : जिला एवं ब्लॉक स्तर पर फल, फूल एवं सब्जी आदि की प्रदर्शनी एवं सेमीनार आयोजित कर कृषकों को नवीन तकनीकी एवं विकास के कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं। वर्ष 2020-21 में 326 मेलों का आयोजन कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 95.48 लाख के विरुद्ध 75.87 लाख व्यय किया गया। तथा वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 245 मेलों का आयोजन कर वित्तीय आवंटन के विरुद्ध 53.87 लाख व्यय किया गया है।

5.36 खाद्य प्रसंस्करण : खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु नवीन नीति लागू की गई है, जिसमें नश्वर उत्पादों के भण्डारण हेतु दो वर्षों में 5 लाख मीट्रिक टन शीतगृह भण्डारण एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में 7.50 लाख मीट्रिक टन प्याज भण्डारण क्षमता वृद्धि तथा 1000 कोल्ड रूम निर्माण की योजना स्वीकृत कराई गई है।

नश्वर उत्पादों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज हेतु 7.50 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 4.82 लाख मीट्रिक टन क्षमता विकसित हो रही है।

5.37 मसाले : वर्ष 2019-20 में कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 7.56 लाख हेक्टेयर एवं 42.60 लाख मीट्रिक टन रहा है तथा वर्ष 2020-21 में कुल मसालों का क्षेत्रफल 8.24 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन 46.75 लाख मीट्रिक टन रहा है। प्रमुख मसालों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 5.15 एवं 5.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15
प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन

(हेक्टेयर में)

मसाले	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अंतिम अनुमानित	2020-21 अंतिम अनुमानित
मिर्च सूखी लाल	98538	94415	87839	88675	122198
अदरक	23153	23431	24964	27480	29762
लहसुन	156880	186179	178157	183714	193066
धनिया बीज	275763	279837	279980	292288	298950
कुल मसाले	711544	737972	724077	756167	823919
(समस्त मसाले सहित)					

तालिका 5.16
प्रमुख मसालों का उत्पादन

(लाख मीट्रिक टन में)

मसाले	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अंतिम अनुमानित	2020-21 अंतिम अनुमानित
मिर्च सूखी लाल	3.04	2.33	2.17	2.09	3.16
अदरक	3.73	3.77	4.14	4.38	4.78
लहसुन	17.80	18.82	18.08	18.69	19.83
धनिया बीज	3.87	3.90	3.78	3.95	4.01
कुल मसाले (समस्त मसाले सहित)	41.20	40.79	40.76	42.60	46.75

5.38 साग-सब्जी : वर्ष 2019-20 में कुल साग-सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 9.60 लाख हेक्टर एवं 190.43 लाख मीट्रिक टन रहा तथा वर्ष 2020-21 में अनुमानित साग सब्जी का क्षेत्रफल 10.48 लाख हेक्टर तथा उत्पादन 207.43 लाख मीट्रिक टन उत्पादन रहा है। प्रमुख साग-सब्जी फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण क्रमशः तालिका 5.17 व 5.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.17
प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

फसलें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अंतिम अनुमानित	2020-21 अंतिम अनुमानित
आलू	159997	136290	145737	149435	158133
शकरकन्द	4432	5188	5298	5814	6456
प्याज	150839	150886	149843	173887	191872
मटर हरी	95205	94988	98809	105209	111256
टमाटर	95395	84526	85412	92954	103775
फूल गोभी	46355	46470	48590	53895	58213
कुल सब्जी (समस्त सब्जी सहित)	869589	847742	867075	960200	1047988

तालिका 5.18
प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन

(लाख मीट्रिक टन में)

सब्जी	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अंतिम अनुमानित	2020-21 अंतिम अनुमानित
आलू	34.61	31.45	33.10	34.09	35.87
शकरकन्द	0.63	0.79	0.80	0.89	10.08
प्याज	38.21	37.01	36.83	42.71	47.24
मटर हरी	9.58	9.62	10.19	10.76	11.36
टमाटर	27.23	24.19	25.16	27.24	30.01
फूल गोभी	9.92	10.08	10.99	12.00	13.01
कुल सब्जी (समस्त सब्जी सहित)	172.69	168.60	172.81	190.43	207.43

5.39 फल : वर्ष 2019-20 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 3.87 लाख हेक्टर एवं 79.47 लाख मीट्रिक टन रहा तथा वर्ष 2020-21 में फलों का क्षेत्रफल (अनुमानित) 4.11 लाख हेक्टर रहा तथा उत्पादन 84.81 लाख मीट्रिक टन रहा है। प्रमुख फलों का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन वर्षवार विवरण तालिका 5.19 एवं 5.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.19
प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन

(हेक्टर में)

फल	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अंतिम अनुमानित	2020-21 अंतिम अनुमानित
केला	26970	26375	26541	26636	29482
आम	43609	45519	46719	52894	56785
मौसंबी/संतरा	129559	127538	132915	134567	137729
पपीता	10931	10549	10688	11346	12229
कुल फल (समस्त फलो सहित)	345373	347125	360648	386632	411084

तालिका 5.20
प्रमुख फलों का उत्पादन

(लाख मीट्रिक टन में)

फल	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अंतिम	2020-21 अंतिम
				अनुमानित	अनुमानित
केला	18.74	18.34	18.53	18.48	20.29
आम	5.89	6.55	6.68	7.47	7.99
मौसंबी/संतरा	17.99	22.15	22.61	22.84	23.29
पपीता	4.64	4.22	4.47	4.70	5.03
कुल फल (समस्त फलो सहि)	67.80	73.44	75.45	79.47	84.81

तालिका 5.21
प्रमुख पुष्पों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

पुष्प का नाम	वर्ष 2019-20 अंतिम अनुमानित		वर्ष 2020-21 अंतिम अनुमानित	
	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)
गेंदा	19586.22	256443.35	20736.33	270796.8
गुलाब	3645.50	35634.89	3608.01	33068.97
सेवन्ती	1228.15	15317.62	1492.95	19375.63
रजनीगंधा	236.06	2793.22	244.23	2896.36
ग्लेडूल्स	868.12	7418.48	941.07	7880.15
अन्य पुष्प	7072.23	68286.73	8705.64	78712.58
योग	32636.27	385894.29	35728.23	412730.49

तालिका 5.22
प्रमुख औषधि का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

औषधि का नाम	वर्ष 2019-20 अंतिम अनुमानित		वर्ष 2020-21 अंतिम अनुमानित	
	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)
अश्वगंधा	3985.05	5578.42	4342.19	6093.2
सफेद मुसली	1916.54	6045.24	1922.65	5957.35
ईसबगोल	14963.55	16336.61	15190.00	16614.8
कोलियस	465.18	2372.11	624.39	2995.73
अन्य औषधियां	17608.43	68685.70	10930.76	73016.83
योग	38938.75	99018.08	41009.99	104677.91
1 सुगंधित फसल	1830.37	3263.73	1979.47	3822.29
महायोग	2176404.42	31739034.52	2361707.86	34420387.68

केन्द्रीय योजनाएं :

5.40 एकीकृत बागवानी विकास मिशन :

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन दो गुना करना है। योजना के अंतर्गत निजी तथा शासकीय प्रक्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की पौध रोपण सामग्री तैयार करना। आँवला, संतरा अमरूद, सीताफल, आम, अनार एवं केले के नये बगीचे तैयार किये जाना है। इसके अलावा आम, अमरूद, संतरा, पपीता आदि के पुराने बगीचे का जीर्णोद्धार करना, मिर्च, धनियां एवं लहसुन मसाला फसलों एवं पुष्प फसलों का उत्पादन कार्यक्रम लेना, समन्वित कीट एवं पौषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, जलसंवर्धन हेतु तालाबों का निर्माण यंत्रीकरण, संरक्षित खेती एवं मानव संसाधन विकास तथा फसलोत्तर प्रबंधन आदि कार्यक्रम सम्मिलित है।
- वर्ष 2020-21 में वित्तीय आवंटन राशि रुपये 7214.25 लाख के विरुद्ध राशि रुपये 3080.88 लाख व्यय किये गये तथा वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक वित्तीय आवंटन राशि रुपये 4133.35 लाख के विरुद्ध राशि रुपये 894.90 लाख व्यय किए गए।

5.41 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 10274.61 हेक्टेयर में ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापित कर वित्तीय आवंटन राशि रुपये 11420.95 लाख व्यय किया गया तथा वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 23182.90 हेक्टर में ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापित कर वित्तीय आवंटन राशि रुपये 7187.50 व्यय किया गया है।

5.42 राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन : राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड के द्वारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश में औषधीय पौध मिशन वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है।

5.43 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत का प्रावधान है। योजनान्तर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं में 35 से 50 प्रतिशत अनुदान एवं शासकीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत सहायता का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 माह दिसम्बर 2021 तक 33 कृषि को 14.31 हेक्टर हेतु राशि रुपये 871.44 लाख व्यय किये गये हैं।

कृषि विपणन

कृषकों को समयावधि में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उनको विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में मंडी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में **मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड)** एक तीन स्तरीय संस्था जिसमें मुख्यालय, 7 आंचलिक कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा नर्मदापुरम एवं चंबल संभाग तथा 259 मंडियां एवं 298 उप मंडियां कार्यरत हैं ।

5.44 मंडियों में अधिसूचित जिन्सों की कुल आवक : प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में वर्ष 2020-21 में 347.84 लाख टन कुल आवक हुई। वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक प्रदेश की मंडियों में 293.71 लाख टन आवक हुई।

5.45 मंडियों की मण्डी फीस से आय : राज्य शासन द्वारा मंडियों की आय में वृद्धि हेतु किये जा रहे सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप मंडियों की आय में भी वृद्धि हो रही है । वर्ष 2020-21 में प्रदेश की मंडियों से रुपये 1011.58 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी। वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर 2021 तक 773.15 करोड़ की आय प्राप्त हुई।

5.46 कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि: वर्ष 2001 से माह नवम्बर 2021 तक इस निधि अन्तर्गत 657.98 करोड़ रुपये अर्जित किये गये हैं तथा ब्याज मद में राशि रुपये 197.86 करोड़ अर्जित किये गये हैं। शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा उपरांत विभिन्न संस्थाओं की परियोजनाओं के लिये राशि रुपये 489.06 करोड़ अनुदान स्वरूप प्रदाय किये गये हैं तथा ब्याज मद से राशि रुपये 162.69 करोड़ व्यय की गई है ।

5.47 गौ संरक्षण तथा संवर्धन निधि : गौ संरक्षण व संवर्धन हेतु राज्य शासन द्वारा कृषि अधोसंरचना निधि में जुलाई 2004 को संशोधन किया गया है। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक कुल रुपये 365.55 करोड़ अर्जित किये गये हैं तथा मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल को कुल 262.72 करोड़ रुपये प्रदेश की गौशालाओं को अनुदान प्रदान करने हेतु विमुक्त किये गये हैं ।

5.48 मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना : सितम्बर 2008 से लागू की गई है इस योजनांतर्गत वर्तमान में कृषक कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में कृषक की मृत्यु होने पर सहायता राशि रुपये 4.00 लाख, स्थायी अपंगता में राशि रुपये 1.00 लाख, अस्थायी अपंगता में राशि रुपये 50.00 हजार एवं अन्त्येष्टि सहायता राशि रुपये 4.00 हजार दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक 272 हितग्राहियों को राशि रुपये 996.88 लाख वितरित की गई है।

5.49 मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 : कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिये लागू की गई। योजना के अंतर्गत प्रसूति सहायता, विवाह, छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार, चिकित्सा सहायता दुर्घटना में स्थाई अपंगता एवं मृत्यु की स्थिति, मंडी प्रांगण में कार्य करते समय हुई दुर्घटना राशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 801 हितग्राहियों को राशि रुपये 30.26 लाख की सहायता वितरित की गई है ।

5.50 कृषि विपणन पुरस्कार योजना :- मण्डी समितियों द्वारा कृषि उपज विक्रय करने वाले कृषकों के लिये कृषि विपणन पुरस्कार योजना में बम्पर ड्रा के पुरस्कार में 'क' संवर्ग की मण्डी में 35 अश्वशक्ति का टेक्टर एवं ख, ग, घ, प्रवर्ग की मण्डी समिति में रुपये 50 हजार मूल्य के कृषि यंत्र तथा 1.00 हजार रुपये से 21.00 हजार रुपये तक के नगद पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है ।

5.51 कृषकों को रियायती दर पर भोजन की योजना : समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिए मंडी प्रांगण में आने वाले कृषकों को 5 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी है । वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक राशि रुपये 4.42 लाख की सहायता वितरित की गई है ।

5.52 राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना: राष्ट्रीय कृषि बाजार योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2021 तक प्रदेश की 80 मंडियों में 22129 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा 40.91 लाख मीट्रिक टन कृषि जिनसों का व्यापार संपन्न कराया गया जिसका मूल्य लगभग राशि रुपये 13259.25 करोड़ रुपये है। उक्त अवधि में 30.22 लाख कृषकों का पंजीयन ई-नेम पोर्टल पर किया गया है।

भण्डारण सुविधा

5.53 कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की 278 शाखाओं पर 203.39 लाख मीट्रिक टन कार्यशील क्षमता है। निगम का प्रमुख उद्देश्य कृषकों / जमाकर्ताओं को भंडारण की सुविधा देना है। सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भंडारण शुल्क में रियायत 200 बोरों पर प्रदान की जाती है ।

विगत दो वर्षों में मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की भौतिक/ वित्तीय स्थिति को तालिका 5.23 एवं 5.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.23

भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता

(क्षमता लाख मीट्रिक टन)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	स्वयं की क्षमता +केप क्षमता + पी.ई.जी	किराये की क्षमता +केप क्षमता	JV की क्षमता + प्रा + पी.ई.जी	कुल क्षमता	उपयोगिता	उपयोगिता का प्रतिशत
2020-21	276	33.88	12.24	103.68	149.80	124.45	83
2021-21 माह दिसम्बर, 2021 की स्थिति तक	278	35.72	10.75	156.92	203.39	168.91	83

तालिका 5.24

भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पश्चात)
2019-20	60073.47	35852.69	24220.78
2020-21 प्रावधिक	98477.41	68362.74	30114.67

- कृषकों द्वारा 200 क्विंटल से अधिक स्कंध जमा करने पर सोयाबीन में 25 प्रतिशत एवं अन्य खाद्यान तथा धान पर 15 प्रतिशत भण्डारण शुल्क में रियायत का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषक जमाकर्त्ताओं को जमा स्कंध की वेयरहाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा रूपये 117.34 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर, 2021 तक राशि रूपये 206.22 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपार्जन नीति के अन्तर्गत उपार्जित गेहूं के भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। निम्नानुसार मात्रा का भंडारण किया गया :-

रबी विपणन वर्ष	उपार्जित मात्रा	निगम द्वारा भंडारित मात्रा
2020-21	129.35 लाख मे.टन गेहूं की उपार्जित मात्रा	85.86 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम) + 20.57 लाख मे.टन केप + 6.54 लाख मे.टन सायलो बैग + 2.98 लाख मे.टन स्टील सायलो
	8.23 लाख मे.टन दलहन/तिलहन की उपार्जित मात्रा	7.87 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम)
	39.51 लाख मे.टन धान/मोटा अनाज की उपार्जित मात्रा	16.86 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम) 16.90 लाख मे.टन (केप)
2021-22	128.16 लाख मे.टन गेहूं की उपार्जित मात्रा	101.61 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम) + 6.76 लाख मे.टन केप + 9.37 लाख मे.टन सायलो बैग + 1.53 लाख मे.टन स्टील सायलो
	1.94 लाख मे.टन दलहन/तिलहन की उपार्जित मात्रा	1.94 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम)
	46.25 लाख मे.टन धान/मोटा अनाज की उपार्जित मात्रा	प्रक्रियाधीन लगभग 20.61 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम) प्रक्रियाधीन लगभग 14.59 लाख मे.टन (केप)

पशुधन एवं डेयरी विकास

5.54 पशु पालन खेती का एक अभिन्न अंग है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 4.06 करोड़ पशुधन तथा 166.60 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। पशुधन वृद्धि का वर्षवार विवरण तालिका 5.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.25
पशुधन वृद्धि

पशु संगणना	पशुधन (करोड़ में)	कुक्कुट एवं बतख (लाख में)
वर्ष 2012 के अनुसार	3.63	119.05
वर्ष 2019 के अनुसार	4.06	166.60

विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्रदेश में वर्ष 2021-22 के अंत तक 1063 पशु चिकित्सालय, 1583 पशु औषधालय, 38 चलपशु चिकित्सा इकाईयां, 27 विरूजालय, 10 मातामहामारी अनुगामी इकाई, 7 माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई, 7 सघन टीकाकरण इकाई, 2 माता महामारी रोग शमनदल, 19 माता महामारी जांच चौकियां, एक पशु निरोध स्थल एक राज्य स्तरीय, 07 संभागीय स्तरीय एवं 34 जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएं कार्यरत हैं ।

वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में गौ एवं भैंसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं (मादाओं)की संख्या 132.46 लाख है । राज्य में अधिकांश पशु अवर्णित नस्ल के हैं जिनकी दुग्धोत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कम है । विभागीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020-21 में 33.70 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 11.21 लाख वत्सोत्पादन हुए । इस प्रकार वर्ष 2020-21 में गत वर्ष की तुलना में 4.27 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान में वृद्धि तथा 4.67 प्रतिशत वत्सोत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक 18.04 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 5.86 लाख वत्सोत्पादन हुए ।


प्रदेश में वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार 3.25 लाख भेड़े एवं 110.65 लाख बक्रे/बकरियां हैं। वर्ष 2020-21 में 15.19 हजार भेड़ों से 10.17 हजार तथा वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक 7.71 भेड़ों से 5.12 हजार मेमने उत्पन्न हुए ।

प्रदेश में 7 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं। इन प्रक्षेत्रों पर साहीवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुरी आदि उन्नत नस्ल के साँड़ रखे जाते हैं। सुदूर ग्रामीण अंचलों में नैसर्गिक गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2020-21 में 159 उन्नत नस्ल के गौ-साँड़ प्रदाय किये गये हैं तथा वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक 248 गौ-साँड़ प्रदाय किये गये।

प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादन 17109 हजार मीट्रिक टन, अण्डों का उत्पादन 23794 लाख तथा मांस उत्पादन 106.5 हजार मीट्रिक टन रहा । इसी प्रकार प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादन 17999 हजार मीट्रिक टन, अण्डा का उत्पादन 26516 लाख तथा मांस उत्पादन 116.3 हजार मीट्रिक टन रहा ।


5.55 दुग्ध उत्पादन : प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का वर्षवार विवरण चित्र 5.2 में दर्शाया गया है । वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादन में 5.20 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

चित्र 5.2
दुग्ध उत्पादन




5.56 अंडों का उत्पादन : प्रदेश में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में अण्डों के उत्पादन में 11.44 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक का अंडों का उत्पादन का वर्षवार विवरण चित्र 5.3 में दर्शाया गया

चित्र 5.3
अंडों का उत्पादन



5.57 मांस का उत्पादन : वर्ष 2019-20 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में मांस के उत्पादन में 9.20 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक का वर्षवार चित्र 5.4 दर्शाया गया है ।

चित्र 5.4
मांस का उत्पादन



पशुधन एवं कुक्कुट विकास

5.58 मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवम्बर 1982 को हुई। निगम का मुख्य उद्देश्य पशु तथा कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन, संग्रहण पालन पोषण और विपणन करना है ।

निगम की प्रमुख योजनाएँ जो केन्द्र एवं राज्य शासन संचालित की जाती हैं निम्नानुसार हैं :

राष्ट्रीय गौ-भैस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना (केन्द्र परिवर्तित योजना) बकरी नस्ल सुधार योजना, हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के पशुओं को प्रदाय नंदीशाला योजना, समुन्नत पाडा योजना, सूकर त्रयी प्रदाय योजना, नर सूकर प्रदाय योजना, दुधारू पशु बीमा योजना निगम की अन्य नवीन योजनाएँ जिनमें भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना एवं तरल नत्रजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई है।

5.59 तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना:- RKVY योजनान्तर्गत तीन संयंत्र क्रमशः केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, भोपाल, ग्वालियर, एवं सीमन बैंक जबलपुर में तथा बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज के तहत सागर में एक तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना की गई है। भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में तरल नत्रजन का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पशुचिकित्सा परिसर इन्दौर तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना की गई है। तथा एक तरल नत्रजन संयंत्र से एक दिवस में लगभग 500-600 लीटर के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 1.8 लाख से 2.15 लाख लीटर तरल नत्रजन का उत्पादन होता है जो वर्ष 2021-22 माह नवम्बर तक 8.73 लाख लीटर तरल नत्रजन का जिलो में प्रदाय किया गया है।

सहकारी दुग्ध संघ की भागीदारी

5.60 दुग्ध संकलन एवं वितरण : वर्ष 1980 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित, वर्तमान में एम.पी .स्टेट को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, की स्थापना की गयी। दुग्ध संकलन एवं वितरण कार्य वर्तमान में त्रिस्तरीय संरचना ग्रामीण स्तरीय दुग्ध सरकारी समिति /क्षेत्रीय दुग्ध संघ /राज्य स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका वहन कर रहा है। दुग्ध महासंघ की वर्षवार जानकारी का विवरण तालिका 5.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.26
दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (नवम्बर-21)
• गठित दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	9463	9151	10090	10205	10246
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	7190	6498	7811	7205	6913
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	264653	257418	268087	246551	239456
• दुग्ध संकलन, किलो ग्राम प्रतिदिन	1102657	1010888	858527	913343	886712
• स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	766195	740271	747751	638357	656921
• पशु आहार विक्रय (मै.टन)	98021	104310	102674	82980	68283
• कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	622604	601450	600174	561612	334483
• दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (करोड़ रुपये में)	1288.81	1100.30	1294.44	1117.14	712.58
• विक्रय प्राप्तियां (करोड़ रुपये में)	1689.64	1905.17	1884.23	1708.52	1175.03

5.61 राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना : भारत शासन द्वारा वित्त पोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध संकलन, शीतलीकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है। योजना का 26 जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजना के लिये भारत शासन से स्वीकृत राशि रुपये 63.08 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। परियोजना के अंतर्गत कुल 201 बल्क मिल्क कूलर, 51 मिल्क टैंकर, 817 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, 145 इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टिंग किट, 110 मिल्क एनालाइजर तथा 12 प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण स्वीकृत है। इसके अंतर्गत दूध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण हेतु एमपीसीडीएफ में रुपये 800 लाख की लागत से राज्य स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

5.62 महिला दुग्ध समितियों की उपलब्धि : वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर की स्थिति में एमपीसीडीएफ की प्रमुख उपलब्धियों में प्रदेश में 10205 पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों में से 7205 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत। वर्ष में दौरान 5.60 लाख किग्रा प्रतिदिन औसत दुग्ध संकलन तथा 9.77 लाख लीटर प्रतिदिन औसत दुग्ध विक्रय किया गया। लॉक डाउन अवधि के दौरान दुग्ध संघों द्वारा कुल 2 करोड़ 54 लाख लीटर दूध अतिरिक्त रूप से क्रय किया गया तथा दुग्ध उत्पादकों को रूपयें 94 करोड़ की राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिससे दुग्ध उत्पादकों किसानों को आर्थिक रूप से संबल मिला। दुग्ध सहकारी समितियों से संबद्ध 2.68 लाख दुग्ध उत्पादकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जा रहे हैं। वर्तमान में 2.18 लाख दुग्ध उत्पादकों द्वारा आवेदन प्रपत्र भरे जा चुके हैं जबकि 2.12 लाख दुग्ध उत्पादकों के आवेदन प्रपत्र दुग्ध संघों द्वारा अग्रेषित किए गए हैं तथा 1.94 लाख आवेदन विभिन्न बैंकों में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंकों द्वारा 31506 नवीन किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा 6.38 लाख लीटर प्रतिदिन औसत पैकेट दुग्ध विक्रय किया गया।

दुग्ध संघ द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा उत्पादित किये जा रहे टेक होम राशन हेतु मिल्क पावडर का प्रदाय किया गया तथा आंगनवाडियों के लिए संगठित मीठा दुग्ध चूर्ण का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है। इंडियन ऑइल कंपनी के पेट्रोल पंपों पर प्रथम बार सांची पार्लर प्रारंभ किये जा रहे हैं। नवाचार के दृष्टिगत दुग्ध संकलन कार्य में लगे टैंकरों में डिजिटल लॉक एवं व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

मत्स्य पालन से विकास

5.63 मत्स्य पालन की ग्रामीण स्वरोजगार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। मत्स्य पालन व्यवसाय से जहा एक ओर रोजगार मिलता है वहीं दूसरी ओर कम लागत से स्थानीय रूप से प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ मिलता है। यह मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है। मत्स्य पालन से वर्ष 2020-21 में 276 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 258.36 लाख मानव दिवस रोजगार निर्मित हुआ। वर्ष 2021-22 में 276 लाख के विरुद्ध नवम्बर, 2021 तक 180.07 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है।

वर्ष 2020-21 की स्थिति अनुसार राज्य में 4.37लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 4.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 99 प्रतिशत है।

5.64 मत्स्यबीज उत्पादन : वर्ष 2020-21 में 16100 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध 14837.54 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ जो लक्ष्य का 92.16 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 में 18000 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक 15739.66 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्यबीज का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 87.44 प्रतिशत है।

5.65 मत्स्योपादन : वर्ष 2020-21 में समस्त स्रोतों से 2.41 लाख टन मत्स्योपादन के लक्ष्य के विरुद्ध 2.49 लाख टन का मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 103.35 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021-22 में समस्त स्रोतों से 2.89 लाख टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक 1.71 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 59.15 प्रतिशत है।

5.66 मछुआ सहकारिता : प्रदेश में वर्ष 2020-21 में कुल 2523 मत्स्य सहकारी समितियां रहीं जिनमें 103170 सदस्य रहे।, इन पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों में 49 समितियां महिलाओं की है, जिनकी सदस्य संख्या 1652 है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं वंशानुगत मछुआरों की मछुआ सहकारी समितियों को नवीन मछुआ नीति के अनुसार मछली पालन के लिए दस वर्ष की लम्बी अवधि के लिए सिंचाई/ग्रामीण तालाब/जलाशय पट्टे पर दिए जाने को प्रावधान के तहत वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक 3398.22 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 33 जलाशय 33 मछुआ सहकारी समितियों एवं 205.95 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 16 जलाशय 16 मछुआ समूहों को आवंटित किये गये हैं।

5.67 मछुआ समितियों को अनुदान : मछुआ सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2020-21 में 77.07 लाख रुपये अनुदान के रूप में 407 समितियों को वितरित किया गया है ।

5.68 मछुआ प्रशिक्षण : मछुआओं को उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदाय करने हेतु वर्ष 2020-21 में 4501 मछुआओं को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था माह मार्च, 2021 तक विभाग द्वारा 4102 मछुआओं को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2021-22 में 4519 मछुआओं को प्रशिक्षित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक 2440 मछुआओं को प्रशिक्षित किया गया ।

5.69 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड : वर्ष 2012-13 से किसान क्रेडिट कार्ड के समान मत्स्य कृषकों को भी फिशरमेन क्रेडिट कार्ड शून्य प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी किये जा रहे हैं । वर्ष 2019-20 में 5647 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी कर राशि रुपये 245.35 लाख रुपये व्यय किये गये हैं । योजना के प्रारंभ से वर्ष 2019-20 तक 78628 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। योजना के प्रारंभ से माह नवम्बर 2021 तक 15282 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

5.70 बचत-सह-राहत : मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्याखेट कार्य प्रतिबन्धित होता है । इस प्रतिबन्धित काल में मछुआओं को आजीविका निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अशंदान से बचत-सह-राहत योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 से इस योजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत शामिल किया गया है।

हितग्राही राज्य शासन एवं केन्द्र शासन प्रत्येक का अशंदान रू .1500/-, 1500/- एवं हितग्राही अंश 1500/- कुल राशि रुपये 4500/- दो माह में मछुआओं को प्रदाय किया जाता है जिसमें वर्ष 2020-21 में 9875 हितग्राहियों के खाते में राशि रुपये 296.25 लाख जमा किये गये। वर्ष 2021-22 में विभिन्न वर्ग के 12291 हितग्राहियों के खाते में जमा कराये जाने हेतु राशि रुपये 368.73 लाख का आवंटन किया गया है।

5.71 नील क्रान्ति योजना : भारत शासन द्वारा वर्ष 2016-17 से प्रदेश में नील क्रान्ति योजना लागू की गई है। योजना में तालाब निर्माण, केज कल्चर, मत्स्यबीज उत्पादन हेतु हेचरी निर्माण, मत्स्य आहार निर्माण हेतु फिश फीड नील की स्थापना, मत्स्य विक्रय हेतु कियोस्क स्थापना, मत्स्य विक्रय एवं परिवहन हेतु मोटर साईकल-सह-आईस बाक्स, वेन,

आटो रिक्शा एवं ट्रक आदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं महिला हितग्राहियों को 60 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 से नीलक्रान्ति योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन भारत शासन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नीलक्रान्ति योजना के हितग्राहि मुलक बिन्दुओं को सतत रखा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत राशि रुपये 14854.37 लाख के कार्यक्रमों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केन्द्राशः 4547.16 लाख एवं राज्याशः 3067.36 लाख तथा हितग्राही अंश रुपये 7239.85 लाख के कार्यक्रम स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 17518.57 लाख की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केन्द्राशः राशि रुपये 5423.97 लाख एवं राज्याश राशि रुपये 3672.17 लाख तथा हितग्राही अंश 8422.43 लाख प्रावधानिक है तथा प्रथम किस्त के रूप में राशि रुपये 2712.00 लाख की राशि भारत शासन से प्राप्त हो गई है।

वानिकी

5.72 वनक्षेत्र एवं भूमिका : प्रदेश का कुल अधिसूचित वनक्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72 प्रतिशत है। राज्य के कुल वनक्षेत्र का 65 प्रतिशत आरक्षित वन, 33 प्रतिशत संरक्षित वन एवं 2 प्रतिशत क्षेत्रफल अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है। वनों की स्थिति पर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर 8339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वृक्षों से आच्छादित है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वनों के संरक्षण का मूल उद्देश्य देश की पर्यावरणीय सुरक्षा है। जलवायु परिवर्तन के कारकों के अल्पीकरण, अनुकूलन एवं कार्बन संचयन में वनों की केन्द्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन का संचालन किया जा रहा है। नीति में वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों पर स्थानीय समुदायों का प्रथम अधिकार तथा वनों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदेश के वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंध लागू किया। राज्य शासन द्वारा पारित संकल्प वर्ष 2001 के तहत संयुक्त वन प्रबंध को लागू किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा संपादित कराए गए अध्ययनों के अनुसार मध्य भारत के जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। अनिश्चित वर्षा एवं तापक्रम बढ़ने से कृषि आधारित आजीविकाओं पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावनाएँ हैं। तापक्रम एवं जल चक्र को नियमित बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों के अच्छादन को बढ़ाने की आवश्यकता है।

1. कार्य आयोजना का क्रियान्वयन : राष्ट्रीय एवं राज्य की वन नीति के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करके, स्थानीय समुदायों की आजीविकाओं को केन्द्र में रखकर प्रदेश के वनों का पोषणीय प्रबंधन (Sustainable Manangement) सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वनमंडल की दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार की जाती है। कार्य आयोजना का क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल एवं मृदा के संरक्षण के उद्देश्य से प्रबंधित पुनरूत्पादन समूह में 1.49 लाख हेक्टर क्षेत्र में एवं बिगड़े वनों के सुधार हेतु पुर्नस्थापना समूह में 3.6 हजार हेक्टर में उपचार कार्य किया गया। योजना में दिसम्बर 2021 तक रुपये 15418.39 लाख का व्यय किया गया तथा वर्ष 2021 की वर्षा ऋतु में 4.11 करोड़ पौधों का रोपण किया गया।

2. ग्रीन इंडिया मिशन : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत क्रियांवित किये जा रहे 8 मिशन में से एक ग्रीन इंडिया मिशन है। मिशन का प्रमुख उद्देश्य वनों की स्थिति में सुधार लाकर "कार्बन संचयन" में अभिवृद्धि करना, जलागम क्षेत्रों का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविकाओं को सुदृढ करना है। मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी काउंसिल द्वारा मध्यप्रदेश की कार्य योजना वर्ष 2021-22 के लिए 22531 हेक्टर वनक्षेत्र का उपचार करने के लिए राशि रूपए 28.44 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2021-22 हेतु 5000 हेक्टर क्षेत्र कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

3. बांस मिशन : बांस क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित बांसमिशन के अनुरूप राज्य में वर्ष 2013 में बांस मिशन का गठन किया गया। बांस मिशन का प्रमुख लक्ष्य देश में उद्योगों एवं स्थानीय स्तर पर बांस का उपयोग करके जीवनोपयोगी वस्तुएं बनाने वाले कारीगरों को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए वन, सामुदायिक भूमियों एवं कृषि क्षेत्रों में बांस के रोपणों को बढ़ावा देना, उत्पादकता में अभिवृद्धि के लिए नवीन तकनीकी एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा बांस के मूल्यवर्धन हेतु अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बांस मिशन की अनुमोदित कार्य योजना हेतु 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 1718.53 लाख की कार्य योजना स्वीकृत की गयी है। मिशन के अंतर्गत उच्च तकनीकी रोपणियों की स्थापना, वित्तीय वर्ष में 3860 हेक्टर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में बांस रोपण कराया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति पौधा 120/- रुपये दर से कृषकों को अनुदान दिया जाता है। बांस मिशन के तहत प्रदेश स्वसहायता समूह के माध्यम से कुल 2749 हेक्टर क्षेत्र वन भूमि पर मनरेगा योजना से बांस वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किया है।

5.73 राजस्व प्राप्तियां : वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 1114.00 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध राशि रूपये 1294.69 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो निर्धारित लक्ष्य का 16.21 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर 2021 तक राशि रूपये 1311.26 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध राशि रूपये 871.37 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्त हुआ है। स्थिर भावों (2011-12) पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश वर्ष 2020-21 में 2.22 प्रतिशत है। वनोत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 5.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.27
वनोत्पादन का विवरण

वर्ष	इमारती लकड़ी (लाख घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (लाख नग)	बांस नोशनल टन (लाख में)
2017-18	1.74	1.24	0.28
2018-19	2.73	1.62	0.34
2019-20	2.09	1.26	0.27
2020-21	1.47	0.85	0.34
2021-22 (माह सितम्बर 2021)	1.75	1.02	0.37

इमारती लकड़ी जलाऊ चट्टे एवं बांस के उत्पादन में गत वर्ष से क्रमशः 29.66, 32.54 प्रतिशत की कमी एवं 25.92 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। इमारती लकड़ी का उत्पादन गत वर्ष के 2.73 लाख घनमीटर से घटकर वर्ष 2020-21 में 1.47 लाख घनमीटर रह गया। इसी प्रकार जलाऊ चट्टे का उत्पादन गत वर्ष में 1.62 लाख नग से घटकर 0.85 लाख नग एवं बांस का उत्पादन गत वर्ष के 0.27 लाख नोशनल टन से बढ़कर 0.34 लाख नोशनल टन रह गया है।

5.74 वन्यप्राणी संरक्षण : प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने एवं पारिस्थितिकीय सेवाओं का सतत् संचालन सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 अभ्यारण्य हैं जिसमें 6 टाईगर रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल (अन्य जलजीव) अभ्यारण्य, तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 16.79 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसमें से वन क्षेत्र 14.85 हजार वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वनक्षेत्र है। संरक्षण के लिए मानवीय गतिविधियों

को समाप्त करने एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाले परिवारों को सामाजिक-आर्थिक विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2020-21 में 1 ग्रामों के 154 परिवारों को बाहर पुनर्स्थापित किया गया है। वर्ष 2021-22 में 10.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

1 . वन्य प्राणी गणना: अखिल भारतीय बाघ का आंकलन 2018 के अनुसार को घोषित बाघों की संख्या प्रदेश में 526 है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में पहली बार 2016 में की गयी प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना में 7000 गिद्ध पाये गये। द्वितीय गिद्ध गणना वर्ष 2019 में गिद्धों की संख्या बढ़कर 8300 हो गई । वर्ष 2021 में गिद्ध गणना में 9446 गिद्ध पाये गये है।

2. ईको पर्यटन : प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र एवं अभ्यारण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के आगमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुडा, संजय एवं बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में ऑनलाईन बुकिंग की व्यवस्था की गयी है। भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के शुल्क को एक समान करने से पर्यटन वर्ष 2019-20 में 15.86 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ। ईको पर्यटन गतिविधियों को विस्तारित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम 1974 में संशोधन करके नवीन वन्यप्राणी अनुभव एवं मनोरंजन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा रहा है।

5.75 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी : मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य को बढ़ावा देने के लिए 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों रोपणियां संचालित हैं।

वर्षा ऋतु में 2021 के माह सितम्बर तक विभिन्न प्रजाति के 3.99 करोड़ पौधों का निवर्तन रोपणियों से किया गया है। वर्ष 2021 में गैर वन क्षेत्रों में पौधों के विक्रय से राशि रुपये 471.94 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के तहत वृक्षारोपण अभियान -1 के अंतर्गत प्रदेश में 179 स्थलों पर 7117 पौधों का रोपण किया जा चुका है। पौधों की ऑनलाईन जानकारी हेतु नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020 में "अध्ययन एवं अनुसंधान योजना" अंतर्गत राज्य वन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से 2 एवं ऊष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान के माध्यम से 5 अनुसंधान परियोजना संचालित है। वर्षा ऋतु 2021 में क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रजाति के 7.34 लाख पौधों का रोपण किया गया है ।

5.76 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज "व्यापार एवं विकास" सहकारी संघ मर्यादित : वनोपज का संग्रहण वनवासियों की उत्तरजिविता (Survival) की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर पर समाज के अतिनिर्धन एवं भूमिहीन परिवार, विशेषकर महिलायें रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के लिये अकाष्ठीय वनोपज के संग्रहण पर निर्भर रहते हैं। अतएवं संग्राहकों की आजीविकाओं को सुदृढ़ करने के लिये अकाष्ठीय वनोपजों के प्रबंधन को संगठित करने के लिये प्रदेश में संग्राहकों के त्रिस्तरीय सहकारी संघ का गठन किया गया है। प्राथमिक स्तर पर 1071 प्राथमिक वनोपज सहाकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय (ट्रायफेड) द्वारा MFP-MSP योजना लागू किये जाने के पश्चात प्रथमतः 14 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया। वर्ष 2020 माह नवम्बर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपजों के संग्रहण करने हेतु द्वितीय चरण में 18 प्रजातियों के लिए दर निर्धारित कि गई है। इस प्रकार कुल 32 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। ट्राईफेड द्वारा संचालित परियोजना "प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना" के अंतर्गत 107 वनधन केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

मध्यप्रदेश तैदुपत्ता (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1964 के माध्यम से तैदुपत्ते के व्यापार का विनियम करने एवं व्यापार में राज्य का एकाधिकार स्थापित करने के प्रावधान किये गये हैं। व्यापार से हुए लाभ की अधिकतम राशि संग्राहकों को बोनस के रूप में प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों में प्रदेश में तैदुपत्ता संग्रहण एवं निवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 5.28
तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन

(मात्रा लाख मानक बोरो में)
राशि करोड़ रुपये में

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रुपये./मा.बो.)	कुल संग्रहित मात्रा (लाख./मा.बो.)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रुपये में)	विक्रित मात्रा (लाख./मा.बो.)	विक्रय मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
2019	2500	21.04	526.00	20.15	835.08
2020	2500	15.88	397.15	14.63	628.02
2021	2500	16.59	414.75	16.29	812.87

5.77 म.प्र. राज्य वन विकास निगम :

निगम का गठन : राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट (प्रोडेक्शन फारेस्ट्री मैन मेड फारेस्टम 1972) के आधार पर, निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ाने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। 31 अक्टूबर, 2006 से निगम की अधिकृत अंश पूंजी 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंश पूंजी रुपये 39.32 है जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रुपये 1.39 करोड़ एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रुपये 37.93 करोड़ है। स्थापना वर्ष से ही निगम लाभ में चल रहा है। वर्ष 2019-20 तक संचित लाभ रुपये 495.84 करोड़ है। वर्षवार उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नतालिका क्रमांक 5.29 में दिया गया है-

तालिका 5.29
काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	इमारती लकड़ी (घनमीटर)	जलाऊ चटटे (नग)	बांस (नो.टन)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रु. में)
2016-17	105193	95937	3139	225.80
2017-18	98353	103422	2250	246.32
2018-19	89340	88518	2360	241.04
2019-20*	84186	64358	2977	223.36

टीप- * वर्ष 2019-20 के आंकड़े सांविधिक अंकेक्षण के पूर्व के हैं ।

अध्याय 06

उद्योग

उद्योग

विनिर्माण


नागरिकों के उपभोग में उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं का अनुपात लगातार बढ़ रहा है अतः अर्थ व्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगिकीकरण आवश्यक है। इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण तथा कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन की सुविधा उपलब्ध होती है। औद्योगिकीकरण से प्रति व्यक्ति आय में बढ़त के साथ कृषि पर रोजगार के लिये निर्भरता कम होती है। नागरिकों की आर्थिक प्रगति के लिये वर्तमान परिप्रेक्ष में औद्योगिकीकरण आवश्यक है।

6.1 राज्य के सकल मूल्यवर्धन में द्वितियक क्षेत्र (उद्योग) का योगदान में उतार चढ़ाव परिलक्षित हुये है। वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर 27.09 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2019-20 में 25.85 प्रतिशत तथा वर्ष 2020-21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 24.99 प्रतिशत आंका गया है। विनिर्माण-क्षेत्र में वर्ष 2020-21 (त्वरित) के दौरान 6.36 प्रतिशत कमी रही है।

6.2 पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग: वर्ष 2019-20 में 2.88 लाख उद्योग पंजीकृत हुये है। वर्ष 2020-21 मे माह जून 2020 तक 31426 उद्योग पंजीकृत हुये है। जिसका विवरण चित्र 6.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.1

पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग



स्रोत - उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश


नोट:- 1 जुलाई 2020 से उद्योग आधार मेमेरेण्डम फाईल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

* - वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल से 2020 से जून 2020 तक)

6.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश : वर्ष 2019-20 में 19242.09 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया था। वर्ष 2020-21 में माह जून 2021 तक राशि रुपये 5178.17 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 माह जून 2021 तक किये गये पूंजी निवेश का विवरण चित्र 6.2 में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.2

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश करोड़ रुपये




स्रोत - उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

नोट:- 1 जुलाई 2020 से उद्योग आधार मेमेरेण्डम फाईल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

* - वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 2020 से जून 2020 तक)

6.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार : वर्ष 2019-20 में निर्मित रोजगार की संख्या 9.94 लाख थी वर्ष 2020-21 में माह जून 2021 तक 1.91 लाख हुई है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 माह जून 2021 तक निर्मित रोजगार का विवरण चित्र 6.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.3
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार



स्रोत - उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

नोट:- 1 जुलाई 2020 से उद्योग आधार मेमोरेण्डम फाईल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

* - वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 2020 से जून 2020 तक)

01 जुलाई 2020 से उद्योग आधार मेमोरेण्डम फाईल करने की व्यवस्था समाप्त की गई है और उद्यम पंजीयन की व्यवस्था प्रारंभ की गई और उसे जी.एस.टी. से जोड़ा गया इसके अंतर्गत पूर्व में पंजीयन/मेमोरेण्डम कराने वाली इकाइयों को भी उद्यम पंजीयन कराने का प्रावधान है। तदनुसार भारत सरकार के पोर्टल पर पदेश की एमएसएमई द्वारा उद्यम पंजीयन निम्नानुसार है:-

वर्ष	संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ रुपये में)	रोजगार
2020-21	155450	19011.98	1308923
2021-22 (दिसम्बर 2021)	151038	7738.69	833835

6.5 वित्तीय सहायता : उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 107.74 करोड़ की वित्तीय सहायता सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को प्रदान की गई जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर, 2021 अंत तक राशि रुपये 110.81 करोड़ की वित्तीय सहायता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को प्रदान की गई ।

अधोसंरचना विकास

6.6 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास : प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में अधोसंरचना विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2021 तक विकास कार्यों हेतु राशि रुपये 6734.37 लाख की वित्तीय स्वीकृति विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं हेतु प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रम अंतर्गत कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर का प्रास्ताव एवं अधोसंरचना विकास के 11 प्रस्तावों में स्वीकृति प्राप्त हुई है। क्लस्टर विकास हेतु राशि रुपये 22.00 करोड़ विमुक्त की गई है।

हाथकरघा उद्योग

6.7 हाथकरघा उद्योग परम्परागत एवं कलात्मक वस्त्रों के उत्पादन की विरासत को बनाये रखते हुये प्रदेश के बुनकरों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक कार्गी संस्था की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 13.66 हजार हाथकरघे कार्यशील रहे हैं। कार्यशील करघों से राशि रुपये 844.00 लाख रुपये के वस्त्रों का उत्पादन हुआ इससे लगभग 40.00 हजार बुनकर/कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 2021-22 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिये कौशल एवं तकनीकी विकास योजना तथा विपणन सहायता योजना के अंतर्गत माह नवम्बर, 2021 तक कुल राशि रुपये 124.43 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई इससे कुल 452 हितग्राही लाभान्वित हुए।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास

6.8 मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना म.प्र. लघु उद्योग निगम की सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1981 में हुई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी 2.00 करोड़ रुपये व प्रदत्त पूंजी 126.16 लाख रुपये है। वर्ष 2013 से निगम का नाम "संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम" हो गया है। निगम के दायित्व में परम्परागत शिल्पियों व बुनकरों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रशिक्षित शिल्पियों व बुनकरों को अनुदान पर उन्नत उपकरण उपलब्ध कराना सम्मिलित है। निगम द्वारा शिल्पियों को बाजार की मांग से अवगत कराने एवं युवा वर्ग का रुझान बढ़ाने के लिये रुपांकन व तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

विभाग में संचालित अनेक योजनाओं जैसे एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना, ग्रामोद्योगों के प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण योजना, स्पेशल प्रोजेक्ट योजना, उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं को सहयोग के लिये योजना, अनुसंधान एवं विकास योजना, सूचना-प्रौद्योगिकी योजना एवं शिल्पी कल्याण योजना आदि योजनाओं को समाहित कर दिया गया है।

6.9 विपणन सहायता : शिल्पियों व बुनकरों को विपणन में सहायता देने के लिये निगम द्वारा 37 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें से 13 प्रदेश के बाहर स्थित हैं। एम्पोरियमों द्वारा डायरेक्ट मार्केट लिंकेज के लिए देश भर में प्रतिवर्ष प्रदर्शनियां लगाकर शिल्पों की बिक्री की जाती है। वर्ष 2020-21 में एम्पोरियमों के माध्यम से रुपये 1039.00 लाख के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की गई। निगम द्वारा सीधे मार्केट लिंकेज के लिये वर्ष 2020-21 में मार्च 2021 तक प्रदर्शनियां/एम्पोरियमों आयोजित की गईं जिनमें राशि रुपये 1276.63 लाख का विक्रय किया गया।

6.10 शासकीय प्रदाय : भण्डार क्रय नियमों की कण्डिका 26.2 'ब' के अंतर्गत यह निगम आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प का प्रदायकर्ता अभिकरण है। निगम द्वारा हाथकरघा क्लस्टर में भारत की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम के यार्न डिपो संचालित किये जा रहे हैं। आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के माध्यम से एवं निगम के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आदेशों व उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार निगम बुनकर समितियों/संस्थाओं को यार्न उपलब्ध करा कर सामग्री प्रदाय की जाती है। वर्ष 2019-20 में मार्च 2020 तक 1276.53 लाख के वस्त्र शासकीय विभागों को प्रदाय किये गये, एवं वर्ष 2020-21 में 1039.88 लाख के वस्त्रों का प्रदाय किया गया है, जिसमें 872 करधे संलग्न रहे एवं 1.08 लाख मानव रोजगार दिवस सृजन किया गया।

रेशम उद्योग

6.11 कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्राम में ही ग्रामीणों को लाभदायक रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपना जीविकोपार्जन सुचारु रूप से कर सकें। साथ ही महिलाओं को रोजगार का एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध करना उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना है। रेशम उद्योग की योजनाएँ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में 44 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियाँ संचालित हैं।

वर्ष 2020-21 में 8.80 लाख किलो मलबरी कोया 144.07 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 8.70 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध माह मार्च, 2021 तक 3.21 लाख किलो मलबरी कोया एवं 52.48 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ, जिससे 4424 हितग्राही लाभान्वित हुये। वर्ष 2020-21 में 367 हेक्टर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण के लक्ष्य के विरुद्ध 144हेक्टर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 228.00 हेक्टर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध मार्च, 2021 तक 9.60 हेक्टर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 20.00 हेक्टर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण किया गया ।

वर्ष 2021-22 में 5.62 लाख किलो मलबरी कोया तथा 556.02 लाख नग टसर कोया का उत्पादन एवं 6581 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक 1.14 लाख किलो मलबरी कोया एवं 9.00 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ जिससे 3507 हितग्राहियों को लाभान्वित हुये । वर्ष 2021-22 में 200 हेक्टर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण के लक्ष्य के विरुद्ध 30.8 हेक्टर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 80.8 हेक्टर क्षेत्र में अर्थात् 111.6 हेक्टर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण किया गया है।

रेशम संचालनालय के अन्तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 के लक्ष्य एवं उपलब्धि को निम्न तालिका 6.1 में दर्शाया गया है :-

तालिका 6.1
रेशम उत्पादन

विवरण	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी	वर्ष 2021-22 (माह नवम्बर 2020 तक)
मलबरी कोया उत्पादन (किलोग्राम में)	4.97	3.21	(-)35	1.14
टसर कोया उत्पादन (लाख नग में)	63.10	52.48	(-)17	9.00

स्त्रोत - रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश

रेशम संचालनालय द्वारा कृषको के चयन एवं पंजीयन प्रक्रिया को परदर्शी बनाने एवं लेखांकन तथा पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाने हेतु ई-रेशम पोर्टल तैयार किया गया है। वर्तमान स्थिति में वर्ष 2019-20 तक 1892 हितग्राही पंजीकृत हुये तथा वर्ष 2020-21 में 1791 नवीन पंजीकृत हुये जिसमें से 514 हितग्राहियों की भूमि पर पौधरोपण कराकर सहायता राशि रुपये 501.45 लाख का भुगतान किया गया है वर्ष 2021-22 में 77 हितग्राहियों का चयन कर भुगतान की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

खादी तथा ग्रामोद्योग विकास

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग का विकास कर ग्रामीण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

6.12 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना : योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 20 हजार तक की आबादी वाले ग्रामों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इकाईयों की स्थापना हेतु 1199 इकाईयों को राशि रुपये 3589.08 लाख मार्जिन मनी का वितरण कर 12562 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक 337 इकाईयों में 961.66 लाख मार्जिन मनी का वितरण कर 3366 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

6.13 खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादन : मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सूती खादी, पॉली वस्त्र, रेशमी खादी, ऊनी खादी एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पादन के कुल 14 उत्पादन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में 932.39 लाख रुपये का उत्पादन किया गया। इससे 548 कताई कर्ताओं/बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक रुपये 168.87 लाख मूल्य का उत्पादन किया गया एवं 533 कताई बुनकरों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।

6.14 खादी एवं ग्रामोद्योग विक्रय : प्रदेश में संचालित कुल 14 विक्रय एम्पोरियमों द्वारा वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1110.71 लाख की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री का विक्रय किया गया। वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक रुपये 239.50 लाख के उत्पादों का विक्रय किया गया है।

पर्यटन

6.15 पर्यटन : संरक्षित वन क्षेत्र एवं वन्य प्राणी, ऐतिहासिक भवन, मंदिर एवं धार्मिक महत्व के स्थल मध्यप्रदेश में पर्यटन के आर्कषण के प्रमुख केन्द्र हैं। पर्यटन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आजीविकाओं को सुदृढ़ करने की अपार संभावनाओं को देखते हुये राज्य शासन इस क्षेत्र को अत्यंत महत्व प्रदान करता है। प्रदेश में पर्यटन के विस्तार, निजी, निवेशकों को आकर्षित करने, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में समग्र पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के कार्य के संपादन हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन फरवरी, 2017 को किया गया।

6.16 प्रदेश में समग्र पर्यटन हेतु नीतियों का निर्धारण:- प्रदेश के पर्यटन विकास व पर्यटन परियोजनाओं में निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से पर्यटन नीति 2016 जारी की गई जिसे वर्ष 2019 में संशोधित करके सी-प्लेन, एमफीबियन पर्यटक वाहन, होटल, रिसोर्ट, कन्वेंशन सेंटर, हेरिटेज होटल, हाट एयर बैलूनिंग, वाईल्ड लाईफ रिसोर्ट, वृहद मेगा अकादमी, हेरिटेज कैफेटेरिया मोटेल आदि को पर्यटन परियोजनाओं की सूची में जोड़ा गया एवं पूंजीगत अनुदान पात्रता प्रदान की गई ।

1. **जल पर्यटन :-** प्रदेश के जल क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को लायसेंस देने की नीति के तहत प्रदेश के अधिसूचित जल क्षेत्रों में निजी निवेशकों को मोटर बोट, हाउस बोट, क्रूज, पैरासेलिंग, स्पीड बोट एवं वॉटर स्पोर्ट्स हेतु लायसेंस जारी किये जा रहे हैं । इस हेतु 22 जल क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। जिसके विरुद्ध 12 जलक्रीडा गतिविधियों के संचालन हेतु निवेशकों लाइसेंस जारी किया गया है।
2. **एडवेंचर एवं कैम्पिंग नीति :-** निजी निवेशकों को प्रदेश के अधिसूचित वन क्षेत्रों की अतिरिक्त भूमियों पर कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियों हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराने की नीति लागू की गई है जिसके तहत निजी निवेशक पर्यटन विभाग की भूमि पर कैम्पिंग, ट्रैकिंग, पैरा-सेलिंग एंगलिंग, एलिफैंट सवारी, पैराग्लाइडिंग, हाँट एयर बैलूनिंग, सायकिल सफारी, रॉक-क्लाइम्बिंग आदि विभिन्न गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन हेतु 5-15 वर्ष की अवधि के लिये लायसेंस पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी । जिससे स्थानीय पर्यटन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। जिसके तहत 03 भूमियों को लायसेंस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की निजी भूमि पर कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु सूचीबद्ध संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास किया जाकर 40 कैम्पिंग भूमियों का चयन, कैम्प ऑपरेटर का चयन एवं प्रशिक्षण, कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है।

6.17 मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) 2019 :- पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति, परम्पराओं एवं भोजन के अनुभव सहित स्वच्छ वातावरण में ठहरने की सुविधा में जनभागीदारी को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये होम-स्टे इकाइयों को उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर सिल्वर, गोल्ड एवं डायमंड श्रेणी में विभाजित कर के राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। जिसके माध्यम से देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदाय की जाती है साथ ही फार्म स्टे स्थापना तथा ग्राम स्टे स्थापना के माध्यम से भी सुविधा प्रदान की जाती है।

6.18 निजी निवेशकों द्वारा पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु लैंड बैंक की स्थापना एवं निजी निवेशकों को भूमियों का निवर्तन :- लैंड बैंक की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के 57 प्रस्ताव कुल रकबा 727.58 हेक्टर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं जिसमें से 14 प्रस्ताव पर कुल रकबा 110.85 हेक्टर भूमि का आवंटन पर्यटन विभाग को प्राप्त हुआ। शेष 9 स्थानों पर स्थित भूमियों का कुल रकबा 44.00 हेक्टर भूमि निवर्तन हेतु प्रक्रियाधीन है तथा 23 लैंड पार्सल्स पर पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु ऑनलाईन निविदा के माध्यम से निजी निवेशकों को निवर्तित किये जाने बाबत निविदा प्रचलन में है।

6.19 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी निवेशकों को हेरिटेज परिसम्पत्तियों का बैंक तैयार करना व निवर्तन :- निजी क्षेत्र के माध्यम से हेरिटेज होटल के रूप में विकास कर संचालन हेतु हेरिटेज परिसम्पत्तियों का बैंक बनाया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश की चयनित हेरिटेज परिसम्पत्तियों को निजी क्षेत्र के माध्यम से हेरिटेज होटल के रूप में विकास कर 02 हेरिटेज परिसम्पत्तियों का (राँयल होटल जबलपुर, माधवगढ़ फोर्ट-सतना) का निवर्तन कर अनुबंध निष्पादन तथा 03 हेरिटेज परिसम्पत्तियों (बेनजीर पैलेस-भोपाल, सिंहपुर पैलेस (चंदेरी)-अशोकनगर, बलदेवगढ़ फोर्ट-ढीकमगढ़) का निवर्तन प्रक्रियाधीन है। वर्ष के दौरान 04 हेरिटेज परिसम्पत्तियों (क्योटी फोर्ट-रीवा, विजय राघवगढ़ फोर्ट-कटनी, महेन्द्र भवन-पन्ना, राजगढ़ पैलेस-दतिया) को ऑनलाईन निविदा के माध्यम से निजी निवेशकों को आवंटित किये जाने की निविदा प्रचलन में है।

6.20 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी निवेशकों को मार्ग सुविधा केन्द्रों (WSA) का निवर्तन :- वर्ष के दौरान ब्राउन फील्ड मॉडल के 10 मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु निजी निवेशकों के साथ अनुबंध निष्पादन किया गया है, जिसमें 500.00 लाख पूंजी निवेश तथा लगभग 100 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित हुआ।

6.21 निजी निवेश से स्थापित पर्यटन परियोजनाओं को पूंजीगत अनुदान का प्रदाय :- पर्यटन नीति अंतर्गत प्रदेश में निजी निवेशकों द्वारा 09 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान के रूप में राशि रुपये 5.08 करोड़ का भुगतान किया गया। उक्त इकाईयों की स्थापना से प्रदेश में राशि रुपये 72.57 करोड़ का निवेश हुआ तथा 255 नये कमरों का निर्माण जिससे 6.8 हजार लोगों को रोजगार मिला

6.22 जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् का गठन :- जिलों में वीकेंड एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजन तथा निजी निवेश से स्थानीय स्तर पर पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिये जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद् के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद् गठित की गई हैं ।

जिला कटनी द्वारा आयोजित " आधारशिला कटनी आर्ट फेस्टीवल -2021" 09 से 28 नवम्बर, 2021 हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

जिलों में स्टेक होल्डर्स को पर्यटकों के साथ सामान्य व्यवहार विषयक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 24 जिलों से मास्टर ट्रेनर का चयन कराया जाकर प्रथम सत्र में 06 जिलों के मास्टर ट्रेनर को माह नवम्बर, 2021 में प्रत्यास्मरण (Orientation) कार्यक्रम प्रशासन अकादमी के माध्यम से कराया गया है, शेष जिलों से प्राप्त सूची अनुसार आगामी सत्र आयोजित किये जावेंगे।

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा " एक जिला एक उत्पाद" ODOP अन्तर्गत होशंगाबाद जिले का चयन किया गया है, जिससे संबंधित कार्ययोजना तैयार की गई।

6.23 कौशल एवं प्रशिक्षण :- पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थानीय समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों जैसे-ट्रिस्ट पुलिस, गाईड, टेक्सी ड्राइवर, आदि का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ने के लिये कौशल उन्नयन कर रोजगार एवं स्वरोगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में विभिन्न क्षेत्रों में 1244 लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदाय किये जायेंगे। जिसमे 1205 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार सृजन किया गया है।

6.24 प्रदेश में पर्यटक आगमन संख्या :- वर्ष जनवरी 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक 8.87 करोड़ भारतीय एवं 3.28 लाख विदेशी, इस प्रकार कुल 8.90 करोड़ पर्यटक मध्यप्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आए ।

6.25 ग्रामीण पर्यटन :- मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों या पर्यटन महत्व के स्थलों के समीप स्थानीय/ग्रामीण समुदाय द्वारा संचालित सांस्कृतिक अनुभव आधारित ग्रामीण पर्यटन का प्रारंभ किया जा रहा है। पांच वर्ष की कार्ययोजना अन्तर्गत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 300 गांवों में कार्य किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के प्रमुख 06 सांस्कृतिक क्षेत्रों में ग्राम, हेरिटेज ग्राम में विकसित होंगे। स्थानीय गांवों/स्थलों पर स्थानीय व्यंजन, सांस्कृतिक अनुभव स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी। स्थानीय हस्तकला, हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाकर 20 गांवों में प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों को निर्माण किया जावेगा। जहां सतत् क्षमतावर्धन व उत्पादन का कार्य होगा। वर्ष 2021 में world Travel Mart 2021, लंदन में आयोजित ग्लोबल रिस्पॉसिबल अवार्ड 2021 में ग्रामीण पर्यटन परियोजना को इंडिया रीजन में गोल्ड अवार्ड एवं वैश्विक स्तर पर ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

6.26 महिला हेतु सुरक्षित स्थल :- इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों को "महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल" के रूप में विकसित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। इस हेतु एक परियोजना को महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के द्वारा "निर्भया" योजनांतर्गत स्वीकृत परियोजना की लागत कुल राशि रूपये 2798.67 लाख है, जिसमें केन्द्रांश (60%) राशि रूपये 1679.20 लाख एवं राज्यांश (40%) राशि रूपये 1119.47 लाख है। परियोजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के चयनित पर्यटन स्थलों में समुदाय के सहयोग से महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल हेतु गतिविधियों का संचालन किया जायेगा। वर्तमान में 10 परियोजना सहयोगी संस्थाओं का चयन कर उनके साथ अनुबंध किया गया है।

खनिज

6.27 राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिज संसाधनों में प्रचुरता की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है। हीरा एवं मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में प्रथम, चूना पत्थर एवं रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयला के उत्पादन में राष्ट्र में तृतीय स्थान है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 20260.94 करोड़ रुपये (अंतिम) हुआ जो गत वित्तीय वर्ष में उत्पादित मुख्य खनिज के उत्पादन मूल्य 17983.04 करोड़ रुपये से 12.67 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश में विगत वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में हुई वृद्धि / कमी का वर्षवार विवरण तालिका 6.2 में दर्शाया गया है

तालिका 6.2
प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2018-19	गतवर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2019-20 (प्रावधिक)	गतवर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2020-21 (प्रावधिक)	गतवर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)
कोयला	1186.61	5.83	1255.82	5.83	1330.05	5.91
बाक्साइट	7.50	26.34	6.86	8.60	7.19	4.81
ताम्र अयस्क	25.42	8.69	25.44	0.09	22.40	(-)11.95
आयरन ऑर	28.02	2.15	33.33	18.95	39.73	19.20
मैंगनीज अयस्क	9.43	12.63	9.58	1.64	8.64	(-) 9.81
रॉक फास्फेट	0.99	(-) 12.74	1.00	1.38	1.02	2.00
हीरा (कैरेट)	38437	(-) 3.18	28816	(-)25.03	13917	(-) 51.70
चूना पत्थर	501.02	16.35	469.69	(-)6.25	470.45	0.16

नोट - 1. 2018-19 एवं 2019-20 के आंकड़े आई.बी.एम नागपुर द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार हैं।

2. अनुच्छेद 6.30 में विभिन्न मुख्य खनिजों के उत्पादन के संबंध में भारत में मध्यप्रदेश का स्थान निर्धारित करने के लिए तत्समय उपलब्ध आई.बी.एम द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2020-21 में अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक के उत्पादनके आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

प्रदेश में वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों यथा कोयला, बाक्साईट, आयरन ऑर, रॉक फास्फेट एवं चूना पत्थर के उत्पादन में क्रमशः 5.91, 4.81, 19.20, 2.00 एवं 0.16 प्रतिशत की दर्ज हुई है किन्तु इसी अवधि में ताम्र अयस्क हीरा एवं मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में गत वर्ष से क्रमशः 11.95, 51.70 एवं 9.81, 51.70 प्रतिशत की कमी परिलक्षित रही।

बाक्स 6.1

खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन

प्रदेश में म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 प्रभावशील है। इस नियम की अनुसूची-एक और अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट खनिज (रेत एवं बजरी) को छोड़कर शेष खनिजों की खदानें शासकीय व निजी भूमि पर खनिजपट्टा/उत्खननपट्टे पर स्वीकृत की जाती हैं।

म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 में 31 मुख्य खनिजों को भारत सरकार द्वारा गौण खनिज घोषित किए जाने से इन 31 खनिजों को अनुसूची-पांच के रूप में दिनांक 13.02.2018 से अधिसूचना प्रकाशित कर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में शामिल किया गया है। इस संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 22.01.2021 से पूर्व इन खनिजों की जो पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियाँ स्वीकृत थी, उन सुरक्षित प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा अनेकों प्रकरण में 30 वर्ष की अवधि के लिए उत्खननपट्टे स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। अनुसूची-पांच के 31 गौण खनिजों के विषय में खदानों के आवंटन में गति लाने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं स्वीकृत खदानों में स्थानीय मजदूरी को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन किया गया है। प्रस्तावित संशोधन को मंत्रि-परिषद के अनुमोदन उपरांत लागू किया जा सकेगा। म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में अनुसूची-एक और अनुसूची-दो एवं अनुसूची पांच में देय रायल्टी के अलावा देय रायल्टी की 10 प्रतिशत समतुल्य राशि पर जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में लिए जाने का प्रस्ताव है। दिनांक 22.01.2021 से मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम लागू किए गए हैं जिसके फलस्वरूप प्रदेश के रेत उपलब्धता वाले जिलों में खदानों को समूह के रूप में ई-निविदा से ठेके से आवंटन करने की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा की गई है एवं यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में सीमावर्ती राज्यों से परिवहन होकर आने वाले गौण खनिज के वाहनो पर रुपये 25.00 राशि प्रति घनमीटर की दर से विनियमन शुल्क प्रावधानित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में खनिज राजस्व का संशोधित लक्ष्य 5000.00 करोड़ रुपये रखा गया था, जिसके विरुद्ध राजकोष में 5185.21 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हुईं। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में राजस्व लक्ष्य 7000.00 करोड़ रुपये रखा गया है जिसके विरुद्ध माह जनवरी, 2022 तक 5775.44 करोड़ रुपये प्राप्त हुये।

6.28 खनिज अन्वेषण : खनिज भण्डार का आंकलन प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उपयोगी होता है। खनिज भण्डार के सर्वेक्षण / पूर्वक्षण उपरांत खनिज ब्लॉकों के चिन्हांकन एवं नीलामी द्वारा निवर्तन उपरांत खनिज राजस्व अर्जित किया जाता है ।

वर्ष 2020-21 में क्षेत्रीय सत्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जिला सतना में चूनापत्थर के 04 क्षेत्र, में सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसमें 02 क्षेत्र पर सर्वेक्षण का किया जा रहा है। जिला धार में 01 क्षेत्र, जिला दमोह में 01 क्षेत्र, तथा जिला डिन्डोरी में बाकसाईट खनिज हेतु 01 क्षेत्र, जिला डिन्डोरी में बाकसाईट हेतु 01 क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य किया गया है। वर्ष 2021-22 में जिला सतना 02, धार 01 एवं दमोह 01 क्षेत्र में चूना पत्थर एवं दमोह 01 के क्षेत्र में बाकसाईट का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त क्षेत्रों में पूर्वक्षण/अन्वेषण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही खनिज भण्डारों का आंकलन किया जायेगा ।

6.29 प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार : वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 माह दिसम्बर 2021 तक प्रदेश के कुछ जिलों में चूनापत्थर, बाँकसाइड तथा लेटेराइट के खनिज भण्डारों का पूर्वक्षण कार्य किया जाकर भण्डारों का आंकलन किया गया है । राज्य में आंकलित भण्डारों का वर्षवार विवरण तालिका 6.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.3

नवीन सर्वेक्षित खनिज भण्डार

(मिलियन टन)

वर्ष	क्र.	खनिज का नाम	जिला	भण्डारों का आंकलन
2016-17	1	चूना पत्थर	धार	41.22
	2	चूना पत्थर	रीवा	4.00
	3	चूना पत्थर	सतना	6.00
	4	बाकसाइड	डिन्डोरी	12.03
	5	लेटेराइट	डिन्डोरी	23.46
2017-18	1	चूनापत्थर	धार	15.28
	2	चूनापत्थर	रीवा	05.00
	3	चूना पत्थर	सतना	22.00
	4	बाकसाइड	डिन्डोरी	0.18
	5	लेटेराइट	डिन्डोरी	0.45
2018-19	1	लेटेराइट	डिन्डोरी	0.24

वर्ष	क्र.	खनिज का नाम	जिला	भण्डारों का आकलन
2019-20	1	चूना पत्थर	रीवा	42.48
	2	चूना पत्थर	सतना	166.05
	3	चूना पत्थर	सतना	14.27
	4	चूना पत्थर	सतना	90.29
	5	लेटेराइट	डिन्डोरी	1.18
	6	बाक्साइड	डिन्डोरी	4.95
	7	रॉक फॉस्फेट	छतरपुर	3.60
2020-21	1	चूना पत्थर	सतना	10.00
	2	चूना पत्थर	सतना	10.00
	3	चूना पत्थर	सतना	218.20
	4	चूना पत्थर	दमोह	64.01
	5	चूना पत्थर	धार	59.41

6.30 प्रदेश के प्रमुख खनिज भण्डारों की जानकारी : राज्य में प्रमुख खनिजों की विभिन्न श्रेणियों के भण्डार आर्थिक दृष्टि से उपलब्ध हैं। खनिज भण्डारों का वर्ष 2015 एवं 2018 की स्थिति का विवरण तालिका 6.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.4
प्रदेश के खनिज भण्डार

खनिज	2015 - 2017	
	इकाई	कुल भण्डार
हीरा	मिलियन कैरेट	28.70
पायरोफिलाइट	मिलियन टन	28.55
डोलोमाइट	मिलियन टन	2311.39
मेंगनीज अयस्क	मिलियन टन	57.71
कोयला	मिलियन टन	27673.00
चूना पत्थर	मिलियन टन	9424.00
रॉकफॉस्फेट	मिलियन टन	58.05
डायस्पोर	मिलियन टन	7.56
कॉपर	मिलियन टन	283(ऑर)
बाक्साइड	मिलियन टन	17.46

स्रोत- भारतीय खान ब्यूरो खनिज पुस्तक।

अध्याय 07

अधोसंरचना

अधोसंरचना

अधोसंरचना विकास अर्थ व्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों की गतिविधियों के विस्तार और विकास के लिये आवश्यक है। विगत पांच वर्षों में प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों में तेजी आई है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चल रहा है। उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजमार्गों के उन्नयन कार्य में तेजी आई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

ऊर्जा


नब्बे के दशक में विद्युत उपलब्धता और मांग में अंतर बढ़ता गया तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में भी गिरावट आई। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के कारण तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की आस्तियों, दायित्वों, लेनदारी एवं देनदारी का बटवारा होने के उपरांत प्रदेश में विद्युत क्षेत्र की कठिनाईयों में भी वृद्धि हुई। प्रदेश में विद्युत क्षेत्र को वित्तीय एवं विद्युत कमी के संकट से उबारने के लिए सुधार की प्रक्रिया वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई।

7.1 संस्थागत सुधार : विद्युत क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वृहद स्वरूप का पुनर्गठन किया गया तथा उत्पादन, पारेषण एवं विद्युत वितरण हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत विद्युत कम्पनियों का गठन जुलाई, 2002 में किया गया।

सभी विद्युत कंपनियां यथा मध्यप्रदेश. पावर जनरेटिंग कम्पनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, एवं म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, 1 जून 2005 से पूर्णतः स्वशासी हो गई है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत के थोक व्यापार के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पावर ट्रेडिंग कंपनी गठित कर उसे माह जून 2006 से क्रियाशील किया गया। पावर ट्रेडिंग कंपनी का मूल कार्य तीनों वितरण कंपनियों के लिए विद्युत की व्यवस्था करना है। कंपनी का नाम 10 अप्रैल, 2012 को परिवर्तित कर एम.पी

पावर मनेजमेंट कंपनी लिमिटेड किया गया एवं विद्युत वितरण के कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए इसे तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कम्पनी का स्वरूप प्रदान किया गया। म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का पावर मनेजमेंट कंपनी में 26 अप्रैल, 2012 को विलय कर दिया गया है, तथा मंडल अब अस्तित्व में नहीं है। उर्जा विभाग के अधीन इन कम्पनियों की संरचना **बॉक्स 7.1** में दर्शाया गया है।

बॉक्स 7.1



उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु विद्युत दरों के निर्धारण एवं नियमन कार्यों के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 1998 में स्थापना की गयी थी। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत कंपनियां आयोग द्वारा विनियमित संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं तथा कंपनियों द्वारा प्रेषित राजस्व आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये तथा जन सुनवाई के उपरांत विद्युत दरों के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश जारी किये जाते हैं। इन टैरिफ आदेशों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों के युक्ति-युक्तकरण करने के प्रयास किये गये हैं।

7.2 विद्युत उपलब्धता : दीर्घ कालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में व्यापक वृद्धि हुई है। माह नवम्बर, 2021 की स्थिति में प्रदेश में उपलब्ध विद्युत क्षमता का विवरण तालिका 7.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1
उपलब्ध विद्युत क्षमता

(माह नवंबर 2021 की स्थिति में)

विद्युत उत्पादन	उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)
1.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (ताप विद्युत गृह)	5400
2.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (जल विद्युत गृह)	921
3.संयुक्त उपक्रम जल परियोजना, (नर्मदा प्रोजेक्ट एवं अन्य जल विद्युत गृह)	2460
4.केन्द्रीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र से प्राप्त अंश	5252
5.निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह से प्राप्त अंश	3402
6.अपारम्परिक उर्जा स्रोत एवं अन्य	3966
कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता	21401

राज्य सरकार ने विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हेतु आगामी वर्षों हेतु एक समग्र योजना बनाई है, जिस पर क्रियान्वयन प्रगति पर है। योजना का वर्षवार विवरण तालिका 7.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.2
विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना

नवंबर 2021 की स्थिति में

वर्ष	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी की परियोजनाओं से	संयुक्त उपक्रम जल परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से	निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से	अपारम्परिक उर्जा स्रोत से	कुल विद्युत उपलब्धता (मेगावाट)
2021-22	-	-	-	-	1900	1900
2022-23	-	-	-	247.5	1339	1586.5
2023-24	-	52.50	-	-	1600	1652.5
कुल	-	52.50	794	247.5	4839	5933

7.3 विद्युत प्रदाय : प्रदेश में विगत वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। जून, 2013 से सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। विद्युत प्रदाय का वर्षवार विवरण तालिका 7.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.3
विद्युत प्रदाय

(मिलियन यूनिट)

वर्ष	म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा			संयुक्त उपक्रम जल परियोजना			केन्द्रीय इकाईयाँ एवं डी.वी.सी से	निजी क्षेत्र अपारंपरिक एवं अन्य	प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत (*)
	ताप विद्युत	जल विद्युत	कुल	इन्दिरा सागर	सरदार सरोवर	ऑकारेश्वर			
2016-17	13193	2930	16123	3253	1785	1417	20657	21296	61176
2017-18	16581	1526	18107	837	519	442	23337	25878	66386
2018-19	23650	1760	25410	1266	324	610	22422	28058	73246
2019-20	20731	2519	23250	2837	2277	1227	20265	26577	73331
2020-21	19235	2681	21917	2758	1808	1435	26364	28466	80909


* विद्युत वितरण कंपनियों को एक्स-बस आपूर्ति, जिसमें ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की आपूर्ति एवं अन्य संस्थाओं को विक्रय की गई विद्युत सम्मिलित नहीं है।

वर्ष 2019-20 के समान ही वर्ष 2020-21 में भी विद्युत की संपूर्ण मांग की आपूर्ति की गई।

7.4 विद्युत मांग : 01 नवम्बर, 2021 में विद्युत उपलब्धता क्षमता 21401 मेगावाट हो चुकी है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र से प्राप्त विद्युत क्षमता सम्मिलित है। रबी के मौसम (अक्टूबर से मार्च) में कृषि क्षेत्र की विद्युत मांग में लगभग 4500 से 5000 मेगावाट की वृद्धि होती है। रबी के मौसम में न्यूनतम और अधिकतम आवश्यकता क्रमशः लगभग 10000 मेगावाट एवं 16700 मेगावाट रहने की संभावना है, अतः रबी मौसम में विद्युत प्रदाय की सुचारु व्यवस्था के लिये विद्युत बैंकिंग का उपयोग भी किया जाता है। प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है तथा भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहेगी।


7.5 विद्युत विक्रय : वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.37 प्रतिशत अधिक विद्युत का विक्रय हुआ। वर्ष 2016-17 से 2020-21 में विद्युत विक्रय की स्थिति चित्र 7.1 में दर्शायी गई है।

चित्र 7.1
विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट में)




7.6 अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति : विगत वर्षों में विद्युत की उपलब्धता में निरन्तर वृद्धि होने से कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। दिसम्बर, 2020 को सर्वाधिक 15425 मेगावाट अधिकतम मांग की आपूर्ति दर्ज की गई है, जो प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की विद्युत मांग आपूर्ति चित्र - 7.2 में दर्शयी गई है।

चित्र 7.2
अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति (मेगावाट में)



7.7 विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट : वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक प्रदेश विद्युत वितरण प्रणाली में किये गये इनपुट का विवरण चित्र 7.3 में दर्शाया गया है ।


चित्र 7.3
विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट



7.8 विद्युत पारेषण एवं वितरण व्यवस्था का सुदृढीकरण : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में अधोसंरचना सुधार एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु विद्युत कम्पनियों के लिये धन की व्यवस्था भी की गई है तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विद्युत कंपनियों को ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है। उपपारेषण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण के विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप वितरण अधोसंरचना में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में उपभोक्ताओं की संख्या 115.8 लाख थी जो बढ़कर मार्च 2021 में 166.7 लाख हो गई ।

7.9 श्रेणीवार विद्युत का उपयोग : वर्ष 2020-21 में विद्युत उपयोग के अर्न्तगत सर्वाधिक विद्युत उपभोग 43.2 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में किया गया है । इसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन हेतु विद्युत उपभोग का प्रतिशत 18 रहा है । वर्ष 2016-17 से 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत के श्रेणीवार उपयोग को चित्र 7.4 में दर्शाया गया है ।

चित्र 7.4
विद्युत का उपयोग



7.10 ग्रामीण विद्युतीकरण : 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में रुपये 3682.52 करोड़ लागत की 78 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें से 76 परियोजनाओं के कार्य पूर्णता प्रतिवेदन आर.ई.सी.लिमिटेड को प्रेषित किये जा चुके हैं तथा शेष परियोजनाओं के कार्य पूर्णता प्रतिवेदन की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

7.11 ``दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना`` के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण, मीटरीकरण, वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के लिये प्रदेश के 52 जिलों हेतु रुपये 2886 करोड़ लागत की 50 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना में 20.39 हजार मजदूरों / टोलों सहित ग्रामों का सघन विद्युतीकरण के प्रावधान के साथ 145, 33/11

के.व्ही. के उपकेन्द्र 21.59 हजार कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 25.63 हजार कि.मी. एल.टी. लाईन के कार्य सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 46 ग्रामों के सघन विद्युतिकरण कार्य सम्मिलित था जिनमें से 19.56 हजार मजूरें/टोले 145, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों, 21.82 हजार कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 25.89 हजार कि.मी. एलटी लाईन एवं सभी 46 सांसद आदर्श ग्रामों में सघन विद्युतिकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त सभी 50 परियोजनाओं कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

7.12 इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम : योजना शहरी क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना बेहतर बनाने, उच्च गुणवत्ता के मीटर स्थापित करने तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2014 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक की आबादी वाले अधिसूचित शहरी क्षेत्र शामिल किए गए हैं। योजना की कुल लागत लगभग रुपये 1562 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान, वितरण कंपनियों/राज्य शासन को 10 प्रतिशत राशि स्वयं के स्रोत से एवं 30 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में लिया जाना है। योजनान्तर्गत 43 जिलों के कार्य स्वीकृत कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं।

7.13 उदय योजना : विद्युत वितरण कंपनियों की संचित हानियों एवं बकाया ऋणों में हुई वृद्धि के निराकरण एवं वितरण कंपनियों की वित्तीय साध्यता के लिये भारत सरकार की **उज्ज्वल डिस्कॉम एंशयोरेंस योजना (उदय)** योजना में सम्मिलित होने के लिये विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 10 अगस्त, 2016 को समझौता जापन हस्ताक्षरित किया है। उदय योजनान्तर्गत वितरण कंपनियों की संचालन दक्षता में सुधार लाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसके तहत राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों पर कार्यशील पूंजी, पूंजीगत तथा सतत ऋणों के विरुद्ध कुल बकाया राशि रुपये 26055 करोड़ का अधिग्रहण 5 वर्षों में करने हेतु रुपये 7568 करोड़ की राशि को अंशपूंजी में परिवर्तित किया जाएगा तथा शेष राशि अनुदान के रूप में परिवर्तित की जाएगी। इसके अतिरिक्त राशि रुपये 5122 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त हस्ताक्षरित समझौता जापन अनुसार राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों का 5 प्रतिशत राशि रुपये 253.21 करोड़ का भी अधिग्रहण राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019 मार्च में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसी प्रकार वर्ष 2018-19 की हानियों का 10 प्रतिशत राशि रुपये 730 करोड़ का अधिग्रहण राज्य शासन द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में हानियों के अधिग्रहण हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रुपये 712.00 करोड़ विद्युत वितरण कंपनियों को विमुक्त की गई है वर्ष 2021-22 में वितरण कंपनियों के हानियों का अधिग्रहण हेतु राशि रुपये 1000.00 करोड़ विमुक्त का प्रावधान है।

7.14 एनर्जी आडिट : वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से अधिक विद्युत हानि के क्षेत्रों की पहचान करने एवं अधिक हानियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए ई.एच.वी.,33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. फीडर्स पर 100 प्रतिशत मीटरीकरण कर एनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है। संभागीय स्तर तक निरन्तर एनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है। डी.टी.आर. स्तर तक मीटरीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में एटी.एंड सी.हानियां 32.72 एवं ट्रांसमिशन हानियां 2.62 प्रतिशत के स्तर तक लाई गई हैं।

7.15 राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में विद्युत के क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन सुधार हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है जिसका वर्षवार विवरण तालिका 7.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.4

राजस्व प्राप्ति (राज्य शासन से प्राप्त सब्सिडी मिलाकर)

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	कुल
2016-17	7567	7228	10703	25498
2017-18	8475	8386	12128	28989
2018-19	9281	10224	13558	33063
2019-20	10968	11665	15344	37977
2020-21	9838	10839	13370	34047

7.16 उपभोक्ता सर्विस के सुधार हेतु कदम : विद्युत कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण सेवा सुनिश्चित करने हेतु नियामक आयोग द्वारा विद्युत सप्लाई कोड लागू किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तीनों वितरण कंपनियों के अंतर्गत अलग-अलग उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये गये हैं। विद्युत नियामक आयोग के अंतर्गत एक लोकपाल की नियुक्ति की गई ताकि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में लोकपाल के समक्ष अपील कर सकें। नवीन कनेक्शनों के लिये ऑनलाईन सेवा प्रारंभ की गई है तथा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की संख्या न्यूनतम की गई है। म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के वितरण अनुपालन मानदंड में विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई है, जिसका वितरण कंपनियों को अनुपालन करना अनिवार्य है।

7.17 उपभोक्ताओं के हित में लागू योजनायें :

I. अटल गृह ज्योति योजना : अगस्त 2019 से अटल गृह योजना लागू की गई थी, जिसमें मात्र संबल योजना के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर 100 यूनिट की खपत हेतु अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जा रहा है एवं शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को 101 से 150 यूनिट खपत के लिये टैरिफ आदेश अनुसार दर लागू होगी। योजना के अंतर्गत 100 वाट तक के संयोजित भार के 30 यूनिट तक की मासिक खपत वाली उपभोक्ता श्रेणी के अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 25 रुपये का बिल दिया जा रहा है एवं अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। योजना हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में राशि रुपये 2581.00 करोड़ की सब्सिडी प्रदान कि गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में राशि रुपये 4981.00 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। इस योजना से प्रदेश के लगभग प्रतिमाह औसत 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

II. अटल किसान ज्योति योजना : प्रदेश में अटल किसान ज्योति योजना लागू की गई है, जिसमें 10 हार्सपावर तक के स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष एवं 10 हार्सपावर से अधिक को 1500 रुपये प्रतिवर्ष की फ्लैट रेट से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है साथ ही 10 हार्सपावर तक के मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप कनेक्शन एवं अस्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को भी रियायत दी गई है। शेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है जिससे 26 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2020-21 में राज्य शासन द्वारा राशि रुपये 7599.40 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया था तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य शासन द्वारा राशि रुपये 4600.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अटल किसान ज्योति योजना के अतिरिक्त एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 8 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को 5 हार्सपावर तक के कृषि पंप कनेक्शनों हेतु निःशुल्क बिजली दी जा रही है, जिसके एवज में राज्य शासन बिजली कंपनियों को वर्ष 2020-21 में रुपये 3029.75 करोड़ वार्षिक की सब्सिडी प्रदान की गई है तथा वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 1301 करोड़ सब्सिडी अनुमानित है।

7.18 समाधान योजना : प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत 1 किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की दिनांक 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की अस्थगित राशि के भुगतान में इन उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से "समाधान योजना" लागू किया गया है जिसके प्रावधान अनुसार मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जायेगी। या मूल राशि का 75 प्रतिशत 6 समान किस्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जावेगी उपरोक्त दोनों विकल्पों के अंतर्गत माफ किये जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूर्ण राशि एवं माफ की गई मूल राशि 50 प्रतिशत संबंधित वितरण कंपनी द्वारा 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

7.19 स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (ओ.वाय.टी.) : राज्य शासन द्वारा कृषकों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के दृष्टिगत कृषकों के लिये "स्वयं का ट्रांसफार्मर" लगाये जाने की योजना लागू की गई है। इस योजना में किसान अपने व्यय से, निर्धारित मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को समूह में भी ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के प्रारंभ से नवम्बर, 2020 तक 91.95 हजार ट्रांसफार्मर की स्थापना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

राज्य शासन/गैर पारम्परिक ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा के प्रदेश में सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किये गये गंभीर प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता जो मार्च 2012 में 491 मेगावाट थी, से बढ़कर जनवरी 2022 तक 5100 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार विगत पांच वर्षों में लगभग दस गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। जिसमें पवन ऊर्जा की 2444 मेगावाट, सौर ऊर्जा की 2438 मेगावाट, बायोमास से 119 मेगावाट एवं लघु जल विद्युत परियोजना से 99 मेगावाट का योगदान है।

7.20 सोलर पार्क परियोजना :- वर्ष 2020-21 में प्रदेश के आगर, शाजापुर, नीमच, छतरपुर, मुरैना, सागर एवं रीवा जिले में सोलर पार्क परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है प्रदेश के ओंकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर प्लोटिंग परियोजना का कार्य नवाचार प्रदेश के साथ-साथ देश के लिए गर्व का विषय है कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 3000 करोड की है जो की निजी निवेश से की जावेगी।

7.21 पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना: प्रदेश में विद्युत के उत्पादन हेतु 750 मेगावॉट क्षमता की पवन सोलर हाइब्रिड परियोजना की कार्यवाही प्रक्रिया में है। इस परियोजना की लागत लगभग राशि रुपये 4000 करोड़ है।

7.22 सोलर रूफटॉप परियोजना : प्रदेश में सोलर रूफटॉप परियोजनाएँ का कार्य भी वृहद स्तर पर कर रहे हैं। जिसमें रेस्को एवं ई.पी.सी.मोड में लगभग 40 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह परियोजनाएँ प्रदेश के शासकीय भवनों क्रमशः पुलिस विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, अस्पतालों, महाविद्यालयों चिकित्सा महाविद्यालयों भवनों में स्थापित किये जा रहे हैं।

7.23 सांची सोलर सिटी : विश्व विख्यात सांची पर्यटक स्थल को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने की योजना ली गई है। इस पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है योजनान्तर्गत, सांची शहर की विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति सौर ऊर्जा से की जाना योजित है। 6 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना हेतु भूमि चयन इत्यादि प्रारंभिक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

7.24 मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना (प्रधानमंत्री कुसुम बी-योजना) : प्रदेश के कृषकों को सिंचाई व्यवस्था के लिये सोलर पम्प की स्थापना की जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में अब तक 6.79 हजार सोलर पम्प किसानों के यहाँ स्थापित किये जा चुके हैं। प्रदेश में लगभग 23.50 हजार किसानों ने सोलर पम्प को अपने यहाँ स्थापित करने के लिए पंजीयन करवाया है।

7.25 प्रधानमंत्री कुसुम-'अ' योजना : इस योजना में कृषक अपनी कम उपजाऊ/बंजर जमीन में सोलर संयंत्र की स्थापना उपरांत राज्य शासन को विद्युत विक्रय कर सकता है जिससे कृषक की आय सुनिश्चित हो सकेगी। इस परियोजना के तहत प्रदेश के चयनित किसानों को 295 मेगावॉट क्षमता की विद्युत प्रदाय की गई है।

7.26 प्रधानमंत्री कुसुम-'स' योजना : इस योजना के तहत वर्तमान में कृषकों के यहाँ स्थापित ग्रिड कनेक्टेड सिंचाई पम्पों (कृषि कार्य हेतु) को सोलराईज करने का प्राथमिक उद्देश्य है। जिसके लिए कृषि फीडरको सोलराईज कर किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के साथ-साथ अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान किया जायेगा। किसानों के खेत पर उचित क्षमता का सोलर पॉवर पैक स्थापित कर उसके पम्प को ऊजीकृत किया

जावेगा तथा अतिरिक्त उत्पादित होने वाली बिजली का लाभ उसको अतिरिक्त आय के रूप में प्राप्त हो सकेगा। इससे कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा विद्युत सबसीडी के भार को कम किया जा सकेगा। इससे किसानों को बिजली की बचत के लिए प्रोत्साहित कर जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2022-23 हेतु 25.00 हजार नग ग्रिड कनेक्टेड सोलर पम्पों को सोलर्राईज करने का लक्ष्य रखा गया है।

7.27 ऊर्जा साक्षरता अभियान : ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य शासन ने 25 नवम्बर 2021 से ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारम्भ किया है। विश्व के इस अनूठे अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों, जन साधारण व सभी नागरिकों को ऊर्जा, सौर ऊर्जा खपत की जानकारी दी जाएगी।

परिवहन/ संचार

प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में यातायात मार्गों एवं परिवहन संसाधनों का विशेष महत्व है। राज्य में उपलब्ध खनिज, वनोपज, कृषि उपज उपभोक्ता वस्तुओं एवं जनसामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिये रेल एवं सड़क मार्गों का उपयोग होता है। प्रदेश में रेल मार्गों की लम्बाई की अपर्याप्तता के फलस्वरूप सड़क यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है।

सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर वर्ष 2019-20 (प्रा) एवं 2020-21 (त्व.) में इस क्षेत्र की अंश भागीदारी क्रमशः 2.60 एवं 2.21 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर (2011-12) क्रमशः 3.35 एवं 2.95 रही है। राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2019-20 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेलवे का अंश 0.98 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.12 प्रतिशत अंश है। वर्ष 2020-21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेलवे का अंश 0.78 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 0.95 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में संचार क्षेत्र का अंश वर्ष 2019-20 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर 1.44 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 (त्व.) के अनुसार 1.48 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2019-20 में 1.89 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 (त्व.) में 1.97 प्रतिशत अंश परिलक्षित है। राज्य सकल मूल्यवर्धन में परिवहन का अंश का वर्षवार विवरण तालिका 7.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.5
सकल राज्य मूल्य वर्धन में परिवहन/संचार का अंश

अवधि	क्षेत्र					
	परिवहन (अन्य साधन)		रेल्वे		संचार	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर
2011-12	3.22	3.22	1.05	1.05	1.69	1.69
2012-13	3.10	3.17	1.19	1.24	1.65	1.69
2013-14	3.00	3.18	1.10	1.24	1.85	1.97
2014-15	3.09	3.31	1.09	1.20	2.02	2.16
2015-16	2.97	3.30	1.17	1.30	2.17	2.41
2016-17	2.76	3.17	1.09	1.17	1.71	1.96
2017-18	2.76	3.32	1.05	1.18	1.49	1.79
2018-19	2.71	3.30	0.98	1.12	1.43	1.80
2019-20 (प्रा.)	2.60	3.35	0.98	1.12	1.44	1.89
2020-21 (त्व.)	2.21	2.95	0.78	0.95	1.48	1.97

(प्रा.) - प्रावधिक अनुमान (त्व.) - त्वरित अनुमान

पंजीकृत वाहन

परिवहन विभाग के प्रमुख कार्य केन्द्रीय/राज्यीय मोटरयान अधिनियम/नियम 1988, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयन, नियमन नियंत्रण एवं शासन को शुल्क व कर के रूप में राजस्व उपलब्ध कराना है। वर्ष 2020-21 में परिवहन विभाग ने 2746.32 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है जो गत वर्ष की तुलना में 16.16 प्रतिशत कम है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 3600.00 करोड़ के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक लगभग राशि रुपये 1899.00 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।

7.28 पंजीकृत वाहनों की संख्या : प्रदेश में पंजीकृत वाहनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019-20 तक 25.84 लाख वाहन पंजीकृत हैं।

7.29 विभाग की कार्ययोजना की प्रगति एवं लाभकारी योजना:- मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा आम जनता को मोबाइल एप्प तथा एस.एम.एस. के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। एम.पी.मोबाइल एप्प सेवा के माध्यम से पंजीकृत वाहन, ड्रायविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, वाहनों पर लगने वाले मोटरयान कर की गणना अस्थाई पंजीयन एवं भुगतान रसीद के विवरण आदि की जानकारी सहजता से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई ई-सेवा के तहत परिवहन विभाग की बेबसाइट www.mptransport.org व एस.एम.एस. नम्बर 53030 पर वाहनों से संबंधित समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा ई-डी.एल. एवं ई-आर.सी.सेवा के माध्यम से चालक लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र को डिजिटल स्वरूप में मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है।

वाहनों का पंजीयन, चालक लाइसेंस, फिटनेस अनापत्ति प्रमाण पत्र, वाहनों के परमिट, कर भुगतान एवं डीलर प्वाइंट इन्रोलमेंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था ऑनलाइन प्रारंभ की जा चुकी है। डीलर प्वाइंट इन्रोलमेंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से नवीन वाहन क्रय करने वाले वाहन स्वामियों को परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

सड़क सुरक्षा विशेष अभियान के तहत फरवरी से मार्च 2021 तक 21.22 हजार बसों की चेकिंग, पात्रता से अधिक यात्री होने पर उनके विरुद्ध 864 बसों पर कार्यवाही तथा राशि रुपये 1.40 करोड़ का शमन शुल्क वसूला गया।

- **विजन जीरो** - सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा 17 अगस्त 2021 से विजन जीरो कार्यक्रम प्रदेश में लागू किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षा, पुलिस, परिवहन, सड़क विभागों के साथ-साथ चिकित्सा संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष मृत्युदर में कमी लाना है।

राज्य में सड़कें

सड़क परिवहन, प्रदेश में लोक निर्माण विभाग एवं प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से निर्मित विभिन्न श्रेणी के मार्गों के लंबाई की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 7.6

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	प्रान्तीय राजमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला / ग्रामीण मार्ग	कुल योग(कि.मी.)
2016	7175	10934	19429	26482	64020
2017	7175	10934	21132	23755	62996
2018	8010	11389	22129	23395	64923
2019	8858	11389	22091	28623	70961
2020	8858	11389	22691	28023	70961

स्रोत - प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग म.प्र.

7.30 राष्ट्रीय/प्रांतीय राजमार्ग एवं मुख्य जिला मार्ग : मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2020, तक 8858 किलोमीटर है एवं प्रांतीय राज्यमार्गों की लंबाई 11389 किलोमीटर है तथा राज्य में मुख्य जिला मार्गों की लंबाई कुल 22691 किलोमीटर है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत सामान्य विकासखण्ड क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी विकासखण्ड क्षेत्र में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है ।

7.31 योजनायें एवं उपलब्धियां :-

1. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य की कुल 17541 बसाहटों को जोड़ने के लिए 73036 कि.मी. लम्बाई की सड़कों की स्वीकृती प्रदान की गई है, जिसमें 72887 कि.मी. लम्बी 18892 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जाकर 17506 बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है शेष 139 कि.मी. सड़कों का निर्माण प्रगति पर है जिससे 32 बसाहटें जोड़ी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त 658 वृहद पुलों की स्वीकृती प्राप्त हुई है, जिसमें 552 पुलों का निर्माण पुर्ण किया जाकर शेष कार्य प्रगति पर है।
2. भाग-2 योजनान्तर्गत भारत सरकार से आर्थिक आधार पर रूरल मार्केट सेंटर एवं रूरल हब को जोड़ने वाली पूर्व से निर्मित सड़को का उन्नयन कार्य किये जाने हेतु प्रदेश को 5000 कि.मी. मार्ग के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था जिसके तहत 374 मार्गों की

लम्बाई 4984 कि.मी. एवं 245 नग पुलों के निर्माण हेतु राशि रुपये 3599.47 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में 4873 कि.मी. के मार्गों तथा 221 पुलों का निर्माण पूर्ण कर शेष कार्य प्रगति पर है।

3. भाग-3 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजार, शिक्षण संस्थाओं एवं चिकित्सा संस्थाओं को बसाहटों से जोड़ने के लिए विद्यमान सड़को को जोड़कर उन्नयन हेतु योजना प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 3473.41 करोड़ का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है जिसमें 501 मार्गों, 5167 कि.मी. लंबाई एवं 146 नग बड़े पुलों के लिये मिला है इनमें से 483 मार्गों एवं 146 बड़े पुलों के कार्य प्रगति पर है। शेष 18 मार्गों हेतु कार्यवाही प्रचलन में है ।
4. मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता परियोजना के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृती प्रदान की गई थी जिसमें 10000 कि.मी. ग्रेवल सड़को का डामरीकरण का चयन कर 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 150 से 499 की आबादी के ग्राम तथा आदिवासी 100 से 249 तक की आबादी के ग्राम परियोजना में शामिल किये गये हैं। उपरोक्त परियोजना (AIIB) द्वारा वित्त पोषित परियोजना की कुल लागत 3263 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 210 यू.एस. मिलियन डालर (AIIB) द्वारा 140 मिलियन डालर की सुविधा प्राप्त है, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार को 152 यू.एस. मिलियन डालर की व्यवस्था करनी होगी। योजना अंतर्गत 10481 कि.मी. की प्रशासकीय स्वीकृती प्राप्त हुई जिसमें 9885 कि.मी. मार्गों के कार्य आवंटित किये जा चुके हैं। अभी तक 8601 कि.मी. लम्बाई के मार्ग का पूर्ण कार्य किया गया है जिस पर राशि रुपये 2526 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

7.32 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : योजनांतर्गत सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को सिंगल कनेक्टिविटी द्वारा पुल-पुलियों सहित बारहमासी सड़क सम्पर्क (ग्रेवल सड़क उपलब्ध कराने) हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया है साथ ही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत 1184 मार्ग कुल लंबाई 2725 कि.मी. एवं 21 वृहद् पुलों को निर्माण कर 1220 ग्रामों को जोड़ा जा चुका है। वर्तमान में इन मार्गों में से एमपीआरसीपी के दिशा निर्देशों के तहत मार्गों का चयन कर विश्व बैंक की सहायता से डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। योजनांतर्गत 8750 ग्रामों को जोड़ने हेतु 8523 सड़कों जिसकी लंबाई 19723 किमी के कार्य राशि रुपये 4256 करोड़ से सम्पन्न कराए जा रहे हैं। नवम्बर, 2021 तक 8379 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाकर 8239 सड़कों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिस पर राशि रुपये 3442 करोड़ व्यय किये गये हैं।

सिंचाई

बाक्स 7.2

सिंचाई

प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में विगत वर्षों में सामान्य वृद्धि देखी गई है। विशेषकर यह देखा गया है कि सिंचाई हेतु भू-जल के दोहन पर निर्भरता बढ़ रही है। प्रदेश में सिंचाई जलाशयों के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता विकसित की आवश्यकता है।

राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। राज्य की 10 प्रमुख नदियों में वार्षिक औसतन 81500 मिलियन घन मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है जिसमें से लगभग 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है जो कुल उपलब्ध जल का 69.7 प्रतिशत है।

7.33 सिंचित क्षेत्र एवं सिंचाई के स्रोत : वर्ष 2018-19 शुद्ध सिंचित क्षेत्र 11356.2 हजार हेक्टर था जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 12515.2 हजार हेक्टर हो गया। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 10.21 प्रतिशत की वृद्धि रही। वर्ष 2019-20 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 78.56 कुएं एवं नलकूप से है, उसके पश्चात नहरों/तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत 25.90 तथा अन्य स्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 13.03 रहा। विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण तालिका 7.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.7

सिंचाई के स्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	शासकीय नहरें	तालाब	नलकूप/कुएँ	अन्य	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल बोया गया क्षेत्र	शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
2015-16	1825.5	264.7	6720.0	1218.3	9284.4	15252.5	23817.1	60.9
2016-17	1915.6	298.3	7168.6	1288.5	9876.0	15331.1	24317.1	64.4
2017-18	1864.5	285.0	7761.7	1483.1	10565.9	15190.7	25114.0	69.6
2018-19	2194.5	346.0	8645.1	1500.5	11356.2	15205.1	26115.1	74.7
2019-20	2766.8	474.4	9831.9	1630.9	12515.2	15511.9	28276.5	80.6

स्रोत:- भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र.

7.34 शासकीय साधनों से निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2020-21 में 3383.46 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया था। वर्ष 2021-22 में माह जनवरी, 2021 तक 3363.89 हजार हेक्टर खरीफ सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है। वर्षवार विवरण तालिका 7.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.8
सिंचाई क्षमता एवं उपयोग

(रबी एवं खरीफ) (हजार हेक्टर में)

वर्ष	वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता का उपयोग	लघु सिंचाई क्षमता का उपयोग	कुल योग सिंचाई क्षमता का उपयोग
2017-18	1814.16	658.88	2473.04
2018-19	2080.32	889.06	2969.38
2019-20	2116.3	1008.70	3125.01
2020-21	2353.79	1029.67	3383.46
2020-21 (जन.2021 तक)	2387.86	976.03	3363.89

स्त्रोत - प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग म.प्र.

7.35 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र : समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र वर्ष 2018-19 में 12687 हजार हेक्टर एवं वर्ष 2019-20 में 14704 हजार हेक्टर रहा । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में समस्त फसलों के सिंचित क्षेत्रफल में 15.90 प्रतिशत की वृद्धि रही । इस अवधि में धान, गेहूँ, कपास मसाले के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में क्रमशः 27.52, 36.69, 52.37; 14.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु समस्त दलहन, समस्त तिलहन, गन्ना, फल एवं सब्जियां एवं अन्य के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में क्रमशः 25.22, 76.07, 2.99, 39.70 एवं 8.03 प्रतिशत की कमी आंकी गई है । प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण तालिका 7.9 में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.9
प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	धान	गेहूँ	समस्त दलहन	समस्त तिलहन	गन्ना	कपास	मसाले	फल एवं सब्जियां	अन्य	कुल योग
2015-16	721	5647	1797	407	130	335	423	396	173	10029
2016-17	842	6054	1868	425	120	342	429	406	185	10671
2017-18	900	5860	2813	460	124	343	340	389	165	11394
2018-19	1163	6866	2780	539	134	401	332	335	137	12687
2019-20	1483	9385	2079	498	130	422	379	202	126	14704

स्त्रोत:- भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र.

कमाण्ड क्षेत्र (विकास) :-

7.36 कमाण्ड क्षेत्र (विकास) कार्यक्रम एवं सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी : राज्य में बेहतर भूमि, जल प्रबंधन तथा वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सैच्य क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है तथा वर्ष 1980 में स्वतंत्र आयाकट विभाग का गठन किया गया। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 से आयाकट विभाग को समाप्त कर इसका संविलियन जल संसाधन विभाग में करके आयाकट विकास प्राधिकरणों को प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है।

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 08 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यरत हैं, जिसमें 23 परियोजनाएँ शामिल हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 10.38 लाख हेक्टर क्षेत्र के विरुद्ध मार्च, 2021 तक 7.17 लाख हेक्टर क्षेत्र में फील्ड चैनल निर्माण कार्य किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2064 जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया गया है।

कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 8.88 हजार हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक 2.12 हजार हेक्टर कार्य संपादित किया गया है एवं राशि रुपये 35.24 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 10.80 करोड़ व्यय किये गये।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

7.37 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास : परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु " राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन", मध्यप्रदेश नोडल संस्था है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश के अधीन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है। "विकास आयुक्त" राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अध्यक्ष है।

- "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास का मुख्य उद्देश्य (1) मृदा एवं जल संरक्षण एवं संवर्धन के माध्यम से वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराना। (2) वर्षा आधारित कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना। (3) संसाधनहीन ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना है।

- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्तमान राशि रूपये 3004.41 करोड़ की लागत से 25.05 लाख हेक्टर क्षेत्र में 443 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत राशि रूपये 12.00 हजार प्रति हेक्टर के मान से परियोजना राशि आवंटित की जाती है। जो वित्त पोषण हेतु 60: केन्द्रांश तथा 40: राज्यांश का प्रावधान किया गया है।
- योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राशि रूपये 438.20 करोड़ उपलब्ध हुए जिसके विरुद्ध राशि रूपये 348.32 करोड़ व्यय किये जाकर 79.49% वित्तीय प्रगति अर्जित की गई है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में 6745 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परिणामतः 37330.00 हेक्टर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 माह नवम्बर, 2021 तक कुल राशि रूपये 90.90 करोड़ उपलब्ध हुए हैं जिसके विरुद्ध राशि रूपये 78.44 करोड़ व्यय किये जाकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 86 प्रतिशत प्रगति अर्जित की गई है।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2021 तक 1680 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया जिसके विरुद्ध 7358 हेक्टर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

अध्याय 08

सामाजिक
क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

पिछले एक दशक में राज्य में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की साक्षरता दर 69.3 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 73.0 से कम है। उपरोक्त साक्षरता दर के उपरांत भी लगभग 40 प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं। राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा

8.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 : प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 2021-22 के लिये स्वीकृत 534671.25 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत हुई। राज्य शिक्षा केन्द्र से संबंधित योजनाओं की वर्ष 2020-21 की वित्तीय उपलब्धि का विवरण तालिका 8.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.1
समग्र शिक्षा वित्तीय प्रगती
2020-21

घटक	(करोड़ रुपये में)		
	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
प्रारंभिक शिक्षा	4526.21	4332.51	3535.71
माध्यमिक शिक्षा	47.19	39.65	33.47
शिक्षक शिक्षा	1322.41	1058.1	740.19
योग	5895.81	5430.26	4309.37

8.2 समग्र शिक्षा अभियान : प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के अन्तर्गत बिन्दुओं को **बाक्स 8.1** में दर्शाया गया है।

बाक्स 8.1

समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य

- गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि।
- स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को पाटना।
- स्कूल शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना।
- व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करना।
- शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शिक्षक शिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं (DIETs) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना।

8.3 शालायें : शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बसाहट में 6 से 11 आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चें उपलब्ध होने पर 1 किमी की परिधि में प्राथमिक शाला सुविधा तथा 11 से 14 आयु वर्ग के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किमी की परिधि में मिडिल शाला उपलब्ध कराई जानी है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश की समस्त बसाहटों में शाला सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

8.4 नामांकन : राज्य में वर्ष 2019-20 में प्राथमिक शालाओं में कुल नामांकन 76.15 लाख था। जो कि वर्ष 2020-21 में घटकर 74.57 लाख हो गया । माध्यमिक शालाओं में कुल नामांकन वर्ष 2019-20 में 42.96 लाख था जो वर्ष 2020-21 में घटकर 42.75 लाख हो गया । प्रदेश की शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में कुल नामांकन की स्थिति तालिका 8.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.2

प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2019-20			वर्ष 2020-21 (प्रा.)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	39.65	36.50	76.15	38.83	35.74	74.57
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	22.45	20.51	42.96	22.28	20.47	42.75
प्रारम्भिक (कक्षा 1 से 8)	62.10	57.01	119.11	61.11	56.21	117.32

प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के शुद्ध नामांकन अनुपात लगभग समान हो गया है ।

8.5 शाला त्यागी दर : विभिन्न कारणों से छात्र/छात्रायें अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर शाला त्याग देते हैं। वर्ष 2019-20 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र, छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 1.16 एवं 0.94 प्रतिशत रही जबकि वर्ष 2020-21 में शाला त्यागी दर कक्षा 1 से 5 के छात्र छात्राओं में क्रमशः 1.43 एवं 1.26 प्रतिशत हो गई।

इसी प्रकार राज्य में वर्ष 2019-20 में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र, छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 3.70 एवं 4.81 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2020-21 में कक्षा 6 से 8 की छात्र, छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 6.11 एवं 6.63 प्रतिशत रही। विभिन्न स्तर की शालाओं में शाला त्यागी दर तालिका 8.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.3
शाला त्याग दर

स्तर	2019-20			2020-21 (प्रा.)		
	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	1.16	0.94	1.05	1.43	1.26	1.35
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	3.70	4.81	4.22	6.11	6.63	6.36

8.6 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं गणवेश वितरण : शासकीय विद्यालयों पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई । कक्षा 1 से 8 तक प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्रों को 2 जोड़ी गणवेश हेतु रुपये 600 का प्रावधान है । इस वर्ष स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गणवेश सिलवाकर वितरण की कार्यवाही की गई है।

8.7 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं छात्रावास: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी छोटी-छोटी बसाहटों की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण करने के लिये 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं अतिरिक्त 324 बालिका छात्रावास स्थापित किये गये जिनमें प्रतिवर्ष 54 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। यूनिसेफ के सहयोग से स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 66 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 6 से 12 तक उन्नयन किया गया है जिससे लगभग 6.60 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे।

8.8 निःशुल्क साईकिल वितरण : पांचवीं कक्षा पास करके छठवीं में दूसरे ग्रामों में स्थित शासकीय शालाओं में अध्ययन हेतु जाने वाली बालक/बालिकाओं को साईकिल क्रय करके प्रदान की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे बालक बालिकाओं को भी साईकिल का प्रावधान किया गया जो ग्राम की बसाहट में निवासरत है तथा बसाहट से शाला की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है।

8.9 कोविड - 19 लॉकडाउन के दौरान अपनाई गयी गतिविधियाँ :- लॉकडाउन के शालाओं के असामयिक बंद होने से विभाग के प्रयास सीखने की गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखने की दिशा में अप्रैल 2020 से रेडियो-आधारित निर्देशात्मक कार्यक्रम 'रेडियो स्कूल' शुरू किया गया है। जिसमें हमारा घर-हमारा विद्यालय, रेडियो स्कूल कार्यक्रम, व्हाट्सएप के माध्यम डिजिलेप यानी डिजिटल लर्निंग इन्हैसमेंट प्रोग्राम, खूब पढ़ो अभियान जैसे सुनना-बोलना कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को घर पर भी नियमित अध्ययन करवाया गया है।

8.10 NAS (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे) 2021 एवं PISA (छात्रों का अंतर्राष्ट्रीय आकलन कार्यक्रम) 2022 के दृष्टिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन में केवलज्ञान आधारित प्रश्नों के स्थान पर समझ आधारित अनुप्रयोग आधारित, तथा तार्किक योग्यता आधारित उच्च गुणवत्ता के प्रश्नों का समावेश करने के लिए लॉकडाउन की अवधि में प्रश्न निर्माणकर्ता (रिसोस पर्सन) का RIE (क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान) भोपाल, AIR (American Institute of Research) तथा EI (Education Initiative) संस्था की टीम द्वारा ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से उन्मुखीकरण।

8.11 गुणवत्ता सुधार योजना : राज्य के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें इस उद्देश्य से प्रदेश में कुछ विषयों में एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2020-21 तक कुल 123 पाठ्यपुस्तकों को प्राप्त फीडबैक के आधार पर पुनरीक्षित एवं संशोधित कर शिक्षा सत्र 2020-21 में म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम को उपलब्ध कराया गया है तथा कक्षा 01 से 12 तक की पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व गणित की एन.सी.ई.आर.टी. की कुल 228 पाठ्यपुस्तकों को प्रदेश के विद्यालयों हेतु अधिग्रहित किया गया है। प्रदेश में अध्ययनरत कक्षा 1 से 2 के समस्त बच्चों की निःशुल्क स्लेट, कलम व पेंसिल, रबर उपलब्ध कराई है तथा गुणवत्ता सुधार के लिये विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं जैसे दक्षता उन्नयन कार्यक्रम, STEAM कार्यक्रम, अनुगुंज-कलासे समृद्ध शिक्षा, कॉपी चेकिंग, शाला भ्रमण, शैक्षिक संवाद, शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम, PTM आयोजन, आंग्लभाषा, शिक्षण संस्थान, कहानी उत्सव, विज्ञान मित्र क्लब, खेल, यूथक्लब आदि सुधार योजना क्रियान्वित की गई है।

8.12 शिक्षा का अधिकार : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के नियम-11 में क्रियान्वयन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियां राज्य शासन ने पूर्ण की है। अधिनियम के अन्तर्गत प्राइवेट स्कूल की प्रवेशित कक्षा में वांछित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित की जाकर अब तक 12.00 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है ।

8.13 स्वच्छ विद्यालय अभियान : स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक्-पृथक् शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

8.14 विशेष प्रयास :

- **एक परिसर एक शाला :-** स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत एक ही परिसर में विभिन्न स्तर की शालाएँ पृथक् इकाई के रूप में संचालित थीं, इस कारण से एक ही परिसर में स्थित विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग विद्यार्थियों के हित में नहीं हो पा रहा था। एक ही परिसर में स्थित विभिन्न शालाओं के एकीकरण किये जाने से कक्षावार एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुये गुणवत्ता में वृद्धि होगी। लगभग 16 हजार परिसरों में स्थित 35 हजार शालाओं को एक परिसर एक शाला के रूप में चिन्हित कर इनका विलय (merger) किया गया है ।
- **एजुकेशन पोर्टल 2.0 का विकास :-** ई-गवर्नेन्स के माध्यम से, मॉनिटरिंग तंत्र का सुदृढीकरण की व्यवस्था की गयी है। चाइल्डवाइस ट्रेकिंग के माध्यम से शाला से बाहर के बच्चों का एम शिक्षा मित्र मोबाईल एप के माध्यम से बच्चेवार सर्वेक्षण कर, उनका शालाओं में नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है, समस्त बच्चों के नामांकन की जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं अन्य छात्रावासों की ऑनलाईन मॉनीटरिंग तथा अन्य कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की गयी है ।
- **विद्यालयों के विकास के लिए प्रणाम पाठशाला - विद्यालय उपहार योजना-** योजना स्थानीय नागरिकों को विद्यालय के प्रति अपने सम्मान और आदर को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। शालाओं के भौतिक और अकादमिक विकास में सामाजिक सहयोग की दृष्टि से प्रारंभ की गई इस योजना में कोई व्यक्ति, संस्था शासकीय विद्यालयों को उपहार स्वरूप सामग्री अथवा धनराशि प्रदान कर सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षा

8.15 माध्यमिक शिक्षा:- छात्रों के बौद्धिक विकास के लिये माध्यमिक शिक्षा अत्यावश्यक है। माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रदेश में वर्ष 2020-21 कुल 8445 हाईस्कूल एवं 9406 हायर सेकेण्डरी स्कूल इस प्रकार कुल 17851 शालाएं संचालित हैं। हाईस्कूलों में 22.56 लाख तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 14.67 लाख इस प्रकार कुल 37.23 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

वर्ष 2019-20 में क्रमशः 620 माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में एवं 340 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन कर पदों की स्वीकृति प्रदान कि गई है। प्रदेश में कुल शालाओं में नामांकन एवं शिक्षकों की जानकारी निम्नानुसार है :-

तालिका 8.4
शालाओं की संख्या की स्थिति

(यूडाईस के आधार पर)

स्तर	प्रदेश में संचालित कुल शालाएं
हाईस्कूल	8445
हायर सेकेण्डरी	9406
योग	17851

नोट: इसमें शासकीय एवं अशासकीय स्कूल सम्मिलित है।

तालिका 8.5
शासकीय शालाओं की उपलब्धता की स्थिति

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2020-21 की स्थिति में
हाईस्कूल	4882
हायर सेकेण्डरी	4374
योग	9256

तालिका 8.6
कुल छात्रों की संख्या/नामांकन की स्थिति) शासकीय एवं निजी

(संख्या लाख में)

स्तर	छात्रों की संख्या/नामांकन
हाईस्कूल	22.56
हायर सेकेण्डरी	14.67
योग	37.23

स्रोत:- यु डाईस 2020-21

तालिका 8.7
कुल छात्रों के वर्गवार नामांकन
की स्थिति) शासकीय एवं निजी(

(संख्या लाख में)

स्तर	बालक	बालिका	अ.जा.	अ.ज.जा.
हाईस्कूल	12.96	11.12	3.91	4.34
हायर सेकण्डरी	7.65	6.96	2.28	2.23
योग	20.61	18.08	6.19	6.57

स्रोत:- यु डाईस 2020-21

तालिका 8.8

समस्त शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या की स्थिति

स्तर	शिक्षकों की संख्या
हाईस्कूल	27680
हायर सेकण्डरी	48092
योग	75772

स्रोत:- यु डाईस 2020-21

8.16 उत्कृष्ट विद्यालय : शासकीय स्कूलों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकास खंड के मुख्यालय पर एक शासकीय उ.मा.वि .को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है । वर्तमान में 43 जिला मुख्यालयों एवं 193 विकास खंड मुख्यालयों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं । वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में 45.28 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है जबकि विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में 1.50 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुये। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों के साथ छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन योजना प्रारंभ की गई है । इसके अंतर्गत 41 उत्कृष्ट विद्यालय 100 सीटर बालक तथा 100 बालिका छात्रावास स्वीकृत किये हैं जिनका निर्माण कार्य प्रचलित है तथा अस्थाई भवनों में छात्रावास का संचालन किया जा रहा है । वर्तमान में 21 छात्रावासों के स्वयं के भवन निर्मित होकर प्राप्त हो चुके हैं जिनमें छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अंतर्गत राशिरूपये 9.19 करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके विरुद्ध तृतीय त्रैमास तक राशि रूपये 5.68 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है।

8.17 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण : शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है। योजना की सफलता के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना का विस्तार किया गया है।

वर्ष 2021-22 में शासकीय विद्यार्थियों में कक्षा 9 वी से 12वी तक नामांकित 25.16 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई गई योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 102.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

8.18 निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना : निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजनान्तर्गत कक्षा 6वी एवं कक्षा 9वीं में शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्रवर्ग के छात्र-छात्राओं को जिनके गाँव में शासकीय माध्यमिक हाई स्कूल नहीं हैं, एवं जो शहर के शासकीय स्कूल में अध्ययन के लिये जाते हैं उन्हें निःशुल्क साइकिल वितरण योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना का लाभ छात्र को कक्षा 6वीं एवं 9वीं प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा। अर्थात् कक्षा 6वीं एवं 9वीं कक्षा में पुनः प्रवेश लेने पर उसे साइकिल की पात्रता नहीं होगी। कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को 18 इंच एवं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 20 इंच की साइकिल प्रदाय की जाती है। ऐसे मंजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किमी से ज्यादा है तो ऐसे मंजरे टोले से विद्यालय में आने वाले छात्रों को साइकिल दी जावेगी। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोविड-19 के कारण अकादमिक सत्र प्रभावित होने से अब साइकिल क्रय कर वितरण का कार्य नहीं हुआ।

8.19 छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत निम्न छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना।
- सुदामा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
- स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना।
- सुदामा शिष्यवृत्ति योजना।
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना।
- पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति।
- मृत/अपंग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सत्र 13-2012से “बेटी बचाओ अभियान” अन्तर्गत इकलौती बेटी को “शिक्षा विकास छात्रवृत्ति” योजना प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत ऐसी समस्त प्रतिभावान बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान हैं एवं म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मंडल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति की पात्र होगी। यह छात्रवृत्ति उन्हीं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क रुपये -/1500से कम होगा।

वर्ष 2013-14 से उक्त योजनाएँ समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित हैं। समेकित छात्रवृत्ति योजनांतर्गत राज्य शासन के 6 विभागों की 27 प्रकार की छात्रवृत्तियां समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर विद्यार्थियों के खाते में सीधे अंतरित की जा रही है। समेकित छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में मिशन वन-क्लिक के माध्यम से लगभग 70.00लाख विद्यार्थियों को लगभग राशि रुपये 634 करोड़ वन-क्लिक के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

8.20 सुपर 100 योजना : शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10 में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक संस्थाओं, आई.आई.टी./मेडिकल कालेज/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रशिक्षण हेतु भोपाल में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि. भोपाल एवं इन्दौर के शासकीय मल्हार आश्रम उ.मा.वि. में सुपर 100 योजना संचालित है। वर्ष 2021-22 में 3.00 करोड़ रुपये का प्रावधान कर 644 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। तथा जे.ई.ई. मेन्स के परीक्षा परिणाम अनुसार इस परीक्षा में सम्मिलित हाने वाले 101 में से 75 विद्यार्थियों सफल रहें एवं एडवास में 75 में से 21 विद्यार्थियों सफल रहे। साथ ही नीट परीक्षा में 100 में से 75 विद्यार्थी सफल रहे।

8.21 मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना : राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2009-10 से मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 12 वीं में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय हेतु रुपये 25,000 प्रति छात्र के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है। यह प्रोत्साहन राशि वर्ष 2009-10 से सतत् प्रदाय की जा रही है।

वर्ष 2019-20 से माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हायर सेकेण्डरी की परीक्षा में 80 प्रतिशत था उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप प्रदाय किया जावेगा। वर्ष 2020-21 में विद्यार्थियों के हेतु योजना लागू किये जाने के राज्य शासन से निदेश प्राप्त नहीं हुये हैं।

8.22 मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन:- मॉडल स्कूलों की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई है। इन स्कूलों को बेंचमार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी जिसके अंतर्गत प्रदेश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े सभी 201 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल संचालित है। वर्ष 2011-12 से प्रत्येक कक्षा 9वीं से 12वीं तक कक्षा संचालित है। वर्तमान में मॉडल स्कूलों में 54795 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन स्कूलों के संचालन हेतु विद्यार्थी संख्या के मान से स्कूल ग्रांट दिया जाता है। जो संचालनालय स्तर से सीधे स्कूल की एसएमसीडी खाते में दिया जाता है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 10.26 करोड़ आवंटन के विरुद्ध तृतीय त्रैमास तक राशि रुपये 8.31 करोड़ प्राप्त हुये ।

वर्ष 2020-21 में कक्षा 6 का संचालन प्रारंभ किया गया है जिससे विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा एक ही परिसर में प्राप्त होगी।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान करता है। उच्च शिक्षा बनाये रखने की समसामयिक चुनौतियों और परिवर्तनों में सामंजस्य स्थापित करना विभाग की कार्य योजना का महत्वपूर्ण पहलू है।

8.23 जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता : इस योजनान्तर्गत निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने एवं शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेशित दिव्यांग विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में ली जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति रुपये 1500 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता एवं नगर निगम क्षेत्र में रुपये 500 तथा नगर पालिका क्षेत्र में रुपये 300 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है। जिसमें दिव्यांग माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो । योजना में प्रतिवर्ष 2 हजार विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

8.24 गांव की बेंटी योजना : ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं का उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिये गांव की बेंटी योजना लागू की गई है। इस योजना में चयनित छात्रा को परंपरागत स्नातक पाठ्यक्रम हेतु राशि रुपये 500.00 प्रतिमाह (10 माह के लिये) दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 3261.82 लाख का व्यय किया जाकर 65.24 हजार छात्राएं को लाभान्वित किया गया।

8.25 भवन निर्माण योजना : इस योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में भवन निर्माण/अन्य निर्माण हेतु राशि रूपये 205.00 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। उक्त राशि निर्माण एजेसियों के बी.सी.ओ. कोड में हस्तांतरित की गई है। माह नवम्बर 2021 तक निर्माण एजेसियों को लगभग 113.00 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। शासकीय महाविद्यालयों में 118 भवनों तथा अन्य निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

8.26 विक्रमादित्य योजना : इस योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन मेधावी छात्रों को निःशुल्क उच्चशिक्षा के अवसर प्रदान करना है यह योजना पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के स्थान पर "मुख्यमंत्री जन कल्याण" के नाम से लागू की गई है।

8.27 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन योजना : इस योजना का उद्देश्य अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वास्तविक व्यय या अधिकतम राशि रूपये 40 हजार अमेरिकी डालर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी में प्रदान किया जाता है। योजना में आवेदक प्रदेश का

मूलनिवासी होना चाहिये। स्नातकोत्तर उपाधि प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / स्थान से स्नातक उपाधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत होना चाहिये। आवेदक की आयु 25 वर्ष एवं पी.एच.डी. शोध हेतु 35 वर्ष से अधिक न हो। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 150.00 लाख का बजट प्रावधान किया जाकर राशि रूपये 149.35 लाख का व्यय किया गया जिससे 8 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

8.28 अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को पुस्तके ओर स्टेशनरी हेतु आर्थिक सहायता : अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 1500.00 रूपये की पुस्तके एवं 500 रूपये की स्टेशनरी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस पर राशि रूपये 460.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसमें राशि रूपये 453.36 लाख का व्यय किया गया है। जिससे 22.67 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

8.29 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, गुणवत्ता में वृद्धि करना एवं समानता के अवसर सुनिश्चित करना हैं । साथ ही

सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना तथा कमजोर वर्गों एवं महिलाओं को समान रूप से उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न कॉम्पोनेन्ट्स के तहत कुल 102 लाभार्थी संस्थाओं को अनुदान प्रदान कर निर्माण/उन्नयन /क्रय द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयासरत है।

8.30 विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना : युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा तथा योग्यता के अनुरूप अपनी कैरियर का चुनाव कर सके। इस उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों में स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से विद्यार्थियों को सतत मार्गदर्शन प्रदान करना तथा रोजगार/प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना क्रमांक - 6915 के अंतर्गत राशि रुपये 30.00 लाख एवं योजना क्रमांक - 7851 में राशि रुपये 66.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है ।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन को अधिक दक्ष एवं कौशल युक्त बनाती है। प्रदेश में विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में वर्ष 2021-22 में 1.85 लाख प्रवेश क्षमता लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 1.30 लाख प्रवेश ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग के माध्यम से किये गये हैं ।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 में माह नवम्बर 2021 तक 14324 मेधावी विद्यार्थियों को राशि रुपये 72.66 करोड़ उपलब्ध कराई गई है ।

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजनांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक मध्यप्रदेश के 9720 लाभार्थियों को राशि रुपये 9.24 लाख उपलब्ध कराई गई है ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये प्राथमिकतायें :

- कोरोना वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुये शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्र हित के लिए ऑनलाईन अध्यापन हेतु एम.पी. स्वान नेटवर्क कनेक्टीविटी तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों से विभाग के अधिनस्थ सभी शासकीय (स्वशासी) इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक कॉलेजों में इंटरनेट एवं वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

- शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुये महाविद्यालयों की कक्षाओं में छात्र-छात्राओं का आना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः विभाग के अधीनस्थ सभी शासकीय (स्वशासी) इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अध्यापन कराये जाने हेतु आवश्यक संसाधनों यथा स्मार्ट फोन/लेपटॉप एवं इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है ।
- विभाग द्वारा समस्त शासकीय/स्वशासी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु सिलेबस पर आधारित ऑनलाईन कक्षाओं का नियमित आयोजन तथा विषय विशेषज्ञों के वीडियो लेक्चर्स एवं अन्य पठनीय सामग्री राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध करायी जा रही है ।
- राज्य सरकार के **आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत 02 इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा 05 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।
- राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिये राशि रुपये 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है ।
- संचालनालय के अधीनस्थ समस्त शासकीय/स्वशासी तकनीकी शिक्षण संस्थानों राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ई-लायब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण किया जाना है ।
- ऑनलाईन कक्षाओं के प्रभावी संचालन एवं विद्यार्थियों के सतत् मूल्यांकन एवं सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों के लिये वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाईन प्लेटफॉर्म/तकनीकी के प्रशिक्षण हेतु IIT Indore/IIM Indore में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने है ।
- आत्मनिर्भर- म.प्र. के अंतर्गत संचालनालय तकनीकी शिक्षा में कैरियर एवं प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना की जाना है ।

केन्द्रीय परियोजना :- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का तीसरा चरण 12वीं पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से एकीकृत है, जिसमें वर्तमान संस्थानों में इंजीनियरिंग शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिये तथा कम आय/विशेष श्रेणी के राज्य और कुछ संबंध तकनीकी विश्वविद्यालयों को उनकी नीति अकादमी और प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने के लिये सहायता प्रदान की जाती है यह योजना वित्त पोषण के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र (सीएसएस) (विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त) है, जिसमें राज्यों को, संस्थानों को ओर ए.टी.यू को शतप्रतिशत धन अनुदान के रूप में प्रदान किया गया है।

स्वास्थ्य

8.31 टीकाकरण अभियान : वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0-5 वर्ष से 1.10 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई है। टीकाकरण से छूटे गये बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 3.0 अभियान के दो चरण आयोजित किये गये जिसमें कुल 2.45 हजार टीकाकरण आयोजित कर, 10.77 हजार बच्चों तथा 3.66 हजार गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। कोविड-19 टीकाकरण अभियान अंतर्गत माह अक्टूबर 2021 तक लक्षित 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 5.49 करोड़ नागरिकों के विरुद्ध 91 प्रतिशत प्रथम डोज तथा 40 प्रतिशत द्वितीय डोज का टीकाकरण पूर्ण किया जा चुका है।

8.32 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम : मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 2013-14 से समस्त 51 जिलों में किया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्कूलों में मबाईल हेल्थ टीम द्वारा 4D आधारित (Defects at Birth, Deficiencies, Childhood Diseases, Developmental delays and Disabilities) परीक्षण एवं उपचार किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार उच्च स्तरीय स्वास्थ्य को भी रेफर किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक 19.00 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर, कुल 2.00 लाख बच्चों को पोजिटिव पाये गये जिन्हें जिला चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में उपचरित किया गया तथा बाल हृदय उपचार योजना अंतर्गत माह सितम्बर 2021 तक 391 जन्मजात हृदय रोग के बच्चों का उपचार कराया गया है। साथ ही बाल श्रवण उपचार योजना में माह सितम्बर 2021 तक 111 जन्मजात श्रवण बाधित बच्चों की सर्जरी करायी गयी है।

8.33 शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर में कमी लाना प्रमुख लक्ष्य है। प्रदेश की वर्तमान शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार जीवित जन्म है।

- शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख अभियान संचालित हैं :- एस.आर.एस. 2021 के अनुसार प्रदेश के शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार जीवित जन्म से घटकर वर्तमान स्थिति में 46 प्रति हजार जीवित जन्म है। नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर में कमी लाने हेतु शिशु स्वास्थ्य

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश 57 नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई संचालित कि जा रही है जिसके माध्यम से गंभीर रूप से बीमार कम वजन एवं समय पूर्व जन्म के नवजात शिशुओं का उपचार किया जाता है। वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक 62.64 हजार नवजात शिशुओं को उपचार प्रदान किया गया है।

- प्रदेश में उप जिला स्तर पर 106 नवजात शिशु स्थिरिकरण इकाईयाँ संचालित है। वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक 12.17 हजार नवजात शिशुओं को लाभान्वित किया गया है।
- गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन हेतु 27 बाल गहन चिकित्सा इकाई संचालित है। इनके माध्यम से वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक 24.44 हजार बच्चों का उपचार किया गया है।
- प्रदेश के समस्त चिन्हित प्रसव केन्द्रों में न्यूबोर्न केयर कॉर्नर स्थापित है जिसके माध्यम से नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाये जाने हेतु संस्थाओं में नियोनेटल-हाईडिपेंडेसी यूनिट की स्थापना की जा रही है।

3. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर :- प्रदेश में सम्पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें प्रदाय करने की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केन्द्रों को आरोग्यम नाम दिया गया 11.14 हजार सेंटर्स को विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें कुल 6.11हजार केन्द्र क्रियाशील हैं । प्रदेश के 37 कार्यक्रम अध्ययन केन्द्रों पर 2.37 हजार नर्सिंग स्नातक, कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण जिसमें कम्युनिटी ऑफिसर के रूप में उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। वर्ष 2021-22 में 8.56 लाख रोगियों का रक्त चाप, डायबिटीज एवं कैंसर हेतु परीक्षण किया गया है।

8.34 रेफरल ट्रांसपोर्ट के प्रमुख अभियान :- इस प्रणाली के अंतर्गत कुल 606, 108 - एम्बुलेंस वाहन संचालित हैं । जिसका टोल फ्री नम्बर 108 द्वारा केन्द्रीय एकीकृत कॉल सेंटर से किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय जिला स्तर पर एक एडवांस लाईफ सपोर्ट वाहन उपलब्ध हैं । जिसके प्रदेश में बेसिक लाईफ सपोर्ट स्तर के 556 वाहन संचालित हैं । वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 7.36 लाख तथा वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक 4.33 लाख मरीजों को आपातकालीन स्थिति में परिवहन प्रदाय किया गया ।

1. चलित अस्पताल : प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य 44 जिलों में 150 दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित हैं। चलित अस्पताल द्वारा निर्धारित दूरस्थ ग्रामों में जाकर रोगियों का परीक्षण, निःशुल्क उपचार, गर्भवती महिलाओं की जांच, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में बच्चों का टीकाकरण, परिवार कल्याण से संबंधित परामर्श तथा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएँ दी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 18.47 लाख तथा योजना प्रारंभ से माह दिसम्बर 2020 तक कुल 298.42 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाये प्रदान की गई है।

2. जननी एक्सप्रेस योजना : एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के अंतर्गत जननी एक्सप्रेस वाहनों को 108 कॉल सेंटर से एकीकृत कर 108 एम्बुलेंस सेवा की भौति ऑनलाईन ट्रेकिंग की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय एकीकृत 108 कॉल सेंटर के माध्यम से 839 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित हैं जिसके द्वारा वर्ष 2020-21 में कुल 14.60 लाख तथा वर्ष 2021-22 में माह अक्टूबर 2021 तक कुल 8.05 लाख हितग्राहियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

8.35 राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :- प्रदेश में क्षय मरीजों के उपचार एवं निदान हेतु प्रदेश में क्षय केन्द्र 371 टी.बी.यूनिट एवं 902 डी.एम.सी. (माईक्रोस्कोपिक) स्थापित हैं तथा कुल 30.60 हजार डॉट सेंटर स्थापित है। वर्ष 2021 में 1.36 लाख टी.बी. मरीजों की खोज की जाकर उपचार किया गया । टी.बी. मरीजों हेतु राशि रूपये 500 प्रतिमाह उपचार निदान तक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान है तथा वर्ष 2021 में माह अक्टूबर 2021 तक राशि रूपये 22.7 करोड़ का भुगतान क्षय रोगियों को किया गया है। एक्स.डी.आर क्षय रोगियों के उपचार हेतु 10 स्थानों यथा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छिन्दवाडा, नौगाव, खरगोन, ग्वालियर एवं जबलपुर में उपचार की व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

8.36 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्स द्वारा जिला चिकित्सालय में मनकक्ष क्लिनिक के माध्यम से मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। गंभीर मानसिक रोगियों को मानसिक चिकित्सालय इन्दौर, ग्वालियर अथवा मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में रेफर किया जाता है।

वर्ष 2020-21 तक 1.19 लाख एवं वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक 70.06 हजार से अधिक मरीजों का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर अवलोकन किया गया जिसमें मरीजों की पहचान कर चिकित्सकों द्वारा उपचार प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष में 10 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों में किया गया इस दिन जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, व्याख्यान एवं समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु नाटकों का मंचन किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावित आमजनो में महामारी संबंधी तनाव, चिंता आदि को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2020 तक 24 घटे मनोसामाजिक हेल्प लाईन टोल फ्री सेवा संचालित की गई लॉकडाउन के समय प्रवासी श्रमिको को शेल्टर होम में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मनकक्ष में स्टाफ द्वारा परामर्श की सेवाये दी गई है। कोरोना महामारी से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा आई.ई.सी. सामाग्री का निर्माण किया गया।

8.37 राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्टाफ अधिकारियों जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पतालों एवं सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एन.सी.डी.क्लिनिक के माध्यम से वृद्धजनों को स्वास्थ्य सेवाये प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021-22 माह अक्टूबर तक स्टाफ चिकित्सा अधिकारियों कार्य द्वारा एन.सी.डी.क्लिनिक के माध्यम से कुल 2.50 लाख वरिष्ठ नागरिको के स्वास्थ्य परिक्षण किया है जिसमें कुल 27.07 हजार वरिष्ठ नागरिकों को फिजियोथैरेपी प्रदाय की गई है।

8.38 राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य एस.डी.जी. 3.3 प्राप्त करने के लिये वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वर्ष 2030 तक समाप्त करना है। इस कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय एवं राज्य वायरल हेपेटाइटिस मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना 90 प्रतिशत नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी का जीरो डोज टीकाकरण करना, वायरल लोड टेस्टिंग के लिये राज्य स्तरीय लैब स्थापित करना, एवं एक मॉडल हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर एवं जिला स्तरीय एक ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करना था। मध्यप्रदेश के 51 जिलों में ट्रीटमेंट सेंटर एवं 4 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किये जा चुके हैं।

पेयजल व्यवस्था

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हैंडपंप एवं नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराता है। प्रदेश की 1.28 लाख बसाहटों में लगभग 5.56 लाख हैण्डपंपों जिसके माध्यम से 1.12 लाख बसाहटों में निर्धारित 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से जल उपलब्ध करवाकर पूर्णतः आच्छादित किया गया है।

प्रदेश के 42.74 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

एकल ग्राम नल-जल योजनाओं में 15553 ग्रामों में लागत राशि रुपये 9718.00 करोड़ स्वीकृत की है तथा 4387 ग्रामों की 10 समूह नल-जल योजनाएँ लागत रुपये 6111.00 करोड़ स्वीकृत की है। इन सभी स्वीकृत योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है। इन योजनाओं से लगभग 9.42 लाख घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त होंगे।

प्रदेश के 3554 ग्रामों तथा 9543 आश्रम शाला एवं सार्वजनिक संस्थाओं को शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर दिये गये हैं। 62172 शालाओं तथा 37379 आंगनबाड़ियों में नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष स्कूल एवं आंगनबाड़ियों में 31 मार्च 2022 तक नल से जल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

श्रम

श्रमिकों के हितों का संरक्षण एवं औद्योगिक क्षेत्र में शान्तिपूर्वक कार्य संचालन एवं विवाद निराकरण श्रम विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है। वर्ष 2021-22 में औद्योगिक अशांति के कारण 2 विवाद उत्पन्न हुए एवं 11015 हजार मानव दिवसों की हानि हुई।

8.39 ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी : कृषि नियोजन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध करके कृषि श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन माह, सितम्बर 1989 से प्रभावशील किया गया था। अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। अक्टूबर, 2021 से जारी दरें 7000.00 रुपये प्रतिमाह अथवा 223.00 रुपये प्रति दिन हैं।

8.40 बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016, मई 2016 से लागू की गई है। इस योजना में शतप्रतिशत-अंश केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है।

योजना में पुरुष बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु रुपये 1.00 लाख बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए रुपये 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में महिला एवं बालकों के लिए रुपये 3.00 लाख प्रावधानित है। बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु प्रति जिला राशि रुपये 4.50 लाख, राज्य स्तरीय जन जागरण हेतु रुपये 10.00 लाख तथा मूल्यांकन अध्ययन हेतु रुपये 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है। नवीन योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

- (अ) प्रत्येक जिले में जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जायेगा जिसमें रुपये 10.00 लाख की स्थायी निधि रहेगी, जो विमुक्त बंधक श्रमिकों को तात्कालिक सहायता राशि रुपये 20 हजार हेतु प्रयुक्त होगी। निधि में बंधक श्रमिकों के नियोजकों से प्राप्त होने वाले दण्ड की राशि जमा की जायेगी। इस निधि में से किए जाने वाले सम्पूर्ण व्यय की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में जिला कलेक्टर द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने पर व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जायेगी।
- (ब) उक्त योजना के प्रकाश में प्रथमतया सभी जिलों में जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि गठन करने पर निम्नानुसार CORPUS FUND का गठन किया गया है। जिसके तहत जनजागरण हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की राशि केन्द्र शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जावेगी।

8.41 बाल श्रम : राज्य में बाल श्रम कुप्रथा के उन्मूलन हेतु वर्ष 2020-21 में अक्टूबर, 2021 तक बाल श्रम अधिनियम के अन्तर्गत 49 बाल श्रमिक विमुक्त कराये गये एवं 16 उल्लंघनकर्ता नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन दायर किये गये। राज्य में 9 जिलों में राष्ट्र बालश्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष विद्यालय संचालित है, जिनके अंतर्गत 168 विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.06.2017 को जारी संशोधित नियम लागू किये गए :-

नियम 2 अ-अधिनियम के उल्लंघन में बालकों एवं कुमारों के नियोजन के संबंध में जागरूकता - (क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया है, ताकि साधारण पब्लिक, जिसके अंतर्गत बालकों एवं कुमारों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, के नियोक्ता है, को अधिनियम के उपबंधों के विषय में जागरूक किया जाए जिससे कि नियोक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों को बालकों एवं कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके।

धारा 14- ख - (1) एवं (2) बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि - राज्य सरकार सभी जिले अथवा दो या अधिक जिलो में बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि की स्थापान करेगी जिसमें ऐसे जिलो की अधिकारिता के भीतर बालक और कुमार के नियोजक से वसूली की गई रकम जमा करेगी।

राज्य सरकार ऐसे बालक या कुमार के लिये जिसके लिये उपधारा(1) के अधिन जुर्माने की रकम जमा की गई है ऐसे निधि में 15.00 हजार रुपये के रकम जमा करेगी। उक्त कार्य हेतु प्रदेश के सभी जिलो हेतु राशि रुपये 16.00 लाख का बजट प्रदान किया गया है।

रोजगार

8.42 पंजीयन :राज्य स्थित 52 रोजगार कार्यालयों में वर्ष 2020 में 6.11 लाख आवेदकों का पंजीयन किया गया था। वर्ष 2021 की अवधि में लगभग 12.36 लाख आवेदकों का पंजीयन किया गया। रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल आवेदकों की संख्या वर्ष 2020 के अंत में 24.72 लाख थी, जो वर्ष 2021 के अंत में बढ़कर 30.23 लाख हो गई। गत वर्ष की तुलना में 22.28 प्रतिशत की बढोत्तरी दर्शाती है।

8.43 शिक्षित आवेदक : राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित आवेदकों की संख्या वर्ष 2020 के अंत में 23.08 लाख थी जो वर्ष 2021 के अंत में 19.69 प्रतिशत बढ़कर 28.74 लाख हो गई है। वर्ष 2020 के अंत में जीवित पंजी पर दर्ज कुल आवेदकों में शिक्षित आवेदकों का प्रतिशत 93.37 था जो वर्ष 2021 के अंत में बढ़कर 95.07 प्रतिशत हो गया।

रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल आवेदकों में से निजीक्षेत्र में नियुक्ति हेतु चयनित आवेदकों की संख्या वर्ष 2020 के अंत में 3605 थी जो बढ़कर वर्ष 2021 के अंत में निजीक्षेत्र में नियुक्ति हेतु चयनित आवेदकों की संख्या 83119 हो गई है।

8.44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार की स्थिति और रोजगार के प्रयास : मध्यप्रदेश में स्थित 52 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2021 में 83119 आवेदकों का नियुक्ति हेतु चयन कराया गया जिनमें 10963 महिलायें 16572 अनुसूचित जाति एवं 8789 अनुसूचित जनजाति के आवेदक शामिल हैं, जबकि पूर्व वर्ष 2020 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से 3605 आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

8.45 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च, 2021 की स्थिति में राज्य में नियमित कुल 661001 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें कार्यभारित, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा कोटवारों, संविदा के कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। कुल कर्मचारियों में शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारी 572288, राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं में 45559, नगरीय स्थानीय निकायों में 32933, ग्रामीण स्थानीय निकायों में 4941, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 784 एवं विश्वविद्यालय में 4496 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

8.46 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : राज्य में 01 जनवरी 2022 तक कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या 7365 है जिसमें कुल नियोजन क्षमता 674114 है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार : ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिये अनेक योजनाओं का संचालन करता है ।

8.47 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: योजना का कदम सभी आवासरहित परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2020-21 में 3.12 लाख आवास पूर्ण कराये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3.80 लाख आवास पूर्ण कराये गये । राज्य में 51128 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें 9000 महिलाएँ शामिल हैं। भारत निर्माण कौशल विकास परिषद के माध्यम से 25878 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

8.48 मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :

- मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत राज्य आजीविका मिशन का प्रारंभ वर्ष 2012 से हुआ है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय पोषित आजीविका मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों में सघन रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- स्व-सहायता समूहों से निर्धन ग्रामीण परिवारों को जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लक्ष्य 8.40 लाख परिवारों के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक 2.06 लाख परिवारों को 15780 महिला स्वसहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- स्वसहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण प्रदाय करने के लक्ष्य राशि रूपये 2550 करोड़ के बैंक ऋण के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक 45690 समूहों को रूपये 506.48 करोड़ का ऋण दिलाया गया।
- ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के वार्षिक लक्ष्य 70,000 युवाओं के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक 44134 युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए ।
- कोविड-19 महामारी के दौरान स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा 80.00 लाख से अधिक मास्क, 29 हजार सुरक्षा किट (पी.पी.ई.किट) 64857 लीटर सैनेटाईजर, 18587 लीटर हैंडवाश, एवं 5.88 लाख साबुन बनाए एवं विक्रय किये गये ।

- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 38.78 हजार पथ विक्रेताओं को ब्याज मुफ्त ऋण वितरण किया गया है।
- नवीनतम गतिविधियां आजीविका मिशन समर्थित 10 किसान उत्पादक कंपनियों द्वारा रिलायंस रिटेल के साथ विपणन में सहयोग हेतु अनुबंध हस्ताक्षर किये गये एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा 88 सामूहिक उद्यम के रूप में स्वाल्हार केन्द्र-दीदी कैफे शासकीय एवं गैर शासकीय परिसरों में संचालित किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश जल निगम अंतर्गत संचालित नल-जल योजनाओं के जलकर वसूली का कार्य 07 जिलों के 79 ग्रामों में 184 स्व-सहायता समूह सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है।

8.49 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम : योजना ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष में रोजगार की मांग करने पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करती है जिसमें हितग्राही मूलक निर्माण कार्य जैसे पात्र वर्ग के कृषकों को सिंचाई हेतु कपिलधारा कूप खेत तालाब, आजीविका कार्य में पशुशेड, बकरी शेड, कुक्कुट शेड, वृक्षारोपण बंधान आदि कार्य किये जाते हैं। सामुदायिक मूलक कार्य में खेल मैदान, शांतिधाम, नदी पुर्नजीवन, नवीन तालाब आदि कार्य किये जाते हैं।

- मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत सक्रिय जाँबकार्डधारी परिवार के वयस्क सदस्यों जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो उन्हें सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक 45.50 लाख परिवारों ने 100 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ जिसमें 23.00 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजन हुआ।
- चारागाह परियोजना - वित्तीय वर्ष 2019-20 में 993 स्वीकृत होकर, 789 में बोआई प्रारंभ की जाकर 160 पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 760 स्थल चिन्हित किये गये, 174 की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त होकर 50 में बुआई कार्य पूर्ण तथा 116 कार्य प्रगतिरत है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत दैनिक श्रमिक नियोजन में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तहत नवीन कार्य एवं गतिविधिया संचालित कि गई है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत महिला को रोजगार, मेट के रूप में महिलाओं का चयन, महिलाओं की प्राथमिकता, सामुदायिक पोषण वाटिका, समूह के लिये SHG संघ भवन का निर्माण, गौशाला परियोजना से महिलाओं को रोजगार, किचन शेड कम डायनिंग हॉल का निर्माण, खाद्यान भण्डारण हेतु पक्का चबूतरा निर्माण के आदि कार्य किये जा रहे हैं।

8.50 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के सभी प्राथमिक/माध्यमिक शासकीय शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं, बालश्रम परियोजना की शालाओं तथा राज्य शिक्षा केन्द्र से सहायता प्राप्त मदरसों में क्रियान्वित किया जाता है। लक्षित शालाओं के विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में पका हुआ रुचिकर एवं पौष्टिक भोजन वितरित किया जाता है। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

शिक्षा का लोकव्यापीकरण

- दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि
- उपस्थिति में निरंतरता
- बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार

वर्ष 2020-21 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह, नवम्बर 2020 : प्रदेश में वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2021 तक लक्षित शालाओं के 66.28लाख विद्यार्थियों को लांभावित करने का लक्ष्य था। कोविड-19 महामारी के कारण शालाये बन्द होने से विद्यार्थियों के घर तक खादयान्न पहुँचाया गया है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 149050.64 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध राशि रुपये 17589.96 लाख व्यय किया गया तथा 2.12 लाख रसोईयों को राशि रुपये 40.62 करोड़ प्रतिमाह मानदेय का भुगतान कोरोना काल में किया जा रहा है।

अभिनव प्रयास :-

- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति कार्यक्रम क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं भुगतान में समयबद्धता लाने हेतु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से रसोईयों के मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खाते में तथा संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को शालावार खादयान्न आवंटन किया जा रहा है।
- प्रदेश के 282 शालाओं में किचिन कम डायनिंग हॉल निर्माण की स्वीकृति प्रदान कि गई है, जिनमें से 98 किचिन कम डायनिंग हॉल का निर्माण जिले द्वारा किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक 1735 किचिन शेड्स निर्माण किये गये हैं।

- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनपतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले की क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण करना है। साथ ही प्रशिक्षण संस्थाओं का संरचनागत, अधोसंरचनागत, संस्थागत विकास भी करना है। अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों, जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता एवं कार्यकारी अमले की स्थापना करना है। ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक एवं तकनीकी अमला तथा सक्षमता प्रदान करना है। ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना का भी निर्माण किया जाना इसका उद्देश्य है।
- **सांसद आदर्श ग्राम योजना** : उक्त योजना विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से चलायी जा रही है। माननीय सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है। इसके अंतर्गत अब तक 105 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।
- **पुरस्कार योजना** भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना में वर्ष 2021 में जिला पंचायत सागर, बैतूल, रतलाम, सीहोर, सीधी, खण्डवा, भोपाल तथा जनपद पंचायत जावरा, सीहोर, सीधी, बलडी, बैरसिया एवं आष्टा एवं ग्राम पंचायत पवार चौहान, जेतापुरकला, सोनगावखुर्द, डोडाका सावन, कुंडा को सशक्तिकरण पुरस्कार तथा नानाजी देखमुख राष्ट्रीय गौरवा ग्राम पंचायत निपानिया सूखा जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल को पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अभियान प्रारंभ से अब तक 62.90 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय निर्मित हुये। घरों में शौचालय की सुविधा के साथ प्रदेश के समस्त जिलों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर 02 अक्टूबर 2018 को प्रदेश को सम्पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। अप्रैल 2020 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है जो वर्ष 2024-25 तक लागू रहेगा। द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम को ओडीएफ प्लस बनाना है इस हेतु ग्रामों को स्वच्छ बनाने हेतु चरणबद्ध ढंग से **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति** बनाई जा रही है जिससे समूचे प्रदेश में शुद्ध वातावरण का निर्माण हो सके एवं गोकार्ण परियोजना को क्रियान्वयन किया जाना है।

नगरीय विकास

राज्य की योजनायें : शहरी क्षेत्र में रोजगार

8.55 दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - भारत सरकार मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए दीनदयाल अन्त्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्सकार्नर/वेण्डर मार्केट विकसित किये जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

योजना के प्रमुख घटक हैं :

- सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास ।
- कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से
- स्वरोजगार कार्यक्रम
- क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता
- शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी तालिका 8.9 निम्नानुसार है :

तालिका 8.9

शहरी रोजगार आजीविका मिशन (NULM) की प्रगति

(रुपये लाख में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास	2020 -2021	स्वसहायता समूह का गठन-1750	गठित स्वसहायता समूह-5159
2	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार।		आवेदको को प्रशिक्षण प्रदाय करने का लक्ष्य - 29900	कुल प्रशिक्षित आवेदक-22309
3	स्वरोजगार कार्यक्रम		व्यक्तिगत ऋण- 5050	व्यक्तिगत वितरित ऋण - 1934
			स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज -1340	स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज वितरण - 1308
1	सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास	2021 -2022 (माह जनवरी, तक)	स्वसहायता समूह का गठन-11000	स्वसहायता समूह का गठन -8700
2	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार।		आवेदको को प्रशिक्षण प्रदाय करने का लक्ष्य- 52000	कुल प्रशिक्षित आवेदक-38551
3	स्वरोजगार कार्यक्रम		व्यक्तिगत ऋण- 12000	व्यक्तिगत वितरित ऋण - 6447
			समूहगत ऋण-250	समूहगत ऋण वितरित-191
			स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज -5000	स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज वितरण - 3292

राज्य शासन की नवीन योजनायें

8.57 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि योजना) : कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं का रहा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान इनकी आजीविका पर सर्वाधिक असर पड़ा है और इनकी आमदनी समाप्त हो गई है। कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये तथा इन पथ विक्रेताओं के कार्य को गति प्रदान करने के लिये भारत सरकार के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) जून 2020 से प्रारंभ की गई है।

माह जनवरी 2021 तक पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत 5 लाख 04 हजार शहरी पथ विक्रेताओं द्वारा पोर्टल पर ऋण हेतु आवेदन कर दिया गया है इनमें से 4लाख 72 हजार ऋण आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत शहरी पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। पथ विक्रेताओं का पंजीयन कार्य प्रगति पर है, प्रदेश में योजनांतर्गत 8 लाख पात्र शहरी पथ विक्रेता चिन्हित किये जा चुके हैं।योजना अंतर्गत देश में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है।

8.58 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना :यह योजना वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ की गई है। योजना अंतर्गत केवल कृषक पुत्री/पुत्र को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। उद्यम स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रुपये 50.00 हजार से रुपये 2.00 करोड़ तक की सहायता बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत की 15.20 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। ब्याज अनुदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (अधिकतम रुपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान तक 124 हितग्राहियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है । दिसम्बर 2020 से योजना स्थगित की गई है।

8.59 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना :योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत 50 .00 हजार रुपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत की 15.50 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 54931 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है जून 2020 से स्थगित किया गया है।

8.60 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत 50.00 हजार से अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत का 15-30 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की एवं महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (अधिकतम राशि रुपये 25 हजार) उपलब्ध कराया जाता है वर्तमान तक 56112 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। योजना को दिसम्बर 2020 को स्थगित किया गया है।

केन्द्रीय योजनायें :-

8.61 प्रधानमंत्री आवास योजना : भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अभी तक सभी 378 निकायों में परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। स्वीकृत परियोजनाओं में 7.39 लाख आवासीय इकाइयों की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है, जिनमें से 2.86 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष पर निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। योजना अवधि में कुल 9.00 लाख आवासीय इकाइयां बनाया जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त 1.06 हजार हितग्राहियों को योजना के क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम घटक से भी लाभान्वित किया गया है।

8.62 अटल नवीनकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) : भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के कुल 34 शहरों (33 शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या एवं औंकारेश्वर पर्यटन शहर) में अधोसंरचना के विकास के लिए राशि रुपये 6459.78 करोड़ की परियोजना क्रियान्वित किये जाने का अनुमोदन किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त कुल राशि रुपये 2396.29 करोड़ प्राप्त हो चुकी है। जिसमें पेयजल, सीवरेज, वर्षा जल की निकासी हेतु नालों का निर्माण, परिवहन एवं हरित क्षेत्र का विकास किया जाना है। अभी तक 160 परियोजनाओं पर राशि रुपये 2877.38 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वर्तमान तक राशि रुपये 4840.32 करोड़ का व्यय हुआ है। शहरी सुधार कार्यक्रम पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा कुल राशि रुपये 156.33 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

8.63 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):- विगत वर्षों के सघन प्रयासों से प्रदेश के शहरी स्वच्छता परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आया है इन प्रयासों से स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है साथ अधोसंरचनाओं के विकास से संवहनीय स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि भारत-सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। वर्ष 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश के 06 प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के 27 शहर स्टार रेटिंग प्राप्त करने में भी सफल रहे हैं। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को नागरिक आवासों से कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। जिनके माध्यमसे शत प्रतिशत वार्डों से प्रतिदिन सूखा व गीलाकचरा संग्रहण किया जाता है। सूखे कचरे के निष्पादन हेतु 256 नगरीय निकायों में 275 मटेरियल रिकवरी फेसिलिटीज की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा 343 शहरों में केन्द्रीयकृत कंपोस्टिंग इकाइयों की स्थापना की गई है जहां गीला कचरा कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा 2.6 लाख से अधिक जागरूक परिवारों द्वारा भी अपने घरों से निकलने वाले गीले कचरे की होम कंपोस्टिंग की जाती है।

प्रदेश से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रीवा, जबलपुर एवं सिंगरौली आदि में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट हेतु निष्पादन इकाइयों और छोटे शहरों में संग्रहण एवं भंडारण व्यवस्थाओं को संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 27 शहरों को स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जिसमें शहर की संख्या 5 स्टार इंदौर 3 स्टार शहर 09 एवं 1 स्टार शहर 17 है।

8.64 स्मार्ट सिटी मिशन :- इस योजना के तहत 463 प्रोजेक्ट लागत राशि रुपये 8114.70 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 243 प्रोजेक्ट लागत राशि रुपये 10986.00 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं। 99 प्रोजेक्ट लागत राशि रुपये 5906.60 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है। 20 प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि रुपये 192.48 करोड़ की डी.पी.आर. की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। स्मार्ट सिटी ग्रांट फण्ड अंतर्गत कुल स्वीकृत 594 परियोजनाओं में लागत राशि रुपये 6549.20 करोड़ के कार्य नियोजित किये गये हैं। जिससे से 307 कार्य लागत राशि रुपये 1942.73 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं 199 कार्य लागत राशि रुपये 3422.85 करोड़ के आदेश जारी किये जाकर कार्य प्रचलन में है तथा 39 कार्य लागत राशि रुपये 565.32 के निविदा प्रक्रिया में है। समस्त स्मार्ट सिटी शहरों में एकीकृत कमाण्ड एंड कंट्रोल सेंटर प्रारंभ किये जा चुके हैं। कोविड-19 लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत निर्मित कमाण्ड एंड कंट्रोलसेन्टर (ICCC) द्वारा राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम के रूप में कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्य किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत भारत-सरकार द्वारा 100 चयनित शहरों की वर्तमान रैंकिंग में भोपाल प्रथम तथा इंदौर द्वितीय स्थान पर है।

8.65 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना :-

- मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत राशि रुपये 1800.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- रुपये 1800.00 करोड़ में राशि रुपये 360 करोड़ (20 प्रतिशत) अनुदान एवं 1440.00 करोड़ (80 प्रतिशत) ऋण है।
- वर्तमान तक नगरीय निकायों को निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई है:-

क्र.	विवरण	कुल प्रावधानित राशि (करोड़ रुपये)	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये)
1	नवगठित नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास एवं कार्यालय भवन	150.00	150.00
2	अधोसंरचना विकास संबंधी राज्य सरकार की घोषणाएं	400.00	400.00
3	योजना के प्रथम चरण में शेष एवं अन्य शहरों में अधोसंरचना विकास, यथा मार्ग निर्माण/उन्नयन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, पार्किंग एवं यातायात सुधार कार्य, धरोहर संरक्षण, नगरीय सौन्दर्यीकरण, पर्यटन विकास कार्य, खेल मैदानों का विकास, आमोद-प्रमोद संरचनायें, हाट बाजारों का विकास कार्य, नवीनीकरण, पार्क, ग्रीन लंग्स का विकास तथा सामुदायिक महत्व की अधोसंरचनायें	950.00	950.00
4	राज्य स्तरीय स्मार्ट सिटी अधोसंरचना विकास	300.00	300.00
		1800.00	1800.00

- 378 नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास योजना के कार्यों की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें 473 परियोजनाओं में नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर की राशि रुपये 1800.19 करोड़ की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
- 91 परियोजनाओं को कार्य अप्रारंभ होने से निरस्त किया गया है तथा दो परियोजना में संशोधन किया गया है। जिसके अंतर्गत राशि रुपये 300.00 करोड़ के कार्य निरस्त किये गये हैं।
- 382 परियोजनाओं में निकायों को वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिसमें 176 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 206 परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।
- प्रदेश के 14 शहरों (अमरकंटक, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, मुंगावली, गुना, सीधी, सिंगरौली, दतिया, गंजबासौदा रतलाम, पन्ना शिवपुरी एवं चंदिया) को मिनी स्मार्ट के अंतर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिसमें शिवपुरी का कार्य निरस्त किया गया है शेष कार्य प्रगति पर है।
- रुपये 360.00 करोड़ अनुदान में से शत-प्रतिशत अनुदान वर्तमान तक निकायों को उपलब्ध कराया जा चुका है।
- इलाहाबाद बैंक से राशि रुपये 244.40 करोड़ ऋण उपलब्ध कराया गया है। 170 परियोजनाओं हेतु राशि रुपये 384.01 करोड़ केनरा बैंक से विमुक्त कराया गया है।

महिला एवं बाल विकास

प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण एवं सर्वोर्गीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही हैं। बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं उन्हें कुपोषण से मुक्त कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन 453 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 84.47 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12.67 हजार मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं।

8.66 पूरक पोषण आहार की व्यवस्था : मध्यप्रदेश में संचालित 453 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 80.00 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार पर व्यय की जाने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निम्नानुसार पूरक आहार दिए जाने का प्रावधान है।

हितग्राही	01-04-2018 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रु-8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12-15 ग्राम	500
अति कम वजन के बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रु. 12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20-25 ग्राम	800
गर्भवती/धात्री माता एवं किशोरी बालिका	रु. 9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	18-20 ग्राम	600

- **6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे/गर्भवती धात्री महिलायें :** प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में नवीन व्यवस्था के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती/धात्री माताओं को एम.पी.एगो के माध्यम से सप्ताह के 5 दिन टेक होम शशन के रूप में पूरकपोषण आहार निर्धारित मात्रा में अलग-अलग दिवसों में दिया जा रहा है।
- **3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे :** शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन साप्ताहिक मीनू के अनुसार पूरक पोषण आहार देने के रूप में दिया जा रहा है।

- 6 माह से 6 वर्ष तक के अति कम वजन के बच्चों हेतु तीसरा मील: 6 माह से 6 वर्ष तक के आंगनबाड़ी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन तथा मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को नाश्ता दिये जाने का प्रावधान है।
- कोविड -19 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों की उपस्थिति बंद रखी गई है। इस दौरान सभी बच्चों को साप्ताहिक रूप से रेडी टू ईट (RTE) का प्रदाय किया जा रहा है।

8.67 अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन :प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को रोकने तथा पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार करने के उद्देश्य से मिशन प्रारंभ किया गया है, ताकि वर्तमान में प्रदाय की जा रही पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं और उनके सभी घटकों जैसे- वित्तीय संसाधनों का सही और उचित समय पर उपयोग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने आदि के सुदृढीकरण पर भी ध्यान दिया जा सके। वर्ष 2020 हेतु मिशन के लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण एवं रणनीति का अनुमोदन अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य मिशन की साधारण सभा द्वारा निम्नानुसार किया गया।

क्र.	विवरण	एन.एफ.एच.एस.4	अटल बाल मिशन में वर्ष 2020 हेतु निर्धारित लक्ष्य
1	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर	65	40
2	सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	42.8	30
3	गंभीर कुपोषण (SAM) का प्रतिशत	9.2	<5

मिशन के माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के संदर्भ में आई.सी.डी.एस. तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की Gap Filling के माध्यम से सेवाओं का सुदृढीकरण किया जा रहा है।

8.68 MAM कार्यक्रम :- इसके अंतर्गत गैर चिकित्सीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों का पोषण प्रबंधन परिवार स्तर पर समुदाय द्वारा एवं चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चों का प्रबंधन संस्था आधारित NRC में किया जा रहा है।

इसके अंतर्गत गंभीर कुपोषण (SAM) के श्रेणी चिन्हित चिकित्सकीय जटिलता एवं गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों हेतु निर्धारित प्रोटोकाल अनुसार संस्थागत एवं समुदाय स्तर पर परिवार के सयोग से उपचार तथा पोषण प्रबंधन किया जावेगा साथ ही मध्यम गंभीर कुपोषण (MAM) बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु समुदाय स्तर पर उनके पोषण प्रबंधन का सघन का प्रयास किया जा रहा है।

विभाग द्वारा माह सितम्बर 2020 से दिसम्बर 2021 तक किये गये प्रयासों से 5.90 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण प्रबंधन हेतु पंजीकृत किया गया है।

8.69 वन स्टॉप सेन्टर सखी योजना: इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सुविधायें जैसे-अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा, विधिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श आदि सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में वनस्टॉप सेंटर स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर पर 49.23 हजार महिलाएँ/बालिकाएँ पंजीकृत कर सहायता प्रदाय की गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा स्टॉप सेन्टर संचालन एवं भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 8.16 करोड़ सीधे जिलों को प्रदाय की गई थी, जिसमें से राशि रुपये 5.55 करोड़ व्यय की गई है एवं 28 जिलों में शासकीय भवन पूर्ण किये जा चुके हैं।

8.70 उषा किरण योजना : "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006" के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा घरेलू हिंसा के प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी/ ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी/ वरिष्ठ पर्यवेक्षक) नियुक्त किये गये हैं।

8.71 स्वाधार आश्रयगृह योजना : कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता व अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए उनके पुर्नवास की व्यवस्था हेतु भारत सरकार महिला बाल विकास द्वारा स्वाधार आश्रयगृह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में निराश्रित, विधवाएं, जेल से छूटी हुई महिला कैदी, प्राकृतिक विपदाओं से निराश्रित हुई महिलाएं, अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाएं, हिंसा से पीड़ित मानसिक रूप से विकसित महिलाएं आदि

आश्रयगृह में आवास सुविधा सहित पोषण एवं पुर्नवास का लाभ पाती है। इस योजना में जमीन, भवन निर्माण/ किराया राशि गृह की व्यवस्था, परामर्श सेवा, पुर्नवास हेतु आर्थिक गतिविधि एवं प्रशिक्षण के लिए राशि दिये जाने का प्रावधान है। 13 जिलों में 15 स्वाधारगृह संचालित है। वर्तमान में 200 से अधिक महिलाएं एवं 50 बच्चें निवासरत है। योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार की राशि 60:40 के अनुपात में व्यय की जाती है। वर्ष 2020-21 में योजना पर रुपये 121.68 लाख व्यय किए गये। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना हेतु 250.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

8.72 लाइली लक्ष्मी योजना :- बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाइली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लागू की गई है। योजनागत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1.18 लाख का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसमें बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर या कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर 1.00 लाख रुपये का अंतिम भुगतान किया जायेगा यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो। लाइली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 3.43 लाख नवीन बालिकाओं का पंजीयन किया गया जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 2021 तक 1.65 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 921.53 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध राशि रुपये 87.52 करोड़ का व्यय किया गया। इसी अवधि में लाइली लक्ष्मी योजनान्तर्गत कक्षा 6 एवं कक्षा 9, 12वीं प्रवेशित 2.32 लाख पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया।

8.73 समेकित बाल संरक्षण योजना :- कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों के तहत संचालित बाल संरक्षण योजनाओं को केन्द्रीय रूप से सम्मिलित कर प्रारंभ की गयी है। यह योजना बच्चों के बाल अधिकार, सर्वेक्षण एवं सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। इस योजना के तहत किशोर न्याय (बालिका की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन भी मुख्य घटक है।

समेकित बाल संरक्षण योजना के उद्देश्य :-

- अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत बनाना और संरचनाओं का सुदृढीकरण।
- सभी स्तरों पर क्षमतायें बढ़ाना।
- बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटावेस और ज्ञान आधार सृजन करना।

- परिवार और समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण का सुदृढीकरण
- सभी स्तरों पर अंतर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना
- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना

समेकित बाल संरक्षण योजना की प्रबंधन व्यवस्था राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.) विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड बाल संरक्षण समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और बाल संरक्षण के जरूरतमंद (निराश्रित, अभ्यर्पित बेसहारा) बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं।

8.74 संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाएं :- संस्थागत सेवाएं में विभिन्न गतिविधियां जैसे विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, बालगृह, खुला आश्रयगृह, संप्रेक्षणगृह एवं विशेषगृह कार्य योजनाओं संचालित की जाती है। गैर संस्थागत सेवाओं में दत्तक ग्रहण पालन-पोषण देखभाल, स्पांसरशिप योजना एवं पश्चात्कर्ती देखभाल के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

8.75 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) :- यह योजना समस्त जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रथम बच्चे हेतु गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों में सुधार लाने हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

महिला वित्त एवं विकास

महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा महिलाओं के हित के लिए निम्नांकित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :

8.76 आदिवासी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण योजना:- योजनांतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मण्डला जिले के विकासखण्ड निवास में कुल

1470 महिलाओं के साथ राई एवं रामतिल की आधुनिक पद्धति से कृषि विपणन एवं आईल एक्सपेलर यूनिट की स्थापना की गई है। जिला बालाघाट के क्षेत्र गढ़ी में आदिवासी महिलाओं के साथ अलसी क्रय विक्रय व रोस्ट यूनिट की स्थापना की गयी है। जिला डिण्डोरी में 02 महिला महासंघों की महिलाओं के साथ कोदोकुटकी बेकरी यूनिट की स्थापना की गई है।

8.77 संवेदना कार्यक्रम : निगम द्वारा जाबाली योजना के अंतर्गत संवेदना कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य बेडिया, बाँछडा, साँसी, जाति की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है व इन जाति में प्रचलित कुरीतियों को हतोत्साहित करना है।

8.78 महिला उद्यमी सशक्तिकरण कार्यक्रम :- उक्त कार्यक्रम 5 जिलों क्रमशः जिला डिण्डोरी, मण्डला, बालाघाट, उमरिया, एवं अनूपपुर में प्रारंभ किया गया है। तेजस्विनी महिला महासंघ, के द्वारा उक्त कार्यक्रम सम्पादित किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में 500 आदिवासी महिलाओं को विभिन्न विधा में सशक्त करते हुये उन्हें प्रत्येक जिले में 2-3 इकाई स्थापित की जावेगी।

8.79 गणवेश प्रदाय कार्यक्रम :- शासकीय विद्यालयों में कार्यरत छात्र/छात्राओं (कक्षा 01 से 06 तक) सत्र 2020-21 में स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय करना है। कार्यक्रम अंतर्गत 7 जिलों में मण्डला, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाडी, डिण्डोरी, पन्ना, छतरपुर में 641 स्व सहायता समूहों के माध्यम से 133095 विद्यार्थियों के गणवेश का सिलाई कार्य किया जा रहा है। इस हेतु स्व सहायता समूह के खातों में राशि रुपये 399 लाख स्थान्तरित किये गये हैं। यह कार्यक्रम समूह से जुड़ी महिलाओं एवं राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है।

कन्जरवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रिकल्चर के अंतर्गत वर्तमान में मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा 4500 बैगा आदिवासी महिलाओं के साथ कोदो कुटकी उत्पादन प्रसंस्करण इकाई बाजार उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम अन्तर्गत 1308 एकड़ भूमि में कोदो कुटकी की खेती की जाती है। संघों द्वारा न्युट्री बिस्किट बेकरी कोदो प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन किया जा रहा है एवं निर्मित उत्पादन को महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों, पर्यटन विकास निगम एवं खुले बाजार में सप्लाई किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कृषि का पूर्ण क्षमता वर्धन बनाना कृषि प्रसंशकरण अनाज के अलावा फल उत्पादन में पेरित करना जिसका गतिविधियोंमें प्रोक्योरमेंट की स्थापना, संघ पर गोदाम व्यवस्था सीड बैंक व्यवस्था करना, कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध करना तथा ब्रीडिंग, पैकेजिंग, लेवलिग एवं मार्केटिंग की व्यवस्था करना है।

अनुसूचित जातियों का विकास

इस विभाग को अनुसूचित जाति के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग शैक्षणिक विकास की योजनाओं के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाएँ संचालित कर रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6 प्रतिशत है। इसी अनुपात में राज्य की कुल आयोजन का 15.00 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन वर्गों के कल्याण के लिये निर्धारित किया जाता है।

अनुसूचित जाति उप योजना के तहत अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट/आयोजन के नियंत्रण के लिए अनुसूचित जाति विभाग नोडल विभाग है।

अत्याचार निवारण: अनुसूचित जाति/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु लागू अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के लिए भी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना स्थापित किया गया है। प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है तथा शेष जिलों में जिला न्यायालयों को अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों को सुनवाई हेतु अधिसूचित किया गया है। 10 ऐसे जिले जहां उत्पीड़न के अधिक मामले दर्ज हुये हैं वहां प्रभावी रूप से पीड़ित का पक्ष प्रस्तुत करने तथा सशक्त पक्ष समर्थन के लिये 10 उप संचालक लोक अभियोजक के पद स्वीकृत कर पदस्थापना कराई गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियां : विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ-साथ 571 जूनियर छात्रावास कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु 1153 (सीनियर छात्रावासों) कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 10 संभाग स्तरीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 189 महाविद्यालयीन छात्रावास संचालित है। इन समस्त छात्रावासों में 1.00 लाख विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

तालिका 8.10

अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं

क्र.	संस्था का नाम	बालक		कन्या		योग	
		संख्या	सीट	संख्या	सीट	संख्या	सीट
1	जुनियर छात्रावास	256	12008	315	16107	571	28115
2	सीनियर छात्रावास)उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रो सहित(633	30168	520	25354	1153	55522
3	महाविद्यालयीन छात्रावास	108	5770	81	4345	189	10115
4	संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय हेतु छात्रावास	10	3200	10	3200	20	6400
	योग	1007	51146	926	49006	1933	100152

छात्रावासों में रहने वाले बालकों को रुपये 1380 एवं बालिकाओं को रुपये 1420 प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है।

राज्य छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक बालक एवं बालिकाओं को निम्नानुसार दरों पर प्रदान की जाती है:

कक्षा	छात्रावासी विद्यार्थी (10 माह हेतु)	गैर छात्रावासी विद्यार्थी (10 माह हेतु)
1से 10	-	2250/- छात्रवृत्ति + 750/- सहायक अनुदान
3 से 10	7000/- छात्रवृत्ति + 1000/- सहायक अनुदान	-

वर्ष 2020-21 में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के 2.90 लाख आवेदन प्राप्त हुये थे तथा। वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 343.00 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित किया जाकर 85.00 हजार आवेदन प्राप्त हुये थे।

8.80 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण :प्रदेश की ऐसी अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती, ग्राम मजरे, टोले जहां मुख्य ग्राम में तो विद्युत लाइन है किन्तु अनुसूचित जाति के मजरे टोलों में विद्युत लाइन नहीं पहुंची है में विद्युत लाइन विस्तार करने संबधी योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से यह योजना अनुसूचित बस्ती विकास में समाहित अनुसार राशि रुपये 6565.59 लाख का व्यय किया गया तथा वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 3000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

8.81 अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रम भवनों का निर्माण : वर्तमान में कुल 1933 छात्रावास एवं आश्रम संचालित है, जिनमें से 389 संस्थाएँ भवन विहीन हैं। वर्ष 2020-21 में भवन निर्माण में राशि रुपये 50.00 करोड़ का बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 30.61 करोड़ का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में 22 छात्रावास भवनों का निर्माण लागत राशि रुपये 97.19 करोड़ प्रस्ताव के विरुद्ध माह नवम्बर 2021 तक योजना में 342.79 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

8.82 नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन:- योजना वर्ष 2005-06 से संचालित है। प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं में व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु राजधानी मुख्यालय भोपाल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पांच दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में प्रत्येक जिले से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एक मेधावी छात्र तथा एक छात्रा को चयनित कर शिविर में बुलाया जाता है। उक्त शिविर में उन्हें जीवन उपयोगी विभिन्न विधाओं एवं कैरियर गाइड लाइन्स संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। शिविर के प्रतिभागियों को माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस से भेंट कराई जाती है एवं महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण भी कराया जाता है।

वर्ष 2019-20 से 102 छात्र-छात्राओं को भारत दर्शन योजना अंतर्गत नई दिल्ली एवं आगरा शहरो के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक केन्द्र प्रयोग शालायें, दर्शनीय स्थल का भ्रमण कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 3.00 लाख के विरुद्ध 3.00 लाख व्यय किया जाकर 102 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

8.83 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वर्ष 2020-21 में किए गए उल्लेखनीय कार्य :

- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना:-** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 3233 हितग्राहियों को 31 मार्च 2019 तक स्वरोजगार प्रकरणों में लाभान्वित कर राशि रुपये 16458.34 लाख ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया।
- **मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना:-** वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हुये एवं वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मेपसेट) द्वारा 8000 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है।
- **विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति:-** वर्ष 2020-21 में 48 विद्यार्थी विभिन्न देशों के शिक्षण संस्थाओं से लाभान्वित हुये जिन पर 877.68 लाख रुपये व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में 29 विद्यार्थियों का चयन किया जाकर दिसम्बर 2021 तक राशि रुपये 200.00 लाख व्यय किया गया है। वर्तमान में विदेशों में 54 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

- **परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र:-** वर्ष 2020-21 में 7 संभागीय मुख्यालयों में कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया तथा वर्ष 2021-22 में अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है।
- **विद्यार्थी आवास सहायता योजना:-** महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को आवास भत्ता योजना में वर्ष 2020-21 में 88774 आवेदन प्राप्त हुये । जिसपर राशि रुपये 68.75 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- **सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना:-** वर्ष 2020-21 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा को कोविड-19 के कारण चयन नहीं किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन योजना:-** इस योजनान्तर्गत विवाह करने वाले आदर्श दम्पत्ति को 2.00 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में 1100 युगल को योजनान्तर्गत रुपये 2200.00 लाख राशि वितरित की गई तथा वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर 2021 तक 696 युगल को लाभान्वित कर राशि रुपये 1392.00 लाख वितरित की गई।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाएँ प्रमुख हैं । विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है । अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक उत्थान और आर्थिक सहायता के लिए भी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं ।

जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख है जो राज्य की कुल आबादी का 21.10 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई है । इन जनजातियों के विकास हेतु 03 प्राधिकरण तथा 11 अभिकरण कार्यरत हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 26 वृहद परियोजनाएँ 05 मध्यम परियोजनाएँ 30 माड़ा पॉकेट्स एवं 6 लघु अंचल कार्यरत हैं । प्रदेश में 89 अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड हैं ।

वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में संचालित प्रमुख विभागीय योजनाओं का संचालन निम्नानुसार है:-

8.84 शैक्षणिक संस्थायें : प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालायें संचालित की जा रही हैं। शिक्षा में सुधार लाने के लिये इन शालाओं के अतिरिक्त विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का विवरण तालिका 8.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.11

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान

संस्था का नाम	संख्या
प्राथमिक शालाएं	22913
माध्यमिक शालाएं	6788
हाई स्कूल	1133 (731 विभागीय 402 RMSA)
उ.मा.वि.	891
आदर्श आवासीय उ.मा.वि.	08
कन्या शिक्षा परिसर	84
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	63
क्रीड़ा परिसर	16
जूनियर छात्रावास	198
सीनियर छात्रावास	980
आश्रम शालाएं	1083
उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	216
महाविद्यालयीन छात्रावास	167

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि राज्य छात्रवृत्ति में कक्षा 10वीं से 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण प्रवेशित बालिकाओं को राशि रुपये 3000/- प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरित की जा रही है। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 2281.50 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रुपये 2281.50 व्यय किया जाकर कोविड-19 के कारण कक्षा में विलंब से प्रारंभ होने से यह राशि मार्च 2021 तक वितरित की जा रही है तथा वर्ष 2021-22 में भी वितरित की जा रही है।

8.85 राज्य छात्रवृत्ति : राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक की समस्त बालक-बालिकाओं को, दस माह हेतु निम्न दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं जिसका विवरण तालिका 8.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 8.12

अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें

कक्षा	बालक /वार्षिक	बालिका /वार्षिक
1 से 5	250/- (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए)	250/-
6 से 8	200/-	600/-
9 से 10	600/-	1300/-

जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है उन विद्यार्थियों के लिए केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक योजना भी संचालित है साथ ही गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के दिव्यांग कक्षा 9 से 10 तक के अंध दिव्यांग को परिवहन भत्ता, गंभीर रूप से 80 प्रतिशत अधिक को परिवहन भत्ता 1600 रुपये दिया जाता है। मानसिक दिव्यांग के लिये 2400 रुपये भत्ता दिया जाता है एवं अंध दिव्यांग के लिये 1600 रुपये भत्ता दिया जाता है।

8.86 पोस्टमैट्रिक एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति (राज्य योजना मद अंतर्गत): शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को रुपये 2.50 लाख से अधिक की आय सीमा होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी, किन्तु केवल पूर्ण शुल्क की पात्रता हो।

अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी। रुपये

2.50 लाख से 6.00 लाख तक की आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित से शिक्षण शुल्क सहित नान रिफण्डेबल अनिवार्य शुल्क की आधी राशि का भुगतान किया जावेगा ।

8.87 विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति : अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 50 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना प्रावधानित है ।

वर्ष 2020-21 में 02 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाकर राशि रुपये 101.32 लाख व्यय किये। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 220.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 06 विद्यार्थियों को विदेश प्रस्थान कर राशि रुपये 146.54 माह नवम्बर 2021 तक व्यय किया गया है।

8.88 क्रीड़ा परिसर : आदिवासी बच्चों के खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये प्रदेश में 100 सीटर कुल 26 आवासीय क्रीड़ा परिसर संचालित हैं। इनमें से 19 बालकों के लिए तथा 07 बालिकाओं के लिए हैं। इंदौर में विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित है जिसमें 200 सीट स्वीकृत है।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को निम्नानुसार राशि से सम्मानित किया जाता है:-

(राशि रूपयों में)

	राष्ट्रीय स्तर (एकल)	राज्य स्तर(सामूहिक)	राज्य स्तर पर शाला
प्रथम स्थान	21000	10000	7000
द्वितीय स्थान	15000	7000	5000
तृतीय स्थान	11000	5000	3000

8.89 अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना : अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्ती/वार्ड में मूलभूत सुविधाएँ यथा- समुचित पेयजल, विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़क, नाली निर्माण मुख्य सड़क से अनुसूचित जन जाति बस्ती/ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा, निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण, आदि उपलब्ध कराना है।

वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 5000.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 4253.97 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 6000.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 638.12 लाख व्यय किये गये हैं।

8.90 अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु नवीन सायकिल प्रदाय योजना: योजनांतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 वी के जिन आदिवासी बालिकाओं को सायकिल प्रदाय नहीं की गई है तथा जिन्हें कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 2 किमी से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है, ऐसी बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

वर्ष 2020-21 में 522 बालिकाओं को लाभान्वित कर राशि रूपये 20.21 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। वर्ष 2021-22 में 10.00 लाख का प्रावधान रखा गया है जो कोविड के कारण यथास्थिति में है।

8.91 हितग्राही मूलक योजनाएं :- इस योजना में तीन प्रकार की पुरस्कार योजनाएं संचालित हैं :-

- मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना :- अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का कक्षा 10वी एवं 12वी बोर्ड में प्रतिभा के आधार पर प्रावीण्यता लाने पर मेधावी पुरस्कार प्रदान किये जाने में योजनान्तर्गत जिला स्तर पर 52-52 बालक/बालिकाओं को 1000/- एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है।
- शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना : कक्षा 10वी एवं कक्षा 12वी बोर्ड परीक्षा की मेरिट में जनजाति विद्यार्थियों में प्रथम तीन स्थान बालक या बालिका तथा अगले तीन स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। कक्षा 10वी एवं 12वी के लिए मेरिट सूची में स्थान पाने वाले बालक/बालिकाओं को प्रथम पुरस्कार राशि रूपये 51.00 हजार, द्वितीय पुरस्कार राशि रूपये 40.00 हजार एवं तृतीय पुरस्कार 30.00 हजार वितरित किये जाते हैं।
- अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना: 12वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त 10 जनजाति वर्ग के बालिकाओं को पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति का सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 15.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 8.68 लाख का व्यय कर 11 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक 9.60 लाख का व्यय कर 60 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया है।

8.92 विद्यार्थी कल्याण : अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु एवं विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार सहायता दी जाती है।

1. विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु पोशाक, परिधान, साज-सज्जा हेतु	-	3000/-
2. निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु	-	3000/-
3. असामयिक विपत्ति	-	25000/-
4. कैंसर, टी.बी .हृदय रोग आदि	-	10000/-
5. मृत्यु होने पर	-	25000/-

वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 6.99 लाख राशि व्यय की जाकर 1091 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक हेतु राशि रूपये 0.66 लाख प्रावधानित है।

8.93 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना - राज्य शासन ने संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। योजनांतर्गत विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है -:

अ. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए -

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 40.00 हजार
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 60.00 हजार
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर रूपये 50.00 हजार

उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता के लिए आय सीमा का बंधन नहीं होगा ।

ब. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए - (अभिभावकों की आय राशि रुपये 8.00 लाख अधिक न हो) तथा दूसरी बार उत्तीर्ण होने पर 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रुपये 20.00 हजार
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रुपये 30.00 हजार
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर रुपये 25.00 हजार

वर्ष 2020-21 में 52 विद्यार्थियों को लाभान्वित कर राशि रुपये 80.82 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 100.00 लाख का प्रावधान कर माह नवम्बर 2021 तक राशि रुपये 43.50 लाख व्यय कर 217 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

8.94 अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग -:

- अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी संघ लोकसेवा आयोग की विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, इस हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग दिलाये जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिए निजी कोचिंग योजना स्वीकृत की गई है।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों को उक्त योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 में अभ्यर्थियों को लाभान्वित कर राशि रुपये 118.13लाख व्यय किये गये एवं वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक राशि रुपये 43.50 लाख का व्यय कर 100 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.95 पिछड़ा वर्ग कल्याण :राज्य में वर्तमान में 93 जाति /उपजाति /वर्ग समूहों को पिछड़ी जातियों के रूप में शासन द्वारा मान्य किया गया है। इन जातियों के शैक्षणिक उन्नयन, रोजगार मूलक प्रशिक्षण एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनायें क्रियान्वित कर लाभान्वित किया जा रहा है। योजनायें निम्नानुसार हैं :

8.96 राज्य छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के उन विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरंतर विद्याध्ययन के लिये प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं या दस एकड़ से अधिक कृषि भूमि धारक नहीं हैं। छात्रवृत्ति की जानकारी निम्नानुसार है :-

प्रतिमाह दर (दस माह हेतु)

कक्षा	बालक	बालिका
6 से 8	रु. 20.00	रु. 30.00
9 एवं 10	रु. 30.00	रु. 40.00

वर्ष 2020-21 में कुल राशि रुपये 200.00 करोड़ स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है, जिसके विरुद्ध के 200.00 करोड़ की राशि व्यय कर विद्यार्थियों को राशि रु. 32.86 लाख कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 165.00 करोड़ का प्रावधान किया जाकर स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। जिसके विरुद्ध छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

8.97 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की पात्रता उन विद्यार्थियों को है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 3.00 लाख से कम हो। वर्ष 2020-21 में 5.17 लाख विद्यार्थियों को राशि रुपये 620.44 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 419.00 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाकर 3.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध वर्ष 2021-22 में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल ऐप आईटी से कार्यवाही प्रचलन में है।

8.98 राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण): पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भोपाल में संचालित राज्य स्तरीय परीक्षा केन्द्र में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को 350 रुपये प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति एवं निशुल्क आवास सुविधा तथा पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तकों की वरीयता के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 106.00 लाख के आवंटन विरुद्ध राशि रुपये 70.00 लाख व्यय किये गये हैं तथा कुल 120 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुये।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 137.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध नवम्बर, 2021 तक रुपये 75.00 लाख व्यय किये गये। वर्तमान में 90 प्रशिक्षणार्थियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

8.99 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग के व्यवसायिक प्रतिभा पुरस्कार योजना : पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों में से पी.ई.टी./पी.पी.टी./एम.सी.ए. की परीक्षाओं में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रुपये 1 लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले को रुपये 50 हजार एवं तृतीय स्थान पाने वाले को रुपये 25 हजार की राशि पुरस्कार में दिये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1.75 लाख का प्रावधान किया गया किन्तु पीपीटी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 1.20 लाख का प्रावधान किया गया है।

8.100 राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन : योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि का विवरण तालिका 8.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.13
प्रोत्साहन राशि

विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रुपये में	
	संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
योग	100000	50000

वर्ष 2020-21 में 36 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर राशि रुपये 15.60 लाख की राशि व्यय की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 32.00 लाख का प्रावधान किया जाकर नवम्बर, 2021 तक 115 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई। इस पर राशि रुपये 17.55 लाख व्यय किया गया है।

8.101 पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति : यह योजना वर्ष 2010 से लागू है। योजनान्तर्गत 10वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को रुपये 5 हजार, 12 वीं के छात्र/छात्राओं को 10 हजार का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 15.30 लाख प्रावधान के विरुद्ध 7.40 लाख व्यय कर 105 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इससे 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.102 विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति : पिछड़ा वर्ग के चयनित विद्यार्थियों को विदेशों स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, शोध उपाधि (पी.एच.डी.) एवं शोध उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1200.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध 42 विद्यार्थियों पर राशि रुपये 1179.94 लाख व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 1200.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध माह नवम्बर, 2021 तक राशि रुपये 281.86 लाख व्यय किये जाकर 14 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

8.103 पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी योजना) : इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विषय की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020-21 में 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया। किन्तु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 12.00 करोड़ का प्रावधान किया जाकर राशि रुपये 555.00 करोड़ व्यय किया गया है। जिसके अंतर्गत 6751 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं को ऑफ लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश के सभी 10 संभागीय स्तर पर संचालित किये जा रहे हैं।

8.104 राम जी महाजन महात्मा ज्योतीबाफुले एवं सावित्रीबाई फुले स्मृति पुरस्कार : योजना में प्रतिवर्ष पिछड़े वर्ग उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के 16 समाजसेवियों को सम्मानित किया जाता है जिसमें 8 महिला एवं 8 पुरुष सम्मिलित होते हैं प्रत्येक समाजसेवी को रुपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 14.55 लाख का प्रावधान किया गया था किन्तु आयोजन न होने के कारण कोई व्यय नहीं हुआ है। वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 13.46 लाख का प्रावधान किया गया है।

8.105 छात्रगृह योजना : विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों जो पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश पात्रता रखते हो, के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत 2 या अधिक के समूह में किराए के भवन में विद्यार्थियों के रहने पर भवन किराया एवं बिजली पानी इत्यादि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र 1000/- की दर से निर्धारित किया गया है। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 73.76 लाख व्यय की गई है कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 99.80 लाख का प्रावधान किया गया है।

8.106 पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास निर्माण : केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावासों के भवनों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास भवन का निर्माण प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 570.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध नवम्बर, 2021 राशि रुपये 139.34 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई है।

8.107 पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण : प्रदेश के पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 50 सीटर पोस्टमैट्रिक जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना की गई है। जिला शाजापुर में 50 सीटर, इंदौर में 500 सीटर, दमोह में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा जबलपुर में 500, उज्जैन में 100 सीटर का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021-22 में कुल राशि रुपये 1200.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध नवम्बर 2021 तक राशि रुपये 269.00 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई है।

अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण

- **मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :**
अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष

2011-12 से प्रारंभ की है जिसमें (1) शहीद अशफाक उल्लाह खॉ पुरस्कार (2) शहीद हमीद खॉ पुरस्कार (3) मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रत्येक पुरस्कार की राशि रूपये 1 लाख है। इसमें 03 समाज सेवियों को पुरस्कृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 46.38 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। किन्तु आयोजन न होने के कारण राशि व्यय नहीं हुई है। वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 46.38 लाख का प्रावधान किया गया है।

- **अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी योजना) -** अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 1.45 करोड़ का प्रावधान किया गया किन्तु कोविड के कारण कार्यक्रम संचालित नहीं किया जा सका वित्तीय वर्ष 2021-22 में 54.66 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रूपये 21.00 लाख का व्यय किया गया है।
- **म.प्र में हज कमेटी -** भोपाल में सर्वसुविधा युक्त प्रदेश के प्रथम हज हाउस से प्रतिवर्ष हज यात्रा कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 186.90 करोड़ का प्रावधान किया लगभग 5000 हज आवेदकों को हज यात्रा पर भेजा जाता है। कोविड के कारण संभव नहीं हुआ वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 180.00 लाख का प्रावधान है।

भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ

8.108 मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति : भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध पारसी एवं जैन) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है ।

योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में कुल 2204 विद्यार्थियों को लाभांशित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 माह नवम्बर, 2021 तक 1125 विद्यार्थियों को लाभांशित करने का लक्ष्य है।

8.109 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान के विद्यार्थियों को जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो, उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2020-21 में कुल 20120 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक 4280 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.110 प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति : भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र-छात्राओं को है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो । वर्ष 2020-21 में कुल 1.16 लाख विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक 22.00 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम -** प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 7800.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध राशि रुपये 6196.30 लाख का विभिन्न निर्माण किये गये है।

सामाजिक न्याय

8.111 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : प्रदेश में वर्ष 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत जो म.प्र. का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयु की कल्याणी महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों, 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलायें, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो, वर्ष 6 से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, लाभान्वित होंगे। उक्त को दी जाने वाली पेंशन दिनांक 1 सितंबर 2016 से 'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि' के नाम से दी जा रही है। 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो वह अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ प्राप्त न कर रहे हो उन्हें इस योजनान्तर्गत हितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त बड़वानी जिले के नेत्र संक्रमित 58 हितग्राहियों को राशि रुपये 5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2020-21	136026.35	135854.50	2610135
2021-22 (नवम्बर 2021)	181613.99	130506.52	2750635

वर्ष 2021 में निराश्रित राशि रुपये 41249.33 लाख व्यय किया गया है।

8.112 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रदेश में अप्रैल, 2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजनों को भारत सरकार के मद से राशि रुपये केन्द्रांश 300/- एवं राज्यांश मद से 300/- कुल राशि 600 प्रति हितग्राही प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। यह राशि दिनांक 1 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार द्वारा रुपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के निर्धारित स्टेट केप के अतिरिक्त 1629 हजार हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2020-21	7302.92	6278.26	99924
2021-22 (नवम्बर 2021)	7302.92	4796.35 माह नवम्बर, 2021 की स्थिति	99924

8.113 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत परिवार के 60 वर्ष से 79 वर्ष के हितग्राहियों को राशि रुपये 200/- केन्द्रांश तथा 400/- राज्यांश सम्मिलित कर कुल राशि रुपये 600/- एवं 80 वर्ष से अधिक बी.पी.एल परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा राशि रुपये 500/- तथा राशि रुपये 100/- राज्यांश कुल राशि 600/- प्रति माह प्रति हितग्राहियों को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

राज्य शासन द्वारा फरवरी 2019 से सभी पेंशन माह मार्च 2019 से रुपये 600/- के मान से स्वीकृत की जाकर मार्च पेड अप्रैल 2019 से पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये हैं। भारत सरकार के निर्धारित स्टेटकेप के अतिरिक्त 6.49 लाख हितग्राहियों को शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवंटन से लाभान्वित किया जा रहा है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2020-21	114353.32	101350.45	15,69,627
2021-22 (नवम्बर 2021)	114353.32	75342.10	15,69,627

8.114 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : प्रदेश में 01.04.2009 से प्रारंभ इस योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को भारत सरकार के मद से राशि रुपये 300/- एवं राशि रुपये केन्द्राश 300/- राज्य सरकार द्वारा कुल रुपये 600/- प्रतिमाह प्रतिहितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा माह मार्च पेड अप्रैल 2019 से पेंशन भारत सरकार के निर्धारित स्टेट केप के अतिरिक्त 4.37 लाख हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा निधि पेंशन योजना से लाभांवित किया जा रहा है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2020-21	39201.32	33560.61	536412
2021-22 (नवम्बर 2021)	39201.32	25763.58	536412

8.115 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : प्रदेश में दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है। परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रुपये 20.00 हजार की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2020-21	5901.17	3929.35	19646
2021-22 (नवम्बर 2021)	5901.17	2011.66	10058

8.116 मुख्यमंत्री कन्या एवं कल्याणी विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना" 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजनांतर्गत दिनांक 14/10/2019 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थिति अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को राशि रुपये 3000.00 प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रुपये 48000.00 संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में जमा कराई जायेगी।
- आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह में कन्या विवाह सहायता राशि दी जायेगी।
- शासन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना दिनांक 06/04/2018 के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की कल्याणियों को विवाह सहायता हेतु राशि रुपये 2.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2020-21	15000.00	11774.63	21042
2021-22 (नवम्बर 2021)	5000.00	457.40	229

टीप:- वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोविड-19 के कारण सामूहिक कन्या विवाह नहीं हुये केवल कल्याणी विवाह हुये है।

8.117 मुख्यमंत्री निकाह योजना : वर्ष 2012 से प्रारंभ इस योजना में गरीब जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा /परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रुपये 3000/- प्रति कन्या के मान से शेष राशि रुपये 48000.00 संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में जमा की जाती है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2020-21	1159.00	1053.25	2065
2021-22 (नवम्बर 2021)	400.00	47.75	93

टीप:- वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोविड-19 के कारण सामूहिक निकाह विवाह नहीं हुये।

8.118 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना : यह योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है। 1 अप्रैल 2019 से योजनांतर्गत हितग्राहियों को रुपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे दम्पति जिसमें पति/पत्नि में से किसी की भी एक आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं, तथा हितग्राही आयकरदाता न हो।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2020-21	3867.47	3348.05	61.006
2021-22 (नवम्बर 2021)	2000.00	1180.44	61224

8.119 बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों एवं व्यक्ति को आर्थिक सहायता : मध्यप्रदेश के सभी 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग व्यक्ति को राशि रुपये 600/- प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.06.2009 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 राशि रुपये 3142.15 व्यय किया जाकर 77149 हितग्राही लाभान्वित हुए।

8.120 दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना : योजना में दम्पति में कोई एक के दिव्यांग होने पर रुपये 2.00 लाख एवं दोनों निःशक्त होने पर रुपये 1.00 लाख तक एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 18-08-2008 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर, 2021 तक 437 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा अन्त्येष्टि सहायता योजना, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का क्रियान्वयन एवं नशाबंदी कार्यक्रम संचालित है।

अध्याय 09

सुशासन एवं
कानून व्यवस्था

सुशासन एवं कानून व्यवस्था

जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं : मध्यप्रदेश राज्य में 11 केन्द्रीय जेल, 41 जिला जेल, 73 सब जेल एवं 06 खुली जेल कुल 131 जेल संचालित है। इन जेलों की कुल अधिकृत बंदी आवास क्षमता 29525 बंदियों को रखे जाने की है, जबकि दिनांक 25 अक्टूबर 2021 की स्थिति में 48811 बंदी परिरुद्ध हैं।

विभागीय उपलब्धियां:-

9.1 केन्द्रीय जेल :- नरसिंहपुर जिले में बेकरी यूनिट स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 79.01 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। जिसमें बंदियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जेलों के विधिक सहायता शिविर लगाकर 4890 बंदियों विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

9.2 पर्सपेक्टिव प्लान :- भिंड में नई जेलों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें भिंड जेल का कार्य अंतिम सौपान पर है तथा छिन्दवाडा में जिला जेल एवं इन्दौर में केन्द्रीय जेल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

9.3 खुली जेल कॉलोनी:- शासन द्वारा केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर परिसर में 20 बंदियों हेतु खुली जेल के निर्माण कार्य अंतिम चरण में प्रगति पर है।

9.4 ई-प्रिजन कार्यक्रम:- प्रदेश की समस्त जिला एवं सब जिलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम हेतु राशि रूपये 694.00 लाख उपलब्ध कराई गई है ।

9.5 बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाना:- प्रदेश की समस्त जेलों को उनके संबंधित न्यायालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। सभी जेलों की बंदियों की पेशी एवं सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है ।

9.6 पैरोल प्रकरण :- वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण आदेशानुसार 4306 बंदियों को 60 दिवस आपात पैरोल प्रकरणों पर रिहा किया गया है तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर 183 आजीवन कारावास के बंदियों को शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा किया गया है।

इसी प्रकार हाथकरघा प्रशिक्षण (सफल नवाचार) के माध्यम से केन्द्रीय जेल, सागर में सामाजिक संस्थाए से हाथकरघा प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र का संचालन किया जिसमें 600 से अधिक बंदियों को हाथकरघा प्रशिक्षण तथा 150 बंदि उत्पादन हेतु कार्यरत एवं 50 बंदियों के लिए दूसरा केन्द्र सर्किल जेल, शिवपुरी में स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

पुलिस विभाग :

9.7 बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा (सी.सी.टी.व्ही.) :- प्रदेश के शहरों के संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु शासन द्वारा राशि रूपये 450 करोड़ की स्वीकृत योजनान्तर्गत दो चरण में मध्यप्रदेश के 60 शहरों के 2000 स्थानों पर स्थापित लगभग 11500 कैमरो (PTZ, IR Fixed एवं ANPR Automatic Number Plate Recognised) का उपयोग कर कानून व्यवस्था ड्यूटी में उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न प्रकरणों में सिस्टम से प्राप्त फुटेज की सहायता से विवेचना में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी ।

सीसीटीवी योजनान्तर्गत 79 मोबाईल सविसेजलेन्स व्हीकल तैयार किए गए हैं। जिनके उपयोग कर विभिन्न डियूटी, मेला, VVIP ड्यूटी, कोरोना प्रभावित स्थानों इत्यादि में निगरानी कर कानून व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 तक उक्त योजना अंतर्गत 470.85 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट आवंटन राशि रूपये 17.57 करोड़ प्राप्त हुआ है, जिसमें से राशि रूपये 1.44 करोड़ का व्यय हो चुका है, जिसमें नवीन इंटीग्रेटर सिस्टम की स्थापना की जा रही है।

9.8 मुख्यमंत्री पुलिस आवासीय योजना : शासन द्वारा मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 25000 आवासगृहों को 05 वर्षों (2017-18 2021-22 तक) राशि रूपये 5726.25 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त हुई है। जिसके अनुरूप 25000 आवासों में से 11500 आवास गृहों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 5288 आवासगृह पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 6212 आवास गृहों का कार्य प्रगतिरत है। योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 तक राशि रूपये 1322.95 करोड़ व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 405.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से राशि रूपये 334.08 करोड़ का व्यय किया जाकर योजना के शेष आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

9.9 स्ट्रेथिंग होम लैण्ड सिक्यूरिटी सुदृढीकरण : वर्तमान समय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण आर्थिक अपराध सामाजिक अपराधों के ट्रेंड में काफी परिवर्तन आने के कारण आंतरिक सुरक्षा एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। संगठित अपराध जघन्य मामले (वामपंथी /साम्प्रदायिक गतिविधियां) मादक पदार्थों की तस्करी एवं वन्य जीव अपराध तथा कानून-व्यवस्था अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ करने हेतु होमलेण्ड सिक्यूरिटी योजना का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कुल राशि रुपये 88.10 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रुपये 13.00 करोड़ का प्रावधान हुआ है, जिससे प्रोजेक्ट संबंधी कार्य किये जा रहे हैं।

9.10 केन्द्रीयकृत पुलिस काल सेंटर एवं नियन्त्रण कक्ष तंत्र (डायल-100): प्रदेश की जनता को त्वरित आपातकालीन पुलिस सहायता प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा 01 नवम्बर 2015 को डायल-100 योजना प्रारम्भ की गई । इस योजनांतर्गत भोपाल में 110 सीट का अत्याधुनिक डायल-100 कॉलसेंटर स्थापित है। समस्त जिलों में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 1000 चार पहिया एफआरव्ही (टाटा सफारी) वाहन तथा 150 एफआरव्ही मोटर साइकल्स तैनात है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कुल राशि रुपये 681.39 का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 राशि रुपये 136.45 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। प्रावधानित राशि से योजना का संचालन सुचारु रूप से कराया जा रहा है। योजना को और बेहतर एवं शीघ्र सुविधा पहुंचाने के लिए वर्तमान में उक्त योजना में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-27 तक योजना की निरंतरता प्राप्त हुई है। शासन द्वारा 1200 नवीन एफ.आर.व्ही. वाहन के संचालन हेतु नवीन सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन हेतु निविदा प्रचलन में है।

9.11 पुलिस आधुनिकीकरण योजना : पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2018-19 के अंतर्गत राशि रुपये 561.60 लाख में से राशि रुपये 409.51 लाख से डीएनए लैब इन्दौर व डीएनए लैब भोपाल हेतु उपकरणों का क्रय किया गया है। डीएनए लैब भोपाल में परीक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शेष राशि रुपये 152.09 लाख से उपकरणों की खरीदी का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही डीएनए लैब इन्दौर में परीक्षण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2019-20 के अंतर्गत आवंटित राशि रुपये 424.00 लाख से आरएफएसएल ग्वालियर में डीएनए लैब उपकरणों का क्रय किया जाने प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। शीघ्र ही डीएनए लैब ग्वालियर में परीक्षण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

9.12 निर्भया फण्ड : भारत सरकार द्वारा निर्भया फण्ड के अंतर्गत प्रदेश में मानव दुर्व्यापार इकाई की स्थापना एवं सुदृढीकरण हेतु योजना क्रमांक 9844 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 6.93 करोड़ एवं योजना क्रमांक 9844 महिला हेल्प डेस्क (निर्भया फण्ड) में राशि रुपये 7.00 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रुपये 13.93 करोड़ बजट प्रावधान हुआ था। जिसमें से कुल राशि रुपये 13.90 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। जिससे विश्लेषण एवं मानव दुर्व्यापार संबंधित प्रकरणों पर अकुश लगाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9834 निर्भया फण्डयोजना अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान हुआ है। जिससे योजना अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने हेतु कार्य कराये जा रहे हैं।

9.13 राजमार्ग सुरक्षा एवं संरक्षा :- प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, लूट, राहजनी में तत्काल राहत पहुंचाने एवं यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश में 80 हाईवे सुरक्षा एवं सुरक्षा केन्द्रों की स्थापना हेतु रुपये 49.28 करोड़ की विस्तृत कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2013-14 से संचालित है। उक्त योजना अंतर्गत राजमार्ग पर सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कुल राशि रुपये 28.51 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 2.70 करोड़ राशि का प्रावधान हुआ है, जिससे हाईवे पर सुरक्षा एवं संरक्षा केन्द्रों की स्थापना के कार्य किये जा रहे हैं।

9.14 पुलिस लायब्रेरी का पुनर्गठन : मध्यप्रदेश पुलिस में पूर्व में पुलिस के परम्परागत पुलिस प्रशिक्षण संस्थान एवं एक अकादमी तथा राज्यस्तर पर एक ग्रंथालय स्थापित था। पुलिस की विशिष्ट इकाइयों में विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान गुप्तचर प्रशिक्षण शाला, दूरसंचार शाला एवं मोटरवाहन प्रशिक्षण शाला भी अस्तित्व में थीं की वहाँ ग्रंथालयों का अभाव था। उपरोक्त संसाधनों से प्रशिक्षणार्थियों को उनके अनुकूल पुस्तकालय वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। जिसमें सहविषयो पर संबंधित साहित्य का अध्ययन कर आत्मविश्वास एवं आत्मबल में वृद्धि कर सकें एवं आम जनता के साथ ही महिला और बच्चों एवं समाज के कमजोर वर्ग से सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन कर अपने आचरण सभ्यता रखते हुये प्रदेश पुलिस द्वारा प्रतिप्रादित सत्यनिष्ठा के मूल्यों के प्रति समर्पण एवं अपने कर्तव्यों का निर्वाहन सम्मानपूर्वक कर सकें। शासन की नीति के अनुसार अजा महिला एवं गरीब बच्चों के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करने हेतु ग्रंथालय में उपलब्ध पुस्तकें प्रेरित करेगी, ताकि आम आदमी के कल्याण प्रचलित विधि एवं नियमों के अनुरूप कार्य कर शासन की नीतियों को क्रियान्वित कर सकें।

9.15 नव गठिन 36 वीं भारत रक्षित वाहिनी, विसबल, बालाघाट : इस योजना का प्रमुख ध्येय मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को प्रशस्त बनाना है। मध्यप्रदेश के प्रभावित क्षेत्र के जिले मुख्यतः बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी, उमरिया, सिंगरोली आदि नक्सल समस्या से पीड़ित है। विगत दो दशकों से नक्सली गतिविधियों की वजह से इन क्षेत्रों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में भी दहशत की स्थिति बनी रहती है। इन गतिविधियों के रोकथाम हेतु 4 अगस्त 2015 को माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में विशेष भारत रक्षित वाहिनी को बालाघाट जिले के ग्राम कनकी में स्थित एवं स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस वाहिनी के नवनिर्माण के लिये राशि रुपये 69.00 करोड़ की डी.पी.आर. स्वीकृत की गई है। स्वीकृति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कुल राशि रुपये 55.37 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। जिससे 36वीं भारत रक्षित वाहिनी विसबल बालाघाट के लिये भवन निर्माण, वाहन, उपकरण, सस्त्र गोलाबारूद इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रुपये 6.06 करोड़ राशि का प्रावधान हुआ था जिसमें ये रुपये 0.55 करोड़ का व्यय हो चुका है, जिससे वाहिनी के शेष कार्य भवन निर्माण, वाहन, उपकरण, सस्त्र गोला बारूद आदि कार्य किये जा रहे हैं।

9.16 अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र :- सी.सी.टी.एन.एस. गृह मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके अंतर्गत भारत के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में पुलिस विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। योजना में सम्मिलित थानों एवं वरिष्ठ कार्यालयों में सीसीटीएनएस कोर ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से समस्त प्रकार के पंजीयन एवं अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 69.34 करोड़ का व्यय हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 30.85 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। योजना की निरंतरता न होने से प्रावधानित बजट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। योजना की निरंतरता हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। शासन स्वीकृति उपरांत प्रोजेक्ट के शेष बचे हुये कार्य किये जावेंगे।

9.17 नारकोटिक्स शाखा का पुनर्गठन :- प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध करोबार की रोकथाम करने नशा एवं नशे से व्याप्त सामाजिक बुराईयों के प्रति जनजागृति लाने तथा नशे के आदी व्यक्तियों का पुर्नवास करने हेतु नारकोटिक्स शाखा को पुनर्गठन की कार्ययोजना अंतर्गत इंदौर में नारकोटिक्स संचालनालय भवन का निर्माण तथा मंदसौर/नीमच में कार्यालय एवं आवास भवन का निर्माण किया जाना था, नारकोटिक्स संचालनालय इंदौर का नवीन भवन तथा नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर एवं नीमच के नवीन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होकर ये तीनों ही भवन में नारकोटिक्स विंग को प्राप्त हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राशि रुपये 0.53 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे योजना हेतु कार्यालय उपकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं।

अध्याय 10

सामाजिक आर्थिक
विकास उपलब्धियां
एवं चुनौतियां

सामाजिक-आर्थिक विकास : उपलब्धियां एवं चुनौतियां

प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रदेश के समाजार्थिक विकास के विभिन्न पक्षों का आकलन करना है, एवं प्रदेश की प्रगति एवं समृद्धि हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों की उपलब्धि एवं दिशा ज्ञात करना है। प्रगति का मुख्य लक्ष्य मानव विकास है। मानव विकास का लक्ष्य जहां एक और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर इंगित करता है। वहीं दूसरी ओर यह भविष्य में समाज को प्रगति की ओर ले जाने में सहायता करता है। मानव संसाधनों पर ध्यान केन्द्रित करना तथा उसके विकास के लिए प्रभावशाली कदम उठाना राज्य की प्राथमिकता है।

10.1 प्रति व्यक्ति आय :- मध्यप्रदेश एवं देश की प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है।

मध्यप्रदेश एवं भारत की प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अग्रिम)
मध्यप्रदेश	81966	92486	103103	104894	124685
भारत	115224	125883	134186	128829	150326

वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रचलित मूल्य पर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय रुपये 124685 थी, जो देश की प्रति व्यक्ति आय रुपये 150326 है।

10.2 कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) :- मध्यप्रदेश में विगत 5 वर्षों में फसलों से प्राप्त होने वाला मूल्य संवर्धन की वृद्धि दर का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

कृषि फसलों के मूल्य संवर्धन में वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
भारत	6.6	2.6	4.3	3.6	3.9
मध्यप्रदेश	0.2	0.7	12.2	5.1	9.5

* - कृषि वानिकी एवं मत्स्योद्योग शामिल है।

आधार वर्ष 2011-12 पर आंकलित

उपरोक्त तालिका में देश एवं प्रदेश की कृषि फसलों के मूल्य संवर्धन में वार्षिक वृद्धि दर के तुलनात्मक आकड़ों से स्पष्ट है कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर का उतार-चढ़ाव सीमित है, वहीं मध्यप्रदेश में वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव ज्यादा है। उतार-चढ़ाव का प्रमुख कारण कृषि की मानसून पर निर्भरता है। मानसून पर निर्भरता के कारण कृषकों द्वारा खेती में किए गए निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

10.3 फसल क्षेत्र - मध्यप्रदेश में वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत फसल क्षेत्र गत वर्ष की तुलना में 10.86 प्रतिशत की वृद्धि रही है ।

10.4 सिंचित क्षेत्र : प्रदेश के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में 7.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । शुद्ध सिंचित वर्ष 2018-19 में 11356.2 हजार हेक्टर था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 12515.2 हजार हेक्टर हो गया है।

10.5 पेयजल व्यवस्था : प्रदेश की 1.28 लाख वसाहटों में लगभग 5.56 लाख हैंड पंपों एवं 15.55 हजार नलजल प्रदाय योजनाएं हैं जिसके माध्यम से 1.12 लाख वसाहटों में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

10.6 पोषण : अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को रोकने तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिये उचित समय पर उपयोग एवं लक्ष्य प्राप्ति के सुदृढीकरण पर वर्ष 2020 में मिशन के लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण कर वर्ष 2015-16 के NFHS-4 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर (UFMR) 94.2 प्रति हजार से घटकर 65 प्रति हजार हुई है इसे 40 प्रति हजार किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सामान्य से कम वजन के बच्चों की दर 60 प्रतिशत से घटकर 42.8 प्रतिशत हो गई जिसे 30 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार गंभीर कुपोषण (SAM) की दर 12.6 से घटकर 9.2 प्रतिशत हो गई है, जिसे पांच प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

10.7 शिक्षा :- जनगणना के 2001 अनुसार देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमशः 63.7 प्रतिशत थी जो जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमशः 73.0 एवं 69.3 प्रतिशत रही है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सूचकांक पर मध्यप्रदेश स्थिति निम्नानुसार है:-

- वर्ष 2020-21 की स्थिति में प्रायमरी स्तर पर शुद्ध नामांकन 74.6 प्रतिशत रहा जबकि गत वर्ष यह 76.2 प्रतिशत था।
- शाला त्यागी दर वर्ष 2019-20 के 1.05 प्रतिशत थी वही वर्ष 2020-21 (प्रा.) में यह दर 1.35 प्रतिशत हो गई।

10.8 स्वास्थ्य : सतत विकास लक्ष्यों के अनुसरण हेतु नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विश्लेषण के अनुसार "अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली" के सूचकांक में देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति अभी ओर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करती है। मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुये प्रमुख सूचकांकों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

- राज्य में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर (IMR) 46 है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार है।
- प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर (MMR) प्रति एक लाख प्रसवों पर 173 है, जो राष्ट्रीय दर 130 से अधिक है।
- प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाना एक प्रमुख चुनौती है।

10.9 उर्जा : राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता गत वर्ष से 0.85 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2021 माह नवम्बर में 21401 मेगावाट हो गई है।

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
जनसंख्या		जनगणना, 2011	जनगणना, 2011
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	236	382
पुरुष स्त्री अनुपात	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियां (संख्या)	931	943
जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011)	प्रतिशत	20.3	17.7
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	72.4	68.9
कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या (मुख्य+सीमांत कार्यशील)	प्रतिशत	43.5	39.8
कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	32.6	25.5
कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक	प्रतिशत	31.2	19.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतिहर मजदूर	प्रतिशत	38.6	17.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी	प्रतिशत	3.0	2.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	15.6	16.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत	21.1	8.6
प्रति व्यक्ति आय		2021-22 (अ.)	2021-22 (अ.)
प्रचलित भावों पर	रूपये	124685	150326
स्थिर (2011-12) भावों पर	रूपये	63345	93973

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
साक्षरता		जनगणना, 2011	जनगणना, 2011
कुल	प्रतिशत	69.3	73.0
पुरुष	प्रतिशत	78.7	80.9
स्त्री	प्रतिशत	59.2	64.6
जीवनांक		सितंबर 2019	सितंबर 2019
अ. जीवनांक (a)			
जन्म दर	प्रति हजार व्यक्ति	24.5	19.7
मृत्यु दर	प्रति हजार व्यक्ति	6.6	6.0
शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	46	30
बैंकिंग		मार्च 2021	मार्च, 2021
प्रति लाख जनसंख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यालय	संख्या	10	12
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रूपये	63133	127513
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रूपये	42472	91137
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत	67.27	71.47

(प्रा.) : प्रावधिक (अनु.) : अनुमानित

(त्व.) : त्वरित (अ.) : अग्रिम

(a) : न्यादर्श रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित ।

टीप : मध्यप्रदेश एवं अखिल भारत के संकेतांक तैयार करने हेतु संबंधित वर्ष की अनुमानित जनसंख्या एवं 2011 की जनसंख्या का उपयोग किया गया है ।

खनिज
प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2018-19 (सं.)	2019-20 (प्रा.)	2020-21 (प्रा.)	2021-22 दिसम्बर, 2021 तक (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	1186.61	1255.82	1330.05	995.85
बाक्सआईट	7.50	6.86	7.19	3.11
ताम्र अयस्क	25.42	25.44	22.40	19.86
आयरन ऑर	28.02	33.33	39.73	52.78
मैंगनीज अयस्क	9.43	9.58	8.64	6.05
रॉक फास्फेट	0.99	1.00	1.02	0.35
हीरा (कैरेट में)	38437	28816	13917	162.15
चूनापत्थर	501.02	469.69	470.45	354.92

नोट: खनिजों का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

खनिज
प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्पादित खनिजों का मूल्य

(राशि लाख रूपयों में)

खनिज	2018-19 (सं)	2019-20 (प्रा.)	2020-21 (प्रा.)	2021-22 दिसम्बर, 2021 तक (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	1658650.25	1529701.09	1783268.96	1321600.54
बाक्सार्डट	5999.67	5484.89	5399.07	2334.55
ताम्र अयस्क	34733.77	39254.59	39372.12	34911.13
आयरन ऑर	14482.03	17299.75	20094.54	26697.31
मैंगनीज अयस्क	71477.19	61607.35	54595.79	38231.24
रॉक फास्फेट	885.43	944.22	957.61	328.10
हीरा (कैरेट में)	5390.62	3980.7	2202.91	25.67
चूना पत्थर	122711	113807.98	120203.01	90685.59

नोट: वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 तक आंकड़े आई.बी.एम. की रिपोर्ट के आधार पर हैं।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

खनिज
प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य

(रूपयों में)

खनिज	2018-19 (सं)	2019-20 (प्रा.)	2020-21 (प्रा.)
1	2	3	4
कोयला	1383.22	1191.38	1327.10
बाक्सार्डिट	800	799.64	750.94
ताम्र अयस्क	1366.31	1542.74	1758.35
आयरन ओर	517	519.04	505.82
मैंगनीज अयस्क	7582	6429.73	6316.31
रॉक फास्फेट	898	944.6	936.47
हीरा (कैरेट में)	14025	13815	15829.07
चूनापत्थर	245	242.3	255.51

नोट: वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 तक आंकड़े आई.बी.एम. की रिपोर्ट के आधार पर हैं ।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

**श्रम एवं रोजगार
रोजगार समंक**

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	पंजीयत आवेदकों की संख्या (हजार में)	वर्ष के अंत में चालू पंजी पर दर्ज आवेदकों की संख्या		नौकरी दिलाये गये आवेदकों की संख्या		
			समस्त आवेदक (हजार में)	शिक्षित आवेदक (हजार में)	कुल (हजार में)	अनुसूचित जाति (संख्या में)	अनुसूचित जनजाति (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	48	423	1560	1377	0.334	88	10
2016	52	345	1411	1123	0.129	19	32
2017	52	1705	2385	2179	0.109	48	7
2018	52	747	2682	2434	0.054	33	0
2019	52	846	2933	2901	0.360	0	0
2020	52	611	2472	2308	3.605	0.731	0.342
2021	52	1236	3023	2874	83.119	16.572	8.789

स्त्रोत : आयुक्त, रोजगार संचालनालय मध्यप्रदेश ।

श्रम एवं रोजगार
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

(31 मार्च की स्थिति)

नियोजन क्षेत्र	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
शासकीय विभाग (नियमित)	447262	452439	472307	554991	572288
राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थान	59634	56869	47180	47028	45559
नगरीय स्थानीय निकाय	85961	88367	35284	34957	32933
ग्रामीण स्थानीय निकाय	138855	130291	5635	5290	4941
विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1687	1657	866	829	784
विश्वविद्यालय	6372	5936	4568	4700	4496
योग	739771	735559	565840	647795	661001

नोट :- वर्ष 2019 में कार्यभारित, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा कोटवारों, संविदा के कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

स्रोत : आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश भोपाल ।



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
भूतल मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल- 462004
फोन:-0755 . 25513950 फेक्स : 0755 .2551225
वेब: [http : //www.des.mp.gov.in](http://www.des.mp.gov.in)
ई-मेल des@mp.nic.in